Con. 8. VIII-14.49
390

अंक 8

संख्या 14

बृहस्पतिवार
2 जून
सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान सभा

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

सभा स्थगन ...799-802
संविधान का प्रारूप–(*जारी*) ...802-881
(अनुच्छेद 137 से 145 पर विचार)

भारतीय संविधान सभा

बृहस्पतिवार, 2 जून सन् 1949 ई.

भारतीय संविधान सभा कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली, में प्रातः आठ बजे अध्यक्ष महोदय माननीय डा. राजेन्द्र प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई।

सभा-स्थगन

***श्री नजीरुद्दीन अहमद** (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि प्रतिदिन जो संशोधन आ रहे हैं उनकी बाढ़ के सामने टिकना सदस्यों के लिये कठिन है। संशोधनों के आने के विरुद्ध मैं शिकायत नहीं करता हूं, मैं तो केवल यही चाहता हूं कि हमें इतना अवकाश तो मिलना चाहिये कि हम उन पर सावधानी से विचार कर सकें और तैयार होकर आ सकें और यदि आवश्यक हो तो अनुपूरक संशोधन प्रस्तुत कर सकें। हम भारत के लिये ऐसा संविधान पारित कर रहे हैं, जो संसार में सर्वोत्तम हो। हर एक आकार-प्रकार की और भिन्न-भिन संख्याओं युक्त संशोधनों की सूचियां, जिनकी कल्पना की जा सकती है, आ रही हैं जिनमें बड़े-बड़े उग्र परिवर्तन करने वाले संशोधन वर्तमान हैं। कुछ संशोधन तो स्वयं संविधान पर पूर्ण रूप से नये संशोधन हैं, न कि वे केवल संशोधनों पर संशोधन के रूप में ही हैं, यद्यपि उनको नियमित संशोधनों ''की ओर निर्देश करते हुये'' अथवा संशोधनों पर संशोधनों तक के रूप में रूपान्तर कर प्रस्तुत किया जाता है। मैं इस प्रवृत्ति का विरोध नहीं करता हूं। यह सच है कि यदि सदस्य उचित और आवश्यक समझें तो उन्हें अपनी सम्मति बदलने का अधिकार होना चाहिये। अतः क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि उन सदस्यों की एक समिति बनाई जाये जो इन विषयों में वास्तविक रुचि रखते हों? जिन संशोधनों को सदस्य रखना चाहते हैं, उनकी हम एक पूर्ण रूपरेखा बनायें और फिर हम उन पर विचार करने के लिये कुछ समय रखें और यदि आवश्यक हो तो और आगे संशोधन रखें। मैं देखता हूं कि मसौदा-समिति एक कड़ी कसौटी पर कसी जा रही है। बिना किसी सूचना के उन्हें प्रतिदिन बहुत से संशोधनों को देखना पड़ता है—और इसके लिये मैं उनसे पूर्ण सहानुभूति रखता हूं। अतः मैं अनुभव करता हूं कि सदस्यों को कुछ समय दिया जाये, जिससे वे यह निश्चित कर

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

सकें कि कौन-कौन से संशोधन वास्तव में आवश्यक हैं। संविधान-निर्माण-कार्य में काल को अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये और मुझे विश्वास है कि किसी प्रकार से भी 15 अगस्त सन् 1949 तक हम संविधान पारित नहीं कर सकते हैं। अतः क्या माननीय सदस्यों के अथवा आपके समक्ष मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि एक या दो माह तक के लिये कार्य-स्थगन किया जाये? इस समय में जो लोग संशोधन भेजना चाहते हैं, वे कठिन परिश्रम करें और जितने संशोधन भेजना चाहते हैं, उन सब को एक ही बार भेज दे जिससे कि हम तैयार होकर आ सकें। इस दशा में जो वाद-विवाद होगा वह अधिक लाभदायक होगा। इस समय नये संशोधनों पर सदस्यों में परस्पर संभ्रम वर्तमान है, अतः वाद-विवाद न्यूनाधिक रूप में विषय की साधारण रूपरेखा तक ही सीमित रहता है, जो विशेष लाभदायक नहीं है। इस कारण मैं निवेदन करता हूं कि हमें पर्याप्त समय दिया जाये। ऐसी संभावना है कि ग्रीष्म-ताप का, जो दो या तीन दिन से कम हो गया है, कदाचित् पुनः आवेश के साथ प्रादुर्भाव हो और यह भी एक बात है, जिस पर विचार किया जाये। सभा से इन सब विषयों पर विचार करने और कोई मार्ग खोज निकालने के लिये मैं निवेदन करता हूं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना** (संयुक्त प्रांत : जनरल): सभा-स्थगन के मैं विरुद्ध हूं। एक या दो माह के लिये सभा स्थगित करने के श्री नजीरुद्दीन अहमद के सुझाव पर मुझे आश्चर्य हुआ है। मैं समझता हूं कि संशोधनों पर नये संशोधन संविधान पर चर्चा करने के अंतिम दिन तक आते रहेंगे और उनका अन्त नहीं होगा। यदि हम इस संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, तो ग्रीष्म-ताप का बिना विचार किये हुय हमें समवेत होते रहना चाहिये। यदि हम सभा स्थगित करते हैं, तो इस संविधान के पारित करने के लिये हमें आगामी वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो हमें समवेत होते रहना चाहिये और संविधान को समाप्त करना चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं समझता हूं कि संशोधनों को समझने और उन पर विचार करने के लिये हमें पूरा-पूरा समय मिलना चाहिये, पर इस कार्य के लिये हमें सभा को स्थगित नहीं करना चाहिये। जब तक समाप्त न कर लें तब तक हमें कार्य जारी रखना चाहिये।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय, श्री नजीरुद्दीन अहमद के संशोधन का प्रथम भाग वास्तव में युक्तियुक्त है, कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे पास संशोधन पिछली रात के 9 या 10 बजे पहुंचते हैं और हमारे लिये यह बहुत कठिन कार्य हो जाता है कि हम किस समय संशोधनों पर संशोधन भेजें, जब कि हम सुबह होते ही आठ बजे समवेत होते हैं इस विचार से उनका यह तर्क कि कुछ समय दिया जाये, युक्तियुक्त है। पर सभा स्थगित करने के विषय में मैं उनको नहीं समझ

सका और न मैं सभा स्थागित करने के पक्ष में हूं। मैं यह सुझाव रखूंगा कि जब ये संशोधन आ जाते हैं तो आप हमें एक दिन और दे दिया करें, अभ्रिपाय यह है कि इन महत्त्वपूर्ण संशोधनों पर एक दिन छोड़कर चर्चा की जाये, न कि दूसरे दिन जिससे कि यदि हम संशोधनों पर संशोधन रखना चाहें तो ऐसा कर सकें। केवल यही उपाय है और ऐसा करने से सदस्य समय पर संशोधन भेज सकेंगे। सभा स्थगित करने के पक्ष में मैं नहीं हूं, हमें समवेत होते रहना चाहिये और संविधान को समाप्त करना चाहिये। श्रीमान्, मेरा विचार यह है।

***अध्यक्ष:** सदस्यों को नए संशोधन के लिए, जिनको वे रखना चाहते हैं, अवसर देने का मैं यथासंभव प्रयत्न करता रहा हूं। सुझाव यह है कि जो संशोधन आदेश-पत्र पर है, यदि उस पर संशोधन रखा जाये तो इस नये संशोधन पर अन्य और संशोधनों के लिए मैं और समय दूं। मैं नहीं समझ पाता हूं कि यदि हम इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो क्या कभी संशोधनों का अन्त हो पायेगा, क्योंकि संशोधन रखने के लिए हम समय दे ही चुके हैं।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान्, कार्यालय से नये संशोधन पूर्व रात्रि को आते हैं और वे सायंकाल के साढ़े नौ बजे मिलते हैं।

***अध्यक्ष:** हमारे पास 4000 संशोधनों से भी अधिक संशोधन आरंभ में आ गए हैं और उसके बाद इन संशोधनों पर संशोधन आ रहे हैं यदि यह सुझाव किया जाता है कि इन संशोधनों पर संशोधनों के लिए हम और अधिक समय दें, तो जैसा कि मैंने कहा था इन संशोधनों का अन्त नहीं होगा। यदि कोई ऐसा विषय है जिस पर और अधिक विचार करने की आवश्यकता है और यदि किसी संशोधन द्वारा कोई ऐसा विषय प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बारे में सदस्य यह समझते हैं कि वे अपने विचार प्रकट नहीं कर सके हैं, तो उस विशेष संशोधन पर विचार स्थगित करने के लिए यह एक आधार होगा और यदि सदस्यों की यही इच्छा होगी, तो किसी विशिष्ट अनुच्छेद अथवा संशोधन पर, जिसके लिये अधिक विचार-विमर्श अपेक्षित है, चर्चा स्थगित करने के मार्ग में मैं बाधा नहीं डालूंगा, पर मैं समझता हूं कि किसी सदस्य के लिये नये संशोधन रखने अथवा ग्रीष्म-ताप के कारण सभा का स्थगन न तो सभा ही चाहती है और न मैं ही चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ग्रीष्म-ताप के कारण स्थगित करने के प्रश्न पर सदस्यों द्वारा कुछ सुझाव अथवा विचार किया गया था, पर हमारे सौभाग्य से जैसे ही ग्रीष्प-ताप के कारण सभा स्थगित करने का प्रश्न उठा, किसी प्रकार ग्रीष्म-ताप कम हो गया। इस कारण मैं समझता हूं कि वह आंदोलन भी दब गया। मैं आशा करता हूं कि ग्रीष्म-ताप के कारण सभा स्थगित करने के किसी विचार को लाये बिना हम कार्य करते रहेंगे। परन्तु यदि किसी विशिष्ट पद के स्थगन करने के लिये कोई सारवत् आधार है, तो उस पर विचार करने के लिये मैं सदैव उद्यत हूं।

***पं. हृदयनाथ कुंजरू** (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान्, एक वास्तविक कठिनाई है जिस पर विचार करने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। सदस्यों को, अधिकतर बहुत से सदस्यों को, संशोधनों अथवा संशोधनों पर संशोधनों की सूचना रात्रि के लगभग साढ़े दस बजे मिलती है और आप स्वयं विचार सकते हैं कि संशोधनों की प्राप्ति के पश्चात् उनको सावधानी से अध्ययन करने के लिए अधिक समय नहीं रहता है। यदि इन संशोधनों को कुछ जल्दी भेजा जा सकता है, तो आज प्रातःकाल जो शिकायत की गई है वह मैं समझता हूं कि कम हो जायेगी, पर यदि हमें ऐसे समय ही संशोधन प्राप्त होंगे जैसे कि अब साढ़े दस और ग्यारह बजे के बीच में, तब तो यह शिकायत अवश्य बनी रहेगी।

***अध्यक्ष:** यदि कोई ऐसा संशोधन है, जिस पर विचार-विमर्श अपेक्षित है और जिसके लिए सदस्य समय चाहते हैं तो इस प्रकार के किसी सुझाव पर विचार करने के लिए मैं उद्यत रहूंगा। सदस्यों के पास संशोधन दस बजे पहुंचते हैं, क्योंकि दोपहर बाद पांच बजे तक संशोधन आते हैं और दस बजे से पूर्व वे सदस्यों को नहीं मिल सकते हैं।

***श्री आर.के. सिधवा:** इसमें न तो कार्यालय का दोष है और न हमारा ही।

***अध्यक्ष:** पर टाइप करने के पश्चात् ही तो वे भेजे जायेंगे।

***श्री आर.के. सिधवा:** कार्यालय से—मेरा आशय मसौदा समिति से है—हमें दस बजे संशोधन मिलते हैं।

***अध्यक्ष:** मसौदा-समिति भी प्रति दिवस समवेत हो रही है और इस सभा के समाप्त होने के पश्चात् वे प्रति दिवस समवेत होते हैं और जो कुछ हुआ है, उस सब पर उन्हें विचार करना पड़ता है तथा अन्य बातों पर विचार करते हुये उन्हें अपने मसौदे बनाने पड़ते हैं और ये मसौदे लगभग पांच बजे कार्यालय में आते हैं और उसके पश्चात् उनको टाइप किया जाता है और भेजा जाता है। इन सब कामों में समय लगता ही है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा था, किसी विशिष्ट पद पर, जिसके बारे में सदस्यों को संदेह है, चर्चा स्थगित करने पर विचार करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा।

संविधान का प्रारूप—(*जारी*)

अनुच्छेद 146

***अध्यक्ष:** अब हम ऐसे अनेक अनुच्छेदों पर विचार करेंगे, जो न्यूनाधिक रूप में उन अनुच्छेदों के अक्षरशः समान रूप हैं, जिनको हम विगत कुछ दिनों में पारित कर चुके

हैं और मैं समझता हूं कि इनमें से बहुत से अनुच्छेदों पर अधिक चर्चा नहीं होगी। अनुच्छेद 146।

(संशोधन संख्या 2212 पेश नहीं किया गया।)

प्रो. शाह ने संशोधन संख्या 2213 प्रस्तुत किया है। क्या आप उसे पेश करना चाहते हैं?

***प्रो. के.टी. शाह** (बिहार : जनरल): जी हां, श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 146 के खंड (1) में 'Governor' (राज्यपाल) शब्द के स्थान में 'the Government of the State concerned' (सम्बद्ध राज्य की सरकार) शब्द रखे जायें।

कि अनुच्छेद 146 के खंड (2) में जहां 'Governor' (राज्यपाल) शब्द पहली बार आता है उसके स्थान में 'Government of the State' (उस राज्य की सरकार) शब्द रखे जायें।''

अत: संशोधित खंड इस प्रकार का हो जायेगा:

''All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Government of the State concerned.''

[किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही सम्बद्ध राज्य की सरकार के नाम से की हुई कही जायेगी।]

और ऐसा ही परिवर्तन दूसरे खंड में हो जायेगा।

मैं क्यों यह संशोधन पेश करता हूं, इसका कारण यह है कि अपने संविधान में राज्यपाल को, जो कि आखिरकार राज्य का एक अस्थायी मुखिया ही है और जिसका केवल कुछ वर्षों के लिए सरकार के समस्त प्रशासन कार्य को उसके नाम से किया हुआ समझने के लिए निर्वाचन हुआ है, इतना स्वीय महत्त्व देना हमारे लिए यदि अनुपयुक्त न कहा जाये तो अस्वाभाविक अवश्य है। उन देशों के लिए तो यह ठीक है जहां वंशानुगत, स्थायी तथा यावज्जीवन राजा राज्य का मुखिया होता है। फिर भी वह उस सीमा तक अस्वीय है कि उसको सम्राट की सरकार कहा जाता है। पर इस विषय में यह सुझाव कि समस्त प्रशासन कार्य राज्यपाल के नाम में समझा जाये, उस लोकतंत्रात्मक गणराज्य से मुझे पूर्णतया असंगत प्रतीत होता है, जिसकी हम स्थापना करने का विचार कर रहे हैं। राज्यपाल आयेगा

[प्रो. के.टी. शाह]

और जायेगा। अधिक से अधिक वह पांच वर्ष के लिये आयेगा, अतः उसे मुखियागिरी का वह स्थायित्व तथा वह शाश्वत अधिकार प्राप्त नहीं है, जो वंशानुगत सम्राट पद्धति को प्राप्त है। अतः यह सुझाव करना कि प्रत्येक प्रशासन कार्य राज्यपाल के नाम से हो, अनुपयुक्त है और वास्तविक नहीं है।

आज भी भारतीय सरकार के आदेश अभिव्यक्त होते हैं और सदैव भारतीय सरकार के आदेश के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। इस स्वीय महत्त्व की अपेक्षा, जो इस खंड द्वारा व्यक्तिगत रूप में राज्यपाल को दिया हुआ प्रतीत होता है, इस प्रकार की कोई अस्वीय अभिव्यक्ति सरकार के उस रूप के लिये अधिक उपयुक्त तथा समुचित होगी जिसकी हम स्थापना करने जा रहे हैं।

मैं यह समझता हूं कि यह केवल सरकार के प्रशासन पक्ष तक ही सीमित है। परन्तु फिर भी मैं समझता हूं कि जो तर्क मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वह अन्तिम होना चाहिये कि सरकार का कार्य अस्वीय हो और, जैसी स्थिति हो, क अथवा ख प्रान्तीय सरकार अथवा ग या घ राज्य सरकार के नाम से हो।

मैं यह मानता हूं कि आदेशों पर सचिव के हस्ताक्षर होंगे। जब ऐसा है तो यह और भी अधिक समुचित होगा कि वे सम्पूर्ण राज्य के नाम से कहे जायें न कि राज्यपाल के नाम से जो उन पर हस्ताक्षर नहीं करता है।

इसके अतिरिक्त यदि विचार यह है कि समस्त प्रशासन कार्यों पर राज्यपाल द्वारा भी हस्ताक्षर किये जायेंगे, अतः यह अधिक समुचित होगा कि उनको राज्यपाल के नाम से माना जाये, तो मैं और भी अधिक जोरदार आपत्ति करूंगा। क्योंकि इस दशा में पूर्वोक्त तर्क के अतिरिक्त, स्वयं राज्यपाल के लिये सरकार के प्रत्येक आदेश पत्र पर गौर करना असम्भव होगा और फल यह होगा कि राज्य तंत्र कार्य नहीं कर सकेगा। अतः मैं सुझाव रखता हूं कि सरकारी कार्यों को राज्यपाल के नाम से होने की अपेक्षा हम उसके लिये एक अधिक उपयुक्त तथा अधिक स्वीय अभिव्यक्ति—सम्बद्ध राज्य की सरकार—रखें, और मैं समझता हूं कि इस सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

***श्रीमती जी. दुर्गाबाई** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, मैं समझती हूं कि इस अनुच्छेद की भाषा ठीक अनुच्छेद 64 की भाषा के समान है जिसे हम स्वीकार कर चुके हैं।

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 2214 मसौदा सम्बन्धी है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर** (बम्बई : जनरल): श्रीमान्, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं। अनुच्छेद 146 अनुच्छेद 130 का केवल एक तर्कयुक्त परिणाम है। अनुच्छेद 130 में यह कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ऐसा होने से इसका केवल यही तर्कयुक्त परिणाम निकलता है कि प्रशासन-कार्य की समस्त अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से होगी जैसा कि अनुच्छेद 146 में प्रावहित है।

मेरे माननीय मित्र प्रो. के.टी. शाह ने जो पर्यवेक्षण किये हैं कि पूर्व शासन-व्यवस्था में सब प्रशासन-कार्य भाारतीय सरकार के नाम से अभिव्यक्त होता था, इस पर मेरा उत्तर यह है कि यह इस तथ्य के कारण था कि प्राचीन प्रणाली के अनुसार भारत की असैनिक और सैनिक सरकार गवर्नर जनरल में निहित नहीं थी, वरन् परिषद्युक्त गवर्नर जनरल में थी और इसके परिणामस्वरूप समस्त कार्य भारतीय सरकार के नाम से अभिव्यक्त किये जाते थे। जहां तक अनुच्छेद 130 का सम्बन्ध है, इस स्थिति में पूर्ण परिवर्तन हो गया है।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 146 के खंड (1) में 'Governor' (राज्यपाल) शब्द के स्थान में 'The Government of the State concerned' (सम्बद्ध राज्य की सरकार) शब्द रखे जायें।

कि अनुच्छेद 146 के खंड (2) में जहां 'Governor' (राज्यपाल) शब्द पहली बार आता है उसके स्थान में 'Government of the State' (राज्य की सरकार) शब्द रखे जायें।''

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 146 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 146 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

अनुच्छेद 147

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 147 संविधान का अंग बने।''

संशोधन संख्या 2215, श्री कामत्।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान्, यह निषेधात्मक है।

***अध्यक्ष:** एक विकल्प भी है। श्री कामत, आप किस भाग को पेश करना चाहते हैं?

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): श्रीमान्, मैं प्रथम भाग को पेश करना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** वह तो निषेधात्मक है।

***श्री एच.वी. कामतः** तो मैं उसे पेश नहीं करूंगा, पर श्रीमान्, मैं इस अनुच्छेद पर भाषण दूंगा।

(संशोधन संख्या 2216, 2217, 2218, 2219 और 2220 पेश नहीं किये गये।)

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद को बने रहने देने के लिये मैं कोई मान्य कारण नहीं समझ पाता हूं। यह तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है कि यह अनुच्छेद ठीक उसी आधार पर है जिस आधार पर हम राष्ट्रपति के सम्बन्ध में एक अनुच्छेद स्वीकार कर चुके हैं। पर अब चूंकि हमने राज्य के लिये मनोनीत राज्यपाल स्वीकार कर लिये हैं, मेरे विचार से यदि इस अनुच्छेद को पूर्णतया अपमाजित न किया जाये, तो कम से कम इसमें रद्दोबदल तो करना ही होगा।

इस अनुच्छेद में कुछ ऐसी बाते हैं जो राज्यों के लिये मनोनीत राज्यपालों के सिद्धांत से पूर्णतया असंगत नहीं, तो कम से कम सानुरूप तो नहीं हैं। एक ही उदाहरण लीजिये यदि सभा इस अनुच्छेद के खंड (ग) पर सावधानी से विचार करे तो उसे यह विदित होगा कि मनोनीत राज्यपाल को मंत्रिमंडल की तत्कथित दिन प्रतिदिन की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की शक्ति दे दी गई है। मुझे आश्चर्य है कि किसी ऐसे विषय को मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत कराने के लिये राज्यपाल मुख्यमंत्री को क्यों आमंत्रित करे, जिस पर मंत्री विनिश्चय कर चुका है, पर मंत्रिमंडल द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया है। मैं निवेदन करता हूं कि इस विषय पर विनिश्चय करना पूर्णतया मंत्रिमंडल के हाथ में है और राज्यपाल को कोई ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं है न उसे कोई विशेषाधिकार, शक्ति अथवा अधिकार है कि वह इसमें दखल दे सके। मंत्रिमंडल की कार्यवाही का प्रबंध करना, परस्पर विचार-विमर्श करना और यदि वे चाहते हैं तो कोई विशिष्ट प्रक्रिया निश्चित करना पूर्णतया मंत्रिमंडल का कार्य है। यदि किसी मंत्री ने किसी विषय पर विचार कर लिया है, पर समूची परिषद् ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल दखल नहीं दे सकता है और मुख्यमंत्री को यह नहीं कह सकता है कि आप इसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करे। मुख्यमंत्री और उसके साथी यह विनिश्चय करने के लिये पर्याप्त रूप से सक्षम हैं कि परिषद् के समक्ष कौन सा विषय प्रस्तुत किया जाये और किस विषय को उसके समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। मेरे विचार से यह उस सांवैधानिक लोकतंत्र के आदेशों के समनुकूल है, जिसको हम राज्यों में स्थापित करना चाहते हैं। मेरे मित्र श्री बी. दास पूछते हैं कि लोकतंत्र कहां है? मैं भी उनसे सहमत हूं कि समस्त विश्व में सच्चा लोकतंत्र कहीं भी नहीं है। परन्तु हम उसके सन्निकट पहुंचना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि यदि हम सब मिलकर प्रयत्न करें, तो निकट भविष्य में लोकतंत्र के सन्निकट पहुंच जायेंगे।

इसके पश्चात्, श्रीमान्, इस अनुच्छेद के खंड (ख) में एक बात और है जो मेरे तुच्छ निर्णय के अनुसार उस नई व्यवस्था के विरुद्ध है, जिसको हमने राज्यों के लिये स्वीकार

कर दिया है। इस खंड के अधीन राज्य-प्रशासन सम्बन्धी किसी सूचना को राज्यपाल मंगा सकता है। यह एक प्रकार से उल्टी गंगा बहाना है। मैं समझता हूं कि राज्यों में मनोनीत राज्यपाल होने के कारण इस बात का विनिश्चय करना राज्य के मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री पर छोड़ना चाहिये कि राज्यपाल के समक्ष वह किस विषय को रखे और किस को न रखे। यदि वह और उसके साथी सामूहिक रूप से विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी विशिष्ट विषय को राज्यपाल के पास भेजा जाये, तो अवश्य वे उस विषय को राज्यपाल के पास भेज सकते हैं। परन्तु राज्यपाल को राज्य के विषयों के प्रशासन और विधान की प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में कोई सूचना मंगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस अनुच्छेद का यह एक और पहलू है, जो मेरे विचार से उस सांवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जिसकी स्थापना हम राज्यों में करने वाले हैं तथा मनोनयन के सिद्धांत के विरुद्ध है, जिसे हम राज्य के राज्यपालों के लिये स्वीकार कर चुके हैं। मैं बहुत प्रसन्न होता, यदि यह अनुच्छेद अपमार्जित कर दिया जाता। ये सब सरकारी कार्यवाही के विषय हैं जिनके प्रति मैं समझता हूं—बल्कि निश्चित रूप से जानता हूं—कि सरकारी कार्य संचालन के विषय पर प्रत्येक प्रान्त तथा राज्य में पुस्तिकायें हैं। इन बातों को आसानी से बाद में लिया जा सकता था और सरकारी कार्य-संचालन की प्रक्रिया के रूप में उन पुस्तिकाओं में समाविष्ट किया जा सकता था। परिवर्तित रूप में अनुच्छेद 131 के स्वीकार कर लेने के पश्चात् जो नई व्यवस्था हमने अंगीकार की है, उससे यह अनुच्छेद जिस रूप में है, उस रूप में असंगत है। अत: माननीय डा. अम्बेडकर से मैं निवेदन करूंगा कि यदि उन्होंने इस अनुच्छेद पर अभी विचार नहीं किया है, तो उस पर अपने और अपने बुद्धिमान सहयोगियों द्वारा और अधिक परिपक्व विचार करने के लिये इसको स्थगित करें। यदि इस अनुच्छेद को अपमार्जित नहीं किया जा सकता है, तो मैं आशा करता हूं कि गत कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुये उसे पूर्ण रूप से बदल तो दिया ही जायेगा और इस आशय के लिये इसको कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जायेगा।

***डा. पी.एस. देशमुख** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): अध्यक्ष महोदय मुझे खेद है कि मैं अपने माननीय मित्र श्री कामत के इस सुझाव से सहमत नहीं हो सकता हूं कि इस अनुच्छेद को निकाल दिया जाये। अनुच्छेद 146, जिसको हम अभी पारित कर चुके हैं, यिद उसमें दिये हुये उपबंध पर वे कुछ और अधिक ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि वे इस अनुच्छेद को संविधान में रखने की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करेंगे। इस समय अनुच्छेद 146 के अधीन प्रत्येक आदेश, जो मंत्रिमंडल या मंत्रालय या किसी मंत्री द्वारा दिया जाता है, तो वह एक ऐसा आदेश होगा जो राज्यपाल के नाम से प्रकाशित तथा प्रख्यापित होगा। यदि अनुच्छेद 147 को न रखें तो ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है, जो राज्यपाल को उसके नाम से किये गये विभिन्न कार्यों और उसके नाम से पारित तथा जारी किये

[डा. पी.एस. देशमुख]

गये आदेशों का ज्ञान करा सके। मेरे मित्र ने कहा है कि यह दैनिक कार्य में भी निर्दिष्ट होगा। श्रीमान्, मैं उनको यह कहने का साहस करता हूं कि साधारण विषयों के सम्बन्ध में, जो महत्त्वपूर्ण नहीं है और दैनिक कार्य के रूप के हैं, मुझे विश्वास है कि कोई भी राज्यपाल उन पर प्रश्न करने की अथवा मुख्यमंत्री से यह प्रार्थना करने की कि इन विषयों को विचारार्थ मंत्रिमंडल के पास भेजा जाये, बुद्धिमत्ता न करेगा?

***श्री एच.वी. कामतः** इसके लिये क्या प्रत्याभूति है?

***श्री पी.एस. देशमुखः** राज्यपाल की बुद्धिमत्ता ही प्रत्याभूति है तथा उस प्राधिकारी की बुद्धिमत्ता जो नियुक्त करेगी ऐसे...।

***श्री एच.वी. कामतः** मैंने पूछा था कि इसके लिये प्रत्याभूति क्या है?

***श्री पी.एस. देशमुखः** मैंने कहा था कि राज्यपाल की बुद्धिमत्ता तथा उस अधिकारी की बुद्धिमत्ता जो राज्यपाल को नियुक्त करेगा, प्रत्याभूति है।

श्रीमान्, यह अनुच्छेद महत्त्वहीन दैनिक कार्यों की ओर निर्दिष्ट नहीं होगा। वरन् यह केवल उन आदेशों की ओर निर्दिष्ट होगा जिनके बारे में राज्यपाल यह समझे कि उन के द्वारा अधिक व्यापक रूप से प्रतिक्रिया होने की संभावना है और वे इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि मंत्रिमंडल में समस्त मंत्रियों द्वारा उन पर विचार करना बुद्धिमानी का कार्य होगा। इस निदेश के अतिरिक्त कि इस प्रश्न पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाये, अन्य कोई बात नहीं है। मंत्रिमंडल के विनिश्चय को रद्द करने का प्राधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को केवल यह शक्ति प्रदान करता है कि जब कभी वह यह समझे कि किसी मंत्री के विनिश्चय पर कुछ और अधिक ध्यान दिया जाये, तो समूचे मंत्रिमंडल को उस पर विचार करने के लिये वह कहेगा।

मेरे मित्र श्री कामत ने इस अनुच्छेद के खंड (ख) पर भी प्रहार किया है। जहां तक इस भाग का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह भी बहुत आवश्यक है। उदाहरणार्थ मान लीजिये कि मंत्रिमंडल अथवा कतिपय मंत्री राज्यपाल से मेल नहीं रखते हैं, तो उनकी ऐसी स्थिति हो जायेगी कि वे राज्यपाल को पूर्ण अंधकार में रख सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्यपाल को दी गई इन शक्तियों का शायद किसी समय भी दुरुपयोग नही होगा और यह आवश्यक है कि उसे दिन प्रतिदिन के प्रशासन के बारे में पूर्ण सूचना मिले, जिससे कि वह गलत नीति के अनुसरण को रोक सके तथा प्रान्तीय सरकार की कार्यप्रणाली और प्रकार के बारे में भारतीय सरकार और राष्ट्रपति को सूचना भी दे सके। आखिर प्रान्तीय स्वायत्त शासन तथा राष्ट्रपति और भारतीय सरकार के बीच

में राज्यपाल एक आवश्यक कड़ी है और इस प्रकार्य का पर्याप्त रूप से निर्वाह वह तभी कर सकता है, जब उसे कुछ बातों पर पुनः विचार करने के लिये मंत्रिमंडल से कहने का अधिकार हो तथा उसे दिन प्रतिदिन की कार्यवाहियों की सूचना प्राप्त करने का साधन उपलब्ध हो कि क्या-क्या आदेश जारी किये गये हैं और किस प्रकार का प्रशासन-कार्य चल रहा है।

इसके पश्चात्, श्रीमान्, मेरे मित्र ने राज्यपाल को विधान भेजने की प्रस्थापना का भी विरोध किया है, पर वह भी लाभदायक तथा वांछनीय है। राज्यपाल को पहले से ही यह ज्ञात होना चाहिये कि प्रांतीय सभा के समक्ष किस विधान का प्रस्तुत करना प्रस्थापित किया जा रहा है, उस विधान का क्या प्रकार है और वर्तमान परिस्थिति से उसका क्या सम्बन्ध है अथवा भारत के अन्य भागों के विधान की तुलना में वह कैसा है। यह देखना भी उसका कर्त्तव्य है कि भारत की नीति के वह किस प्रकार समनुरूप है। केवल वही एक ऐसा व्यक्ति है जो वहां रहेगा और मुख्यमंत्री को अधिक व्यापक तथा अधिक निष्पक्ष दृष्टिकोण से मंत्रणा दे सकेगा। मंत्रणा देने के सिवाय मैं नहीं समझता हूं कि उसके और अधिक आगे बढ़ने की सम्भावना हो। किसी दशा में भी वह अनुच्छेद उसकी कोई अधिक शक्तियां प्रदान नहीं करता है। परन्तु इतना प्राधिकार तो उसे अवश्यमेव होना चाहिये कि वह प्रस्थापित विधान पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिये मंत्रिमंडल से निवेदन कर सके, जिससे कि प्रांत के प्रशासन में प्रान्त के मंत्रियों अथवा समूचे रूप में भारतीय सरकार को अहित के कारण क्षति न हो।

***श्री एच.वी. कामतः** क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि मुख्यमंत्री की बुद्धिमत्ता में हम क्यों विश्वास न करें? क्या मुख्यमंत्री इतना बुद्धिमान नहीं है?

***श्री पी.एस. देशमुखः** यदि मेरे विद्वान मित्र श्री कामत पूरी बात पर शांतिपूर्वक विचार करें तो उनको यह विदित होगा कि वास्तव में प्रत्येक बात मुख्यमंत्री पर छोड़ दी गई है और छोड़ी जा रही है और राज्यपाल के हस्तक्षेप करने की कोई संभावना नहीं है। यह केवल उस सूचना को प्राप्त करने के अधिकार का दावा करता है जिसको वह आवश्यक समझे। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत उसको यह कहने की शक्ति नहीं दी गई है कि अमुक-अमुक विधान पारित नहीं किये जायेंगे। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राज्य सम्बन्धी सब विनिश्चय राज्यपाल के पास सूचनार्थ भेजे जायेंगे।

***श्री एच.वी. कामतः** राज्यपाल उनको मांग क्यों न ले? मुख्यमंत्री के लिये यह सब कुछ करना अपेक्षित क्यों है?

***श्री पी.एस. देशमुखः** श्रीमान्, यह केवल एक पारस्परिक प्रबंध है और इस प्रबंध में मुझे कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई देती है। अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि मुख्यमंत्री

[डा. पी.एस. देशमुख]

राज्यपाल को कुछ बातों की सूचना देगा और अन्य सूचनायें मंगाने का राज्यपाल को अधिकार है। गौरव अथवा रस्म अदायगी का कोई प्रश्न नहीं है। अत: मैं इस अनुच्छेद का जोरदार समर्थन करता हूं और सुझाव रखता हूं कि जिस रूप में यह है उसी रूप में पारित किया जाये।

***श्री बी. दास** (उड़ीसा : जनरल): श्रीमान्, चूंकि राज्यपाल की शक्तियां और कार्य-संचालन सम्बन्धी अनुच्छेदों (भाग 4 अध्याय 2) को हम समाप्त करने वाले हैं, मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सभा के सामने अपने विचारों को प्रकट कर दूं। मैं चाहता हूं कि इस बात में विश्वास करने के लिये कि राज्यपाल का पद एक लाभदायक पद है, मुझ में मेरे मित्र डा. पंजाब राय देशमुख का सा कट्टर आशावाद होता। स्वतंत्र भारत में जब से कांग्रेसियों के हाथों में शक्ति आई है, प्रांतों में क्या अनुभव प्राप्त किया गया है? राज्यपाल ने किस प्रकार प्रकार्य किया है? यह एक साधारण ज्ञान का विषय है और इस सभा के जिम्मेदार सदस्यों द्वारा यह कई बार कहा गया है कि राज्यपाल केन्द्रीय सरकार का और राज्य-संघ तथा प्रान्तों द्वारा निर्वाचित मंत्रणालयों का राज्यपाल किस प्रकार सहयोग दे सकेगा? मेरे मित्र डा. देशमुख के अनुसार राज्यपाल ज्ञान परिपूर्ण है। मैं इस बात पर आपत्ति करता हूं और मुझे इस बात में बहुत सन्देह है, विशेषकर जब कि राज्यपाल मनोनीत राज्यपाल है—राष्ट्रपति तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया हुआ। मैं चाहता हूं कि हमें अब फेडरल संविधान और संघ-सरकार नहीं रखना चाहिये। हमने सारी शक्तियां राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल में केन्द्रित कर दी है और यह बुरी बात नहीं है। यदि हम प्रान्तीय सरकारें, प्रान्तीय राज्यपाल और प्रान्तीय मंत्रियों को हटा दें तो बहुत सा व्यय बच जायेगा।

***अध्यक्ष:** इस प्रश्न की चर्चा करने से कुछ लाभ नहीं है। इस विषय को तो हम पारित कर चुके हैं।

***श्री बी. दास:** पर मेरे मित्र श्री कामत ने आज प्रात: मनोनीत राज्यपाल और उनके प्रकार्यों का उल्लेख किया था।

प्रश्न यह है कि यदि हम राष्ट्रपति और राज्यपालों में सारी शक्तियां केन्द्रित करना चाहते हैं तो हमें यह देखना चाहिये कि राज्यपाल निर्वाचित हैं या नहीं। पर मसौदा-समिति के पास इस प्रश्न और इन खंडों पर विचार करने का समय ही नहीं था कि क्या ये खंड मनोनीत राज्यपालों के लिये समुचित है। इस समस्त अध्याय में यही एक दुष्टतापूर्ण बात है। हम जानते हैं कि संविधान के विभाग निष्प्राण बने रहते हैं। अमरीका के संविधान के कुछ विभाग व्यर्थ हो चुके हैं। इस संविधान के कुछ विभाग भी व्यर्थ होंगे। हां, यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यह भ्रम है कि राज्यपाल निर्वाचित मंत्रियों के विरुद्ध विधि प्रदत शक्तियों का प्रयोग करेगा, तो वे वर्तमान प्रथा को ध्यान में रखें, जिसके अंतर्गत

राज्यपाल, उसके प्रान्त में क्या हो रहा है, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं जानता है, जहां कि प्रान्तीय मंत्रिमंडल इस सम्बन्ध में राज्यपाल को कोई सूचना नहीं देता है।

यह एक लगातार रहने वाला झगड़ा है और शायद राष्ट्रपति और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री को राज्यपाल और प्रान्तीय मंत्रिमंडल में सद्भावना उत्पन्न करने के लिये भिन्न-भिन्न स्थितियों में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यह होते हुये भी मैं साहसपूर्वक यह भविष्यवाणी करता हूं कि प्रांतीय मंत्रिमंडल की विजय होगी और राज्यपाल वैसे ही प्रतीक रूप रहेंगे जैसे कि गत दो वर्ष से रहते चले आये हैं।

***श्री बी.एम. गुप्ते** (बम्बई : जनरल): श्रीमान्, अपने माननीय मित्र श्री कामत का पूर्ण समर्थन न करते हुये मैं उनका, जहां तक कि उपखंड (ग) का सम्बन्ध है, समर्थन करना चाहूंगा। मेरे विचार से इस उपखंड के क्रियाकरण में कुछ कठिनाइयां हैं। उपखंड में यह कहा गया है:

> ''If the Governor so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.''
>
> (किसी विषय को, जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो, किन्तु मंत्रिपरिषद् ने विचार न किया हो, राज्यपाल के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिये रखना)

मैं नहीं समझ पाता हूं कि किसी विशिष्ट विषय में मंत्री द्वारा क्या विशिष्ट विनिश्चय किया गया है यह राज्यपाल कैसे जानेगा क्योंकि उपखंड (क) के अनुसार केवल मंत्रिमंडल द्वारा किये गये विनिश्चय ही उसके पास भेजे जायेंगे।

मंत्रिमंडल की कार्य-प्रणाली के अनुसार विनिश्चयों की दो श्रेणियां हैं। अपने विभाग में तथा अपनी जिम्मेदारी पर, अपने साथियों की सम्मति लिये अथवा उनको जानकारी तक दिये बिना विभिन्न विषयों पर, जो दिन प्रतिदिन उसके समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं, मंत्री कुछ विनिश्चय करता है। परन्तु इनसे अधिक महत्त्व के अन्य विषय हैं जिनको मंत्रिमंडल के समक्ष सामूहिक विनिश्चय के लिये मंत्री को प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरी श्रेणी के विनिश्चय ही राज्यपाल के पास जायेंगे। पहली श्रेणी के विनिश्चयों के सम्बन्ध में स्वयं अनुच्छेद में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। अत: मैं नहीं समझता हूं कि वह इनके बारे में किस प्रकार जानकारी प्राप्त करेगा। मुझसे यह कहा जायेगा कि राज्यपाल उपखंड (ख) से लाभ उठा सकता है और सूचना मंगा सकता है। यह तो मैं समझ सकता हूं कि यदि उसे सूचना मिल जाती है, तब तो वह और अधिक बातें पूछ सकता है, परन्तु किसी मंत्री द्वारा किये गये किसी विशिष्ट विनिश्चय की सूचना उसे आरंभ में किस प्रकार मिल

[श्री बी.एम. गुप्ते]

सकती है? सूचना के किसी ऐसे साधन के अभाव में उससे हस्तक्षेप करने के लिये कहा जाता है और व्यवहार्य रूप में वह मंत्री द्वारा किये गये विनिश्चय के परिपालन तक को रोक सकता है। विचार इस बात पर करना है कि उसकी सांवैधानिक मुखिया की स्थिति से यह कितना संगत है। क्या राज्यपाल को इस अधिकार से सुसज्जित करना आवश्यक है अथवा क्या यह वांछनीय भी है? मैं यह सुझाव नहीं कर रहा हूं कि प्रान्त राज्यपाल के पवित्र परामर्श से लाभ न उठा सके। हो सकता है कि वह परिपक्व अनुभव तथा विशाल ज्ञानयुक्त वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ हो। पर इसी आशय की पूर्त्ति उसकी विधि प्रदत्त अधिकार दिये बिना भी हो सकती है। प्रधानमंत्री को वह निजी रूप से सुझाव दे सकता है। हमारे पास सम्राज्ञी विक्टोरिया के पत्रों का उदाहरण है। वह हमारे पास साक्ष्य रूप में है कि बिना किसी विधि प्रदत्त अथवा सांवैधानिक अधिकार के एक चतुर शासक प्रधानमंत्री को विभिन्न सुझाव देकर किस प्रकार मंत्रिमंडल के विनिश्चयों पर पूरा-पूरा प्रभाव डाल सकता था। अत: मैं निवेदन करता हूं कि इस विधि प्रदत्त अधिकार से राज्यपाल को सुसज्जित करना आवश्यक नहीं है।

यह कहा जा सकता है कि आवश्यक चाहे यह न हो पर वांछनीय है। परन्तु इस बात का संकट है कि इससे मुसीबत पैदा हो सकती है। मान लीजिये कि राज्यपाल अपने विधि-प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करता है और मंत्री द्वारा किये गये विनिश्चय पर आपत्ति करता है। मानव प्रकृति जैसी है वैसी ही रहेगी, सम्बद्ध मंत्री इस बात पर अवश्य क्षुब्ध होगा। उसको आश्चर्य होगा कि राज्यपाल को किस प्रकार यह सूचना मिली। क्या उसके ऊपर कोई प्रहरी है अथवा क्या वहां कोई खुशामदी है? सन् 1935 के भारतीय सरकार के अधिनियम में सरकारी सचिव को सीधे राज्यपाल से मिलने का अधिकार था। जब इस विशिष्ट उपबंध पर हाउस आफ कामन्स में वाद-विवाद हुआ तो किसी ने राज्यपालों का मंत्रियों के प्रहरी के रूप में वर्णन किया। मसौदा-समिति ने बहुत ठीक किया कि सचिवों के राज्यपाल तक पहुंचने के इस अरुचिकर अधिकार को अस्वीकार किया। इन प्रहरियों के अभाव में मंत्री को आश्चर्य होगा कि राज्यपाल से किसने कहा। क्या कोई खुशामदी है? आज एक मंत्री इस हस्तक्षेप से क्षुब्ध होता है तो कल कोई अन्य मंत्री असंतुष्ट होगा। इस प्रकार यह हो सकता है कि कटुता बढ़े और मेरी राय में तो यह भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल और राज्यपाल में परस्पर जो हार्दिक सम्बन्ध होना चाहिये, उसमें इसके कारण गड़बड़ी उत्पन्न हो जाये।

और फिर यदि ऐसा विधि-प्रदत्त अधिकार है, तो शायद फ्रांस का राष्ट्रपति मिलरो जैसा महत्त्वाकांक्षी राज्यपाल इस अधिकार के दुरुपयोग करने अथवा आवश्यकता से अधिक उपयोग करने के प्रलोभन में आ सकता है। अत: मैं निवेदन करता हूं कि इस उपबंध का रखना अनावश्यक है और कम से कम इतना तो विचारणीय है ही कि क्या यह आवश्यक है कि इसको इसी रूप में रखा जाये, जिस रूप में यह विधान के मसौदे में है।

प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः श्रीमान्, इस आधार पर कि राज्यपाल मनोनीत हैं, अपने माननीय मित्र कामत के इस अनुच्छेद पर विरोध को मैं नहीं समझ सका। उन्होंने ही तो इस प्रस्थापना का समर्थन किया था। और वे ही अब यह कहे हैं कि चूंकि वे मनोनीत है, अतः उनको यह अधिकार नहीं होना चाहिये। राज्यपालों के मनोनीत होने के पश्चात् यदि इस धारा को निकाला जाता है, तो यह और भी अच्छा होगा कि राज्यपालों को ही हटा दिया जाये।

इस सभा ने जिस योजना को स्वीकार किया है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल मनोनीत किया जायेगा और हमने उसे स्वविवेक का अधिकार दिया है। राज्य के मुखिया के रूप में यदि राज्यपाल को यह विदित नहीं होता कि राज्य में क्या हो रहा है अथवा उसके मंत्रियों ने क्या विनिश्चय किया है, तो वह किस प्रकार राज्य के मुखिया के रूप में प्रकार्य कर सकता है?

***श्री एच.वी. कामतः** मुख्यमंत्री द्वारा।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** मुख्यमंत्री शायद उसे कुछ न बताये। अतः यह धारा आवश्यक है, जिससे कि राज्यपाल कम से कम यह जान सके कि राज्य में क्या हो रहा है।

इस योजना के अंतर्गत, जिसको मसौदा-समिति ने प्रस्थापित किया है, वे एक ऐसा राज्यपाल सोचते हैं, जो केन्द्र के राष्ट्रपति और प्रान्तीय सरकारों में सम्पर्क बनाये रखने वाला पदाधिकारी होने का प्रयत्न करे। वह इस बात पर ध्यान देने का प्रयत्न करेगा कि प्रान्तीय सरकार की नीति केन्द्रीय सरकार की योजना के अनुकूल है। अपने अच्छे ज्ञान तथा अनुभव के कारण वह मंत्रणालय को मंत्रणा देने तथा पथप्रदर्शन करने का प्रयत्न करेगा। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति केवल उन व्यक्तियों को मनोनीत करेगा, जिनको पूर्ण प्रशासन सम्बन्धी अनुभव हो, जो बुद्धिमान हों और जिनमें राज्यपाल होने के लिये आवश्यक राजनैतिक तथा बौद्धिक क्षमता हो, जिससे कि वे प्रान्तीय मंत्रिमंडल का ठीक पद-प्रदर्शन कर सकें। राज्यपाल को दलबंदी से अपने आपको दूर रखना होगा और इस प्रकार से ही उसकी स्थिति अधिक महत्त्वपूर्ण तथा प्रभावी होगी। यदि उसे, जैसा कि सुझाया गया है, अपने मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने अथवा उसके नाम से राज्य में जो कुछ हो रहा है, उसे जानने तक का हक नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूं कि उसका रखना उचित है।

श्री गुप्ते ने खंड (ग) पर आपत्ति की है। उन्होंने यह अनुभव किया है कि यदि मंत्री के विनिश्चय को लौटने का हक राज्यपाल को है, तो इसके कारण मनोमालिन्य बढ़ सकता है। व्यक्तिगत रूप में मैं यह अनुभव करता हूं कि नई योजना के अंतर्गत

[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना]

राज्यपाल समूचे मंत्रिमंडल का विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। खंड में केवल यह कहा गया है कि यदि कोई मंत्री अपनी जिम्मेदारी पर कोई महत्त्वपूर्ण विनिश्चय करता है और यदि उस पर सम्पूर्ण मंत्रिमंडल ने विचार नहीं किया है, तो वह यह इच्छा प्रगट करेगा कि उस विषय पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाये। श्री गुप्ते ने यह शिकायत की कि मंत्री को इस बात पर आश्चर्य हो सकता है कि उसके विनिश्चयों के बारे में राज्यपाल को कैसे जानकारी हुई। खंड (ख) के अधीन यह (राज्यपाल) स्वयं प्रधानमंत्री से सूचना मंगा सकता है। यह सोचने के लिये कोई कारण नहीं है कि कोई चुगलखोर हो अथवा कुछ ऐसे लोग हों जो मंत्री से छिप कर राज्यपाल के पास जाते हों। राज्यपाल दौरा भी करता रहेगा और अपने व्यक्तिगत अनुभव द्वारा भी बहुत सी बातें जान जायेगा। जिस योजना को इस सभा में स्वीकार किया है, उसके अंतर्गत राज्यपाल को इस रीति द्वारा मनोनीत किया जायेगा कि वह मंत्रिपरिषद् से अपनी उच्च बौद्धिक क्षमता तथा ठोस प्रशासन ज्ञान और मंत्रणा द्वारा सम्मान प्राप्त कर सके। फिर तो मंत्री राज्यपाल में विश्वास करेंगे और प्रान्त की उन्नति अथवा उसके वास्तविक हितों की वृद्धि के लिये स्वयं संलग्न होंगे।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि इस अनुच्छेद पर हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य संक्षिप्त रूप में अपने भाषण दें।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान्, हमारे मन साफ हैं। जहां तक इस एक बात का सम्बन्ध है कि जो राज्यपाल नियुक्त किया जायेगा, वह अपनी स्थिति में प्रान्त का प्रथम नागरिक होगा; यद्यपि जहां तक सुप्रशासन तथा विधि और व्यवस्था के पोषण का सम्बन्ध है उसे कोई कार्यपालिका शक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि यह तथ्य निश्चित है, हमें यह जानना चाहिये कि इस अनुच्छेद का क्या निर्वाचन है। इसमें सन्देह नहीं कि खंड (क), (ख) और (ग) कुछ गड़बड़ी सी पैदा करते हैं और इस बात को मैं मानने के लिये तैयार हूं। खंड (क) के अधीन प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य है, मुख्यमंत्री के लिये यह आवश्यक है कि राज्यपाल उससे जो सूचना चाहते हैं वह उनको दे। यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है, कि यदि मुख्यमंत्री यह समझे कि सूचना मंगाने का राज्यपाल को हक नहीं है, तो वह सूचना देने के लिये मना कर सकता है, क्योंकि प्रान्त का प्रशासी मुखिया वही है। परिणाम यह होगा कि शायद कुछ संघर्ष हो जाये। संघर्ष से बचने के लिये मुख्यमंत्री को यह स्वतंत्रता है कि वह राष्ट्रपति को शिकायत करे और राष्ट्रपति इस विषय में हस्तक्षेप कर सकेगा।

खंड (ग) के संबंध में उन व्यक्तियों द्वारा जो इसके विरोध में हैं, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि राज्यपाल के लिये यह अपेक्षित होगा कि वह किसी विषय को, जिस पर मंत्री द्वारा विनिश्चय कर लिया गया है, पर मंत्रिमंडल द्वारा उस पर विचार नहीं किया

गया है, मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजे। श्री गुप्ते पूछते हैं कि राज्यपाल यह किस प्रकार जाने की मंत्री ने क्या किया है। कोई भी फाइल जो राज्यपाल के पास भेजी जाती है, उसमें एक पूर्ण टिप्पणी रहती है कि किसी वाद-विषय पर मंत्री ने विचार किया है या मंत्रिपरिषद् ने।

***श्री बी.एम. गुप्ते:** प्रत्येक मंत्री की फाइल उसके पास नहीं जायेगी।

***श्री आर.के. सिधवा:** यह प्रथा सर्वत्र विद्यमान है। प्रत्येक फाइल राज्यपाल के पास हस्ताक्षरों के लिये जाती है। संविधान में यह कहा गया है कि सब आदेश राज्यपाल के नाम से दिये जायेंगे, अत: रस्मी तौर से सारी फाइल उसके पास जाती हैं न कि केवल एक कागज। अपने हस्ताक्षर करने के पूर्व उसे सारी फाइल को देखना पड़ेगा।

***श्री एच.वी. कामत:** कोई फाइल उसके (राज्यपाल के) पास तभी जायेगी, जब किसी विषय पर समूचे मंत्रिमंडल ने विचार कर लिया है, न कि किसी मंत्री का विनिश्चय उसके पास जायेगा।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्तप्रांत : जनरल): सिन्ध में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे यहां प्रान्तों में ऐसा नहीं होता।

***श्री आर.के. सिधवा:** यदि उनके पास फाइल नहीं जाती है तो वह उसे मंगा सकता है। वह कह सकता है—''मैं यह जानना चाहूंगा कि हस्ताक्षर करने के पूर्व मुझे क्या कहना है।'' किसी विभाग का मुखिया चैक पर हस्ताक्षर करता है, जो एक रस्मी काम है, पर जहां तक उसके हस्ताक्षर का सम्बन्ध है उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ती हैं। आप यह नहीं कह सकते कि यह फाइल नहीं मंगा सकता है और इस कारण यह प्रश्न नहीं उठता है। मान लीजिये कोई मंत्री ऐसी विनिश्चय करता है, जिस पर राज्यपाल को कोई संदेह होता है और वह सोचता है कि इस विषय पर समूचे मंत्रिमंडल का विचार होना चाहिये, तो उस विषय पर मंत्रिमंडल द्वारा पुन: विचार करने के हेतु कहना उसके लिये ठीक बात होगी। मुझे ऐसे उदाहरण मालूम हैं जिनमें किसी मंत्री ने कोई विनिश्चय किया और राज्यपाल के कहने पर मंत्रिमंडल ने उस पर पुन: विचार किया और उन्हें उसको बदलना पड़ा। इसमें कोई दोष नहीं है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल उससे यह भी कह सकता है कि मंत्री ने बिल्कुल ठीक किया है। अत: खंड (क) और (ख) की अपेक्षा खंड (ग) अधिक न्यायपूर्ण है, क्योंकि कभी-कभी मैंने यह देखा है कि अपने वैयक्तिक निर्णय के आधार पर मंत्री कुछ आदेश निकालता है और उन्हें राज्यपाल के पास भेजता है। वह कोई झगड़े का विषय हो सकता है, जिसके बारे में राज्यपाल सच्चे हृदय से यह सोचे कि यह प्रान्त और उसके निवासियों के हित में है कि इस विषय पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाये। तो ऐसा करने के लिये वह पूर्णरूप से न्याययुक्त है। अत: यद्यपि

[श्री आर.के. सिधवा]

खंड (क) और (ख) में तो कुछ भाषा सम्बन्धी सुधार की गुंजाइश है, पर खंड (ग) जिस पर ज्यादा जोर दिया गया है, उसे तो रहने देना चाहिये।

***श्री विश्वनाथ दास** (उड़ीसा : जनरल): श्रीमान्, मुझे खेद है कि आपकी इस मंत्रणा के होते हुये भी कि इस अनुच्छेद पर चर्चा कम करके शीघ्र विनिश्चय किया जाये, मुझे यहां आना पड़ा। वह इसलिये कि मैंने सोचा कि माननीय सदस्यों से मत लेने के पूर्व उनको इस अनुच्छेद के एक पहलू को पूर्ण स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये। इस समय यह जान लेना अच्छा है कि प्रान्त के राज्यपाल को हम क्या-क्या शक्तियां तथा उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं। मसौदा-समिति की कठिनाई को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, जब कि उन्हें इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जिसमें ऐन वक्त पर उनके समक्ष आमूल परिवर्तन रख दिये गये। यदि यही कठिनाई है, तो विचार करने के लिये वे सुविधापूर्वक समय ले सकते थे।

मेरे मित्र श्री देशबन्धु ने कहा कि राज्यपाल निदेश तथा मंत्रणा देने के लिये है। यदि मसौदा-समिति तथा सभा के विचारशील नेताओं का यही विचार है, तब तो मैं समझता हूं कि अनुच्छेद 147 में दी हुई शक्तियां ही नहीं वरन् कुछ और अधिक भी आवश्यक है।

इस सभा में हमें जिस प्रश्न पर विचार करना है, वह यह है कि राज्यपाल सांवैधानिक मुखिया हो अथवा एक ऐसा राज्यपाल जो मंत्रणालय को मंत्रणा देने का और मंत्रणालय सम्बन्धी विचार और कार्य को ठीक रूप देने का कार्य करे। यदि उसका अनुवर्ती रूप है और यदि उसे प्रशासन को सुधारने और स्तर को ऊंचा उठाने में हस्तक्षेप करना है, तो यह शक्ति अस्वाभाविक नहीं है, वरन आवश्यक है। जो कुछ मैं जानना चाहता हूं तथा जिसके जानने की मांग करने का इस सभा को अधिकार है, वह यह है कि इस अनुच्छेद का आधार क्या है? इस अनुच्छेद का मसौदा एक भिन्न वातावरण तथा परिस्थिति में कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखते हुये बनाया गया था और वे यह थीं कि वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन होगा। पर अब स्थिति बदल गई।

इस समय मैं माननीय सदस्यों का ध्यान खंड (ख) की ओर आकर्षित करूंगा, जिस में यह कहा गया है:

> ''to furnish such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for litigation as the Governor may call for.''

मैं स्वयं यह नहीं समझ पाता हूं कि राज्यपाल जो संविधान पर अटल है और जो सांवैधानिक मुखिया होगा वह प्रशासन सम्बन्धी विषयों में क्यों पढ़े। यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या राज्यपाल को विधान की प्रस्थापनाओं की जानकारी होनी चाहिये। यहां फिर मैं यह कहता हूं कि उपबंध यह बनाया गया है कि मंत्रिपरिषद् की कार्यवाही राज्यपाल को संचारित की जाये। यह भी कि समस्त विधान जो विधानमंडल द्वारा स्वीकृत अथवा पारित किया गया है, उसे राज्यपाल की अनुमति के लिये उसके पास भेजना चाहिये। अत: राज्यपाल को यह जानने के लिये कि क्या विधान बनने वाला है और उसकी रूपरेखा क्या है, पूरा-पूरा अवसर दिया गया है। ऐसा होने से खंड (ख) पूर्णतया अनावश्यक प्रतीत होता है। परन्तु यदि सभा की यह इच्छा है कि सरकार प्रशासन के विषय में राज्यपाल का भी हाथ रखे, तब तो यह उपबंध न्याययुक्त है। इस अनुच्छेद पर चर्चा करते समय यदि मैं चौथी अनुसूची की ओर ध्यान आकर्षित न करूं, जिसमें अनुदेश लिखित की व्यवस्था की गई है, तो यह एक अन्याय होगा। राज्यपाल को दिये गये अनुदेश लिखित कोई विधायी बल अथवा विधि द्वारा मान्यता नहीं है। वह चाहे कुछ भी हो, चाहे वह पहाड़ी का धर्मोपदेश हो अथवा चाहे वह कोई वास्तविक बात हो, वह राज्यपाल को कुछ प्रशासी कार्य करने की गुंजाइश देता है। मैं विशेषकर कंडिका 4 का उल्लेख करता हूं जिसमें यह कहा गया है:

> ''राज्यपाल सुप्रशासन के स्तर को बनाये रखने, नैतिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण की वृद्धि हेतु समस्त साधनों में उन्नति करने और लोक-जीवन तथा राज्य सरकार में अपना-अपना उचित भाग प्राप्त करने के हेतु जनसंख्या के सब वर्गों को उचित सुविधा देने के लिये जो कुछ उसके अधिकार में है, वह सब करेगा...''

राज्यपाल के निर्वाचन अथवा चुनाव की रीति में परिवर्तन करने के पश्चात् क्या सभा उसको ये शक्तियां सौंपना चाहती है? यदि ऐसा है तब तो मैं इसके आधार को समझ सकता हूं और यह कहूंगा कि खंड (ख) पूर्णतया न्याययुक्त है। इस कारण मैं समझता हूं कि जो लोग इस अनुच्छेद को पारित करने के लिये इस सभा में अगुआ बनने के जिम्मेवार है, उन पर माननीय सदस्यों को यह समझाने का भी उत्तरदायित्व है कि राज्यपाल और सरकार में जो सम्बन्ध होना चाहिये, उसके प्रति उनके मन में क्या विचार है और उनमें परस्पर झगड़ा किस प्रकार से न होने दिया जायेगा तथा निपटाया जायेगा।

अपनी ओर से मैं आपको अपने थोड़े से अनुभव का वर्णन करूं। मुझे अब भी वे दिन याद हैं जब कि झगड़े के विषय उत्पन्न होते थे और राज्यपाल किसी प्रकार एक निष्पक्ष व्यक्ति होने की सदैव सावधानी रखता था और कहता था कि अनुमति की शक्ति होने के कारण झगड़े के विधान में मंत्रिमंडल को उसे कोई सम्मति नहीं देनी है। यदि यही दशा है तब तो उसे इस बात की सूचना पहले देने में कोई आशय नहीं है कि पक्ष के नेता अथवा मंत्रिमंडल का क्या विधायी कार्यक्रम है। मैं विशेषतया यह अनुमान

[श्री विश्वनाथ दास]

करता हूं कि कुछ समय में जैसे-जैसे इस संविधान का क्रियाकरण होगा, तो सम्भव है कि केन्द्र में और राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार के राजनैतिक कार्यक्रम और आदर्शवाद को लेकर पक्षों के प्रादुर्भाव लिए क्षेत्र हो। ऐसी दशाओं में केन्द्र के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत राज्यपाल राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा, जिसका मुखिया किसी अन्य राजनैतिक पक्ष का व्यक्ति है, पूर्णतया स्वीकार न हो। ऐसी परिस्थिति में यदि राज्यपाल को प्रशासन में कठिनाई उत्पन्न करने की शक्ति दी जाती है, तो संघर्ष से कदापि नहीं बच सकते।

अन्त में मैं सभा के समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि 1935 के भारतीय सरकार के अधिनियम में राज्यपाल को हस्तक्षेप करने के लिये और प्रान्तीय सरकार द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिये यथेष्ट शक्तियां सौंपी गई थी। यह कहना चाहिये कि नकेल उसके हाथ में थी। परन्तु यदि एक बार भारत के प्रधानमंत्री की मंत्रणा पर राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त कर देता है, तो जब तक वह स्वयं पदत्याग न करे, तब तक इस संविधान में उस पर नियंत्रण रखने के लिये कोई बात नहीं है। अत: मैं अनुभव करता हूं कि आप एक ऐसा राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, जो नैतिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हो। प्रतीक के रूप में अथवा केन्द्र या राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन उसे परिसीमित करने के लिये इस समय विधि में कुछ भी नहीं है। अत: माननीय सदस्यों का यह पूछना ठीक है कि क्या आप राज्यपाल में अधिक व्यापक क्षेत्र की शक्तियां निहित कर रहे हैं, जिनसे वह दुष्टता करने में समर्थ हो और साथ ही साथ राष्ट्रपति या गणराज्य के प्रधानमंत्री में उस पर नियंत्रण करने की कोई शक्ति निहित करने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): श्रीमान्, अनुच्छेद 147 में राज्यपाल की शक्तियों पर जो आपत्ति की गई है, उनको मैं नहीं समझ सकता हूं। इस सभा ने यह स्वीकार कर लिया है कि प्रान्तों में एक राज्यपाल होगा—और यह स्वीकार करना बिल्कुल ठीक है। जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है यह आवश्यक नहीं है कि राज्यपाल प्रतीकमात्र हो और न यह आवश्यक है कि वह लोगों की जलपान और व्यालू कराने वाला एक श्रेष्ठ यजमान ही हो। उसे कुछ राजनैतिक प्रकार्य करने होंगे और राजनैतिक प्रकार्य ही उसे सांवैधानिक मुखिया का रूप देते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों का, जिन्होंने भाषण दिये हैं, यह विचार है कि एक सांवैधानिक मुखिया के लिये कोई प्रकार्य नहीं है और मुख्यमंत्री अथवा मंत्रियों को अपनी मंत्रणा से लाभ दिये बिना तथा सरकारी कार्यों पर एक निष्पक्ष दर्शक के रूप में विचार बतायें बिना

जो कुछ वे करते हैं, उस पर पृष्ठांकन करने के अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं करना है। जिस सरकारी व्यवस्था को हमने विचारा है, वह ब्रिटिश संविधान के आदर्श पर है। अनुच्छेद 147 उस अनुच्छेद 65 की पुनरावृत्ति है, जिसे हम केन्द्र के राष्ट्रपति के प्रति स्वीकार कर चुके हैं। इस संविधान में सरकार का उत्तरदायित्व यदि कुछ है तो प्रान्तों की अपेक्षा केन्द्र में यह अधिक व्यापक तथा दृढ़ है। इस विचार के कारण मैं नहीं समझ सकता हूं कि उन्हीं शक्तियों के सम्बन्ध में बार-बार क्यों आपत्ति की जाती है।

मेरे मित्र श्री गुप्ते ने उपखंड (ग) का उल्लेख किया था और यह प्रश्न किया था कि राज्यपाल यह सूचना कहां से प्राप्त करेगा? यदि आप उपखंड (ख) को पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है:

> ''It shall be the duty of the Chief Minister of each State to furnish such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as the Governor may call for.''
>
> (प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि राज्य-कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को राज्यपाल मंगावे, उसको दे।)

इस खंड के अंतर्गत राज्यपाल को महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी मंगाने के लिये मुख्यमंत्री से कहने का अधिकार होगा और यदि वह यह समझता है, कोई विनिश्चय समूचे मंत्रिमंडल द्वारा नहीं किया गया है, वरन् किसी एक मंत्री द्वारा किया गया है और उस पर समस्त मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार अपेक्षित है तो उस पर पुनर्विचार कराने के लिये खंड (ग) उसको शक्ति देगा। इसमें क्या दोष है? जब कोई मंत्री अपने साथियों से छिपा-कर कोई काम करता है और मुख्यमंत्री से छिपाकर कोई काम करता है, जिस पर मंत्रियों के समस्त कार्यों की जिम्मेदारी है, तो राज्यपाल यह क्यों नहीं कह सकता है कि ''यह एक विशिष्ट आदेश है। मैं समझता हूं कि यह बड़ा महत्त्वपूर्ण विषय है। मैं चाहता हूं कि सामूहिक उत्तरदायित्व होने के कारण सब मंत्री एक स्थान पर समवेत हों और इस पर विचार करें?'' यदि वे स्वीकार करते है; तो वह भी उनकी मंत्रणा को अवश्य स्वीकार करेगा। उनकी बात काटने का उसे अधिकार नहीं है यह केवल सावधानी का विषय है कि सांवैधानिक मुखिया के मत से यदि कोई विनिश्चय ऐसा है, जिस पर समस्त मंत्रिमंडल का विचार करना न कि केवल एक मंत्री का विचार आवश्यक है, तो उसको इस प्रकार लिया जाये। अत: यह एक रक्षाकवच है, जो सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री की शक्तियों

[श्री के.एम. मुंशी]

की रक्षा करता है, तथा वह कोई शक्ति नहीं है, जो शासन में हस्तक्षेप करती हो। अतः यह शंका कि यह अनुच्छेद इस प्रकार से हस्तक्षेप करेगा, पूर्णतया निराधार है।

इसके पश्चात् अपने माननीय मित्र श्री विश्वनाथ दास के सम्बन्ध में मुझे एक मनोवैज्ञानिक का दावा याद आता है कि जब एक शिशु अपने जीवनारम्भ में कोई धारणा कर लेता है तो वह जीवनपर्यन्त बनी रहती है। मेरे मित्र श्री विश्वनाथ दास, जब वे 1908 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उनको बहुत ही बुरा राज्यपाल मिला था और उस समय उनकी जो धारणा राज्यपालों की शक्तियों के बारे में हुई वह दस वर्ष के पश्चात् भी बनी हुई है। वे भूल जाते हैं कि 1938 में भी बहुत से ऐसे राज्यपाल थे, जो अक्षरशः सांवैधानिक स्थिति ग्रहण किये हुये थे और जो इंग्लैंड में अपने संसदीय जीवन के अनुभव के कारण जब कभी मंत्रियों से कुछ विचारों पर पुनर्विचार करने के लिये कहते थे। यह बहुत लाभदायक था। विशेषकर मैं सर रोजर लूमले को निर्दिष्ट कर रहा हूं, जो उस समय बम्बई के राज्यपाल थे। नई शासन-व्यवस्था में हमें पुरानी धारणा को नहीं लाना चाहिये। नये राज्यपाल को सिवाय सांवैधानिक मुखिया होने के और कोई शक्ति नहीं है उसका केन्द्र द्वारा मनोनयन होगा। प्रान्त में जो कुछ हो रहा है उसका वह एक निष्पक्ष दर्शक होगा। अपनी सरकार के गौरव, उसकी दृढ़ता और सामूहिक उत्तरदायित्व का पोषण करना उसका प्रकार्य है। इस सीमित क्षेत्र में वह कुछ प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। इस प्रभाव का वह तभी प्रयोग कर सकता है जक कि उसे वे परिसीमित शक्तियां दी जायें। सभा को मैं यह कहूंगा कि चूंकि हम ब्रिटिश आदर्श का अनुकरण कर रहे हैं, इसलिये हमें यह भी विचार करना चाहिये कि वहां सांवैधानिक मुखिया के क्या कर्त्तव्य और प्रकार्य है।

***श्री विश्वनाथ दासः** श्री मुन्शी ने मेरी जो आलोचना की है, उसे मुझे स्वीकार करने दीजिये, क्योंकि उनसे मैं चिन्तित नहीं होता, पर मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न मैंने उठाये हैं उनका वे उत्तर दें।

***श्री के.एम. मुन्शीः** मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्यपाल की स्थिति पर इंग्लैंड के सांवैधानिक मुखिया के रूप को दृष्टिकोण में रखते हुये विचार किया जाये। सभा के हितार्थ जिस प्रकार लार्ड एसक्विथ ने, जो अपने जीवन काल में कमजोर प्रधानमंत्री नहीं समझा गया था, इंग्लैंड के राजा की स्थिति की व्याख्या की है, उसको मैं पढ़ कर सुनाऊंगा। इंग्लैंड में सांवैधानिक मुखिया की स्थिति की परिभाषा उनकी यह है:

> ''अब यह परम्परा सुव्यवस्थित है कि अन्त में राजगद्दी पर बैठने वाला अपने मंत्रियों की मंत्रणा स्वीकार करता है और उसके अनुसार कार्य करता है...। उसको जो सुसंगत सूचना मिलती है, उस सब को अपने मंत्रियों को देने का हक और इसके लिये वह बाध्य है।''

अत: बात यह नहीं है कि अपने मंत्रियों से उसे जो कुछ सूचना मिलती है, उसके अतिरिक्त उसे कोई सूचना नहीं मिल सकती।

''उन आपत्तियों को बताना, जो जिस प्रणाली के सुझाव की वे मंत्रणा देते हैं, उसके विरुद्ध वे उसे मान्य प्रतीत होती है। यदि वह ठीक समझता है तो कोई कल्पिक नीति बताना। ऐसी शिक्षायें अति सम्मान के साथ मंत्रियों द्वारा ग्रहण की जाती हैं और उन पर उसकी अपेक्षा अधिक आदर और श्रद्धा के साथ विचार किया जाता है, जब कि वे किसी अन्य क्षेत्र से आती। पर अन्त में सम्राट सदैव उस मंत्रणा के अनुसार कार्य करता है, जिस का प्रदान करना (यदि अवश्य है तो) पुनर्विचार के पश्चात् मंत्री अपना कर्त्तव्य समझ कर मंत्रणा देते हैं कि संसद द्वारा उसका ब्यौरा देने के लिये उन्हें आमंत्रित किया जा सकता है और कदाचित् किया भी जायेगा।''

अत: इंग्लैंड में सांवैधानिक मुखिया नाममात्र का नहीं है। वह प्रतीक मात्र नहीं है। अपने मंत्रियों को मंत्रणा देने का उसके पास महत्त्वपूर्ण कार्य है।

***श्री एच.वी. कामत:** श्रीमान्, सूचना प्राप्त करने का प्रश्न है, क्या मैं श्री मुन्शी से यह पूछ सकता हूं कि क्या संसार के किसी लिखित संविधान में किसी सांवैधानिक मुखिया को ये शक्तियां सौंपी गई हैं जो अनुच्छेद 147 में हैं?

***श्री के.एम. मुन्शी:** जहां तक इस संविधान का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा था अपने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये जहां तक हमसे हो सका है, हमने ब्रिटिश आदर्श को ग्रहण करने की कोशिश की है, अत: प्रान्त के सांवैधानिक मुखिया और राष्ट्रपति को उसी स्तर पर रखना चाहिये जिस पर इंग्लैंड का सांवैधानिक मुखिया हैं। श्रीमान्, प्रान्तों में अनेकों अल्पसंख्यक वर्ग होंगे और राज्यपाल का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि सरकारों द्वारा पालन की गई साधारण रीतियों में संतुलन हो। यह इस प्रकार हो सकता है। बहुसंख्यक वर्ग के पक्ष का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री को कुछ नीतियों का परिचालन करना होगा। उसे यह विदित हो सकता है कि उन नीतियों को अल्पसंख्यक वर्ग स्वीकार नहीं कर सकता है, परन्तु राज्यपाल अपने प्रधानमंत्री पर प्रभाव डाल कर पक्षों में कुछ मेल पैदा कर सके, जो इंग्लैंड में ''अध्यक्ष पद से छिपा कर'' कहा जाता है। अत: उसको अपने मंत्रियों से कुछ कार्यक्रमों पर पुन: विचार करने के लिये निवेदन करने का अधिकार होना चाहिये। यह सच है कि अन्त में उसे अपने मंत्रियों की मंत्रणा स्वीकार करनी ही चाहिये। यदि प्रधानमंत्री अंत में यह कह देता है कि ''मेरी यह नीति है, मेरी यह मंत्रणा है'' तो राज्यपाल को वे स्वीकार करनी पड़ेगी, पर उस स्थिति तक पहुंचने के पूर्व उसके पास विनिश्चयों पर प्रभाव डालने के लिये पर्याप्त क्षेत्र है।

***श्री विश्वनाथ दास:** मुझे खेद है कि मैं बाधा डाल रहा हूं। क्या श्री मुन्शी ईमानदारी के साथ यह विश्वास करते हैं कि प्रान्त में राज्यपाल की स्थिति इंग्लैंड की कार्यपालिका से कोई सम्बन्ध अथवा कोई समानता रखती है? यह हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि क्या वे यह नहीं जानते हैं कि इंग्लैंड में राजा की यह भी स्थिति नहीं है कि वह शाही मुद्रा का प्रयोग कर सके, उसका प्रयोग लार्ड प्रीवी सील करता है? अत: वे किस प्रकार इंग्लैंड के राजा तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलना प्रान्तीय राज्यपाल और उसके मंत्रिमंडल से करते हैं?

***श्री के.एम. मुन्शी:** इस अनुच्छेद के विरुद्ध यह जो आपत्ति उठाई जाती है मैं उसको नहीं समझ पाता हूं। हम इस देश में लोकतंत्र की स्थापना चाहते हैं। हम इस प्रकार की शासन-व्यवस्था करना चाहते हैं, जो न्यूनाधिक रूप में, ब्रिटिश आदर्श पर हो। ऐसे होने से इंग्लैंड के सफल प्रयोगों के अनुसरण करने में हमें किसी बात से बाधा नहीं होनी चाहिये। हम कोई नया प्रयोग नहीं कर रहे हैं यदि अपने मंत्रियों पर प्रभाव डालने अथवा उनके विनिश्चयों पर उनसे पुनर्विचार करने के लिये कहने तक का प्रकार्य राज्यपाल का नहीं है तो केवल यही विकल्प है, जिसको दो साल पूर्व सुझाया गया था; पर वह अस्वीकार कर दिया गया था, कि एक बार निर्वाचित किया हुआ प्रधानमंत्री सांवैधानिक मुखिया हो और अपने पांच वर्ष की पद-अवधि पर्यन्त प्रान्त की सरकार का पूर्णरूप से स्वामी हो। यदि अपने मंत्रिमंडल पर राज्यपाल अपने प्रभाव का प्रयोग करता है तो इसमें कुछ भी हानि नहीं है वरन् बड़ा लाभ है। जैसा कि मैंने कहा था अभी प्रान्तों में केवल एक ही पक्ष है, पर ऐसा समय आ सकता है, जब अनेक पक्ष हो जायेंगे और जब मुख्यमंत्री संकटकाल में परस्पर दलों में समझौता करने और नीतियों का समन्वय करने में असफल होगा। ऐसे समय में राज्यपाल की बहुत आवश्यकता होगी और इस विचार बिन्दु के कारण मैं निवेदन करता हूं कि जो शक्तियां यहां दी गई हैं, वे एक सांवैधानिक मुखिया के लिये वैध शक्तियां हैं और लोकतंत्र के शांत संचालन के लिये वे अत्यन्त आवश्यक हैं तथा स्वयं मंत्रियों के लिये वे बहुत लाभदायक होंगी; क्योंकि ऐसी दशा में वे एक ऐसे व्यक्ति से गुप्त सूचना और मंत्रणा प्राप्त कर सकेंगे, जो उनसे पूर्णतया एकीकरण स्थापित करते हुए भी अन्य दलों से मिलता है। इस विचार बिन्दु से ये शक्तियां, जिनको हमने राज्यपाल के लिये स्वीकार किया है, अत्यन्त आवश्यक हैं और इनको बने रहने देना चाहिये।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी** (आसाम : जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यदि अनुच्छेद 147 को स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारे भावी संविधान में यह एक कलंक के रूप में रहेगा। श्रीमान्, जिस प्रकार से कंडे का एक टुकड़ा दूध के समूचे बर्तन को गंदा कर देता है उसी प्रकार यह विशिष्ट उपबंध हमारे समस्त संविधान को गंदा कर देगा। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोल रहता हूं और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अरुचिकर उपबंध है और यह उपबंध प्रान्तीय प्रशासन में संघर्ष पैदा करेगा। प्रथम प्रश्न जिसे आपको स्मरण रखना चाहिये, वह यह है कि प्रान्त में मुख्यमंत्री

सर्वाधिक प्रभावी व्यक्ति है या राज्यपाल। क्या आप एक क्षण के लिये भी इस बात को अस्वीकार कर सकते हैं कि प्रान्त में नि:संदेह मुख्यमंत्री ही प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति है, सिवाय कुछ विषयों के जो संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के स्वविवेक के अधीन होंगे? तो फिर क्या यह कहना ठीक है कि मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह कुछ कार्य करे अथवा कुछ सूचना राज्यपाल को दे? उदाहरणार्थ, मुझे इस अनुच्छेद के प्रथम खंड को उठाने दीजिये। उसमें कहा गया है कि ''मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि मंत्रिमंडल के राज्यकार्य के प्रशासन सम्बन्धी समस्त विनिश्चयों और विधान के लिये प्रस्थापनाओं की सूचना राज्यपाल को दे।'' यह एक ऐसा कार्य है जिसको सरकार के मुख्य सचिव पर छोड़ा जा सकता है और छोड़ा जाता है।

यदि किसी कारणवश मुख्य सचिव अथवा कार्यभारित सचिव मंत्रिमंडल की कार्यवाही की प्रति राज्यपाल के पास नहीं भेजता है तो क्या मुख्यमंत्री कर्त्तव्य न पालन करने का दोषी होगा? इस अनुच्छेद की रचना इस प्रकार होनी चाहिये—''राज्य-प्रशासन सम्बन्धी समस्त सूचना यदि वह राज्यपाल के अधिकार, शक्तियां और स्वविवेक पर प्रभाव डालती हैं तो राज्यपाल के पास भेजी जायेंगी।'' अन्य बातों की सूचना के लिये राज्यपाल का कोई सम्बन्ध नहीं हैं केवल उन्हीं विषयों की सूचना, जो उसके स्वविवेक पर प्रभाव डाल सकती हैं। उसके पास भेजी जा सकती है। मंत्रिमंडल का विनिश्चय राज्यपाल के पास भेजा जा सकता है, अन्य कोई विषय नहीं और वह भी साधारण कार्यालय की कार्यवाही पर छोड़ दिया जाये। जिसके द्वारा सूचना राज्यपाल के पास भेजी जाये। किसी भी मुख्यमंत्री को अपने कर्त्तव्यपालन में असफल न समझा जाये, यदि किसी कारणवश कार्यवाही की प्रतियां राज्यपाल के पास न भेजी जायें। इसके पश्चात् श्रीमान् खंड (ख) इस प्रकार पढ़ा जाता है:

> ''To furnish such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as the Governor may call for.''
>
> (राज्य-कार्य के प्रशासन सम्बन्धी और विधान के लिये प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को राज्यपाल मंगावे, उसको दे।)

किसी सूचना मंगाने का उसको क्या अधिकार है? सूचना प्राप्त कर वह क्या कर सकता है? किसी सूचना, किसी फाइल अथवा किसी ऐसी वस्तु के मंगाने का उसका कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान प्रबंध में भी ऐसा कोई उपबंध नहीं है। सब फाइलें मुख्यमंत्री को जाती हैं। उसका ऐसा कोई कर्त्तव्य नहीं है कि वह कुछ बातों को राज्यपाल के पास भेजे। मैं समझता हूं कि समस्त खंड की बहुत ही बुरी रचना है और इस खंड की इस प्रकार की रचना की जानी चाहिये थी।

[श्री रोहिणी कुमार चौधरी]

''राज्य-कार्य के प्रशासन सम्बन्धी किसी सूचना को राज्यपाल मंगा सकता है और यदि मुख्यमंत्री के मतानुसार राज्यपाल के उचित कर्त्तव्य-पालन के लिये ऐसी सूचना आवश्यक है, तो वह उसको दी जायेगी।''

अन्य सब विषयों में राज्यपाल का कोई कर्त्तव्य नहीं है। केवल वही सूचना, जो उसे अपने कर्त्तव्य पालन में सहायता करे, उसके पास भेजी जाये। मुझे भय है कि इस खंड की दु:खद रचना की गई है। यह प्रतीत होता है कि मानो राज्यपाल वही राज्यपाल है, जो ब्रिटिश शासक का प्रतिनिधि था और इसी कारण मुख्यमंत्री उसके अधीन रखा गया है और उसे उसके आदेशों का पालन करना होगा। पर वर्तमान संविधान, जिसका हम निर्माण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम यहां किसी व्यक्ति को न तो शासक के रूप में और न शासक के प्रतिनिधि के रूप में रख रहे हैं। एकाधिपति शासन-व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, यह तो लोकतंत्र का प्रश्न है। राज्यपाल को राज्य के उन कार्यों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, जो पूर्णतया मंत्रणालय के विचाराधीन हैं। वह केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि वह सूचना उसकी स्वविवेक शक्ति के प्रयोग करने के लिये आवश्यक हो तथा अन्य विषयों की सूचना वह मुख्यमंत्री से नहीं मांग सकता है और मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य भंग करना नहीं हो सकता, यदि वह राज्यपाल को कोई ऐसी सूचना न दे जो पूर्णतया उसके विचाराधीन है। यदि राज्यपाल कोई सुसंगति प्रकट कर सकता है, तो अवश्य ही वह सूचना उसको दी जायेगी, अन्यथा नहीं।

श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि इस अनुच्छेद का तीसरा खंड उसके सब खंडों से अधिक खतरनाक है उसमें कहा गया है—''किसी विषय को, जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर लिया हो किन्तु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल के अपेक्षा करने पर परिषद् के सम्मुख विचार के लिये रखना।'' ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनको मंत्रणालय द्वारा किया जाता है, हां यह अवश्य है कि उनको गैर-रस्मी परामर्श द्वारा किया जाता है। बहुत से ऐसे कार्य हैं, जिनको कोई विशिष्ट मंत्री करता है और यदि उसे कोई संदेह होता है, तो वह बहुधा मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। मुख्यमंत्री से यह कहने वाला कि इस विषय को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखो, राज्यपाल कौन है? वह ऐसा क्यों करे? मंत्री के रूप में मैंने कोई आदेश पारित कर दिया और जब मुझे यह विदित हुआ कि इसमें कुछ सन्देह है, तो मैंने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या वह आदेश ठीक है या नहीं। यदि मुख्यमंत्री यह कह देता है कि वह ठीक है, तो मैं उस आदेश को पारित कर देता हूं। वह आदेश बहुत जरूरी है और उस आदेश पर शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये। ऐसे आदेश से राज्यपाल को क्या सम्बन्ध? इस विषय पर पुनर्विचार करने के लिये राज्यपाल मुख्यमंत्री से किस प्रकार कह सकता है? उसकी शक्तियों के क्षेत्र में वह बिल्कुल ही

न हो और उस पर पुनर्विचार किया ही क्यों जाये? श्रीमान्, उदाहरणार्थ, मान लीजिये कि न्यायमंत्री मृत्यु-दंड का परिहार करता है; समस्त विषयों पर विचार कर वह ऐसा करता है। उसने मुख्यमंत्री से भी परामर्श कर लिया है, परन्तु उसका विनिश्चय सचिव की मंत्रणा के विरुद्ध है और सचिव यह करता है कि वह राज्यपाल के पास जाता है और कहता है–''यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मृत्यु-दंड परिहार किया जा रहा है और आपको चाहिये...

***अध्यक्ष:** इस संविधान में वह उपबंध कहां है, जो मंत्री को क्षमा प्रदान करने की शक्ति देता है?

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** श्रीमान्, आपकी बात ठीक है, परन्तु मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। आखिरकार मंत्री उस आदेश को पारित कर देता है।

***अध्यक्ष:** इस संविधान के आधार पर नहीं।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** मैं एक और उदाहरण दूं। उदाहरणार्थ, मान लीजिये कि कुछ दुकानों, उत्पादन अथवा अन्य किसी वस्तु का मंत्रणालय द्वारा समझौता किया जाता है जो सचिव अथवा विभाग के मुखिया की इच्छा के विरुद्ध है और वे उस आदेश से सहमत नहीं होते हैं। इस विषय के पुनर्विचार के लिये वे राज्यपाल के पास पहुंचते हैं। वह आदेश मुख्यमंत्री से परामर्श करके पारित किया जा सकता था, परन्तु फिर भी राज्यपाल कहता है कि इस विषय पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाये—और समय बीत जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसे विषयों में राज्यपाल को क्यों हस्तक्षेप करने दिया जाये। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं और भी उदाहरण हो सकते हैं पर ऐसे विषयों में जिनसे राज्यपाल का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, जिनके सम्बन्ध में किसी विशिष्ट मंत्री ने मुख्यमंत्री से परामर्श कर आदेश पारित किये हैं, राज्यपाल को क्या अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से फिर यह कहे कि मंत्रिमंडल द्वारा इस विषय पर विचार हो? क्यों राज्यपाल ऐसा कहे? ऐसा करने से उस विषय में देर होती है और आदेश निष्फल हो जाता है। आप यह कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने गलती की, अत: यह एक ऐसा विषय है जिस पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाये। परन्तु राज्यपाल उन विषयों में मंत्री की गलती निकालने वाला कौन है, जो उसकी विशेष शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालते हैं? यह प्रश्न है जिसे मैं पूछना चाहूंगा। इस आधार पर कि वह मंत्री से सहमत नहीं होता है, अथवा इस आधार पर कि उसके पदाधिकारी मंत्रियों से सहमत नहीं होते हैं, राज्यपाल अपनी टांग अड़ाने वाला तथा मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिमंडल से किसी विषय पर पुनर्विचार करने के लिये कहने वाला कौन है? यह खंड बहुत खतरनाक है, यह खंड बड़ा ही खराब खंड है।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान्, यहां मैं यह कहूंगा कि कुछ प्रांतों में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से बिना परामर्श किये मंत्री राज्यपाल को कागज भेज देता है और उसे ऐसा करने दिया जाता है।

***श्री रोहिणी कुमार चौधरी:** यह दोषपूर्ण है। राज्यपाल क्यों हस्तक्षेप करे? मुख्यमंत्री वहां है और यदि वह देखता है कि कोई विशिष्ट मंत्री सरकारी नीति के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो वह कोई भी कागज मंगा सकता है, वह मंत्री को मंत्रणा दे सकता है या वह स्वयं आदेश पारित कर सकता है। यहां राज्यपाल का क्या काम है? मैं माननीय डाक्टर अम्बेडकर से निवेदन करूंगा कि जो कुछ मैंने कहा है, उस पर ध्यान देते हुये समस्त स्थिति पर पुनर्विचार करें। मुझे विश्वास है कि अन्य खंडों के बारे में हम चाहे जो कुछ कहें, खंड (ग) मंत्रिमंडल और राज्यपाल में संघर्ष तथा झगड़े पैदा करेगा।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना चाहिये कि इस अनुच्छेद 147 पर जो इतना उत्तेजनात्मक वाद-विवाद हुआ है उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है आरम्भ में ही मैं सभा को यह स्मरण कराना चाहूंगा कि यह अनुच्छेद 147 अनुच्छेद 65 की ठीक पुनरुत्पत्ति है, जिसको यह सभा पारित कर चुकी है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति को वही शक्ति प्रदान करता है, जिनका अनुच्छेद 147 में राज्यपाल को देना प्रस्थापित किया गया है। अत: मैंने सोचा कि जो वाद-विवाद उस समय हुआ था, जबकि अनुच्छेद 65 सभा के समक्ष था, वह अनुच्छेद 147 के प्रयोजन के लिये पर्याप्त था।

***श्री एच.वी. कामत:** क्या मैं माननीय डाक्टर अम्बेडकर को यह याद दिलाऊं कि राष्ट्रपति निर्वाचित है और राज्यपाल मनोनीत...(*बाधायें*)

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** चूंकि वाद-विवाद समाप्त हो चुका है और चूंकि सभा के बहुत से सदस्य यह समझते हैं कि इस अनुच्छेद 147 के पीछे अवश्य कोई बात ऐसी है, जो प्रान्त में मंत्रियों तथा मंत्रिमंडल की स्थिति को संकट में डाल देगी, इसलिये मैं कुछ व्याख्या करना चाहता हूं।

मैं यह चाहूंगा कि सबसे पहले सभा इस बात पर ध्यान दे। संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के लिये ऐसा कोई भी प्रकार्य नहीं है, जिसका वह स्वयं निर्वहन कर सकता हो। यद्यपि उसके लिये कोई प्रकार्य नहीं है पर उसे कुछ कर्त्तव्य पालन करने होंगे और मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा कि सभा इस अन्तर को ध्यान में रखे। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यह निश्चय है कि यह अनुच्छेद किसी विशिष्ट विषय पर मंत्रिमंडल के विनिश्चय को पलटने की शक्ति राज्यपाल को प्रदान नहीं करता है, बल्कि इसी अनुच्छेद

के अंतर्गत राज्यपाल के लिये अनिवार्य है कि वह मंत्रिमंडल की मंत्रणा को स्वीकार करे। मैं समझता हूं कि इस बात को हमें नहीं भुला देना चाहिये। कहीं भी इस अनुच्छेद में न खंड (क) में, न खंड (ख) में और न खंड (ग) में यह कहा गया है कि किसी विशेष परिस्थिति में राज्यपाल मंत्रिमंडल की बात पलट दे। अतः यह आलोचना, जो इस अनुच्छेद पर की गई है कि यह अनुच्छेद किसी प्रकार से मंत्रिमंडल के विनिश्चयों में हस्तक्षेप करने या उनको पलटने का अधिकार राज्यपाल को देता है, पूर्णतया विषय से परे है और पूर्णतया भ्रमात्मक है।

***श्री. एच.वी. कामतः** क्या वह उन विनिश्चयों को रोक अथवा उनमें बाधा नहीं डाल सकेगा...?

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** जब मैं बोल रहा हूं, उस समय मेरे मित्र मुझे बाधा न दें। अन्त में वे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि मेरी स्थिति ऐसी होगी कि मैं उत्तर दे सकूं, तो उत्तर दूंगा।

राज्यपाल के प्रकार्य और उसके कर्त्तव्यों में, जिनका उसे पालन करना होगा, विभेद कर दिया गया है। मेरा निदेवन यह है कि यद्यपि राज्यपाल के लिये कोई प्रकार्य नहीं हैं, परन्तु फिर भी क्योंकि वह सांवैधानिक मुखिया है, उसे कुछ कर्त्तव्यों का पालन करना होगा। मेरे विचारानुसार उसके कर्त्तव्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक यह है कि उसे मंत्रिमंडल को पदारूढ़; रखना होगा चूंकि उसके प्रसाद काल पर्यन्त मंत्रिमंडल पदारूढ़ रहेगा, अतः उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मंत्रिमंडल के विरुद्ध वह अपने प्रसाद का प्रयोग करे या नहीं और यदि करे तो कब। दूसरा कर्त्तव्य जो राज्यपाल का है और होना चाहिये, वह यह है कि वह मंत्रिमंडल को मंत्रणा दे, उसको चेतावनी दे, उसको कोई विकल्प सुझाये और पुनर्विचार करने के लिये कहे। मैं नहीं समझता हूं कि इस सभा में कोई व्यक्ति इस बात पर आपत्ति करेगा कि राज्यपाल पर यह कर्त्तव्य लादा जाये, क्योंकि अन्यथा राज्यपाल पूर्णतया अनावश्यक व्यक्ति होगा जिससे कोई लाभ नहीं। वह किसी पक्ष का नेता नहीं है; वह समूचे राज्य के रूप में लोक-प्रतिनिधि है। जनता के नाम में वह प्रशासन संचालन करता है। उसको यह देखना चाहिये कि प्रशासन इस प्रकार का हो, जिसको अच्छा, कुशल और ईमानदारी का प्रशासन समझा जाये। अतः इन दो कर्त्तव्यों पर विचार करते हुये जो राज्यपाल को पालन करने हैं अर्थात् प्रशासन पवित्र, भ्रष्टाचारहीन तथा निष्पक्ष हो और यह कि मंत्रिमंडल द्वारा की गई प्रस्थापनायें लोक-इच्छा के विरुद्ध नहीं हों, अतः इस कार्य के लिये मंत्रिमंडल को मंत्रणा देना, चेतावनी देना और पुनर्विचार के लिये कहना—मैं सभा से पूछता हूं कि जब तक राज्यपाल के समक्ष कुछ सूचना न हो, तब तक वह अपने कर्त्तव्य-पालन करने की स्थिति किस प्रकार ग्रहण कर सकता है? मैं निवेदन करता हूं कि जब तक उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वह सूचना प्राप्त कर सके, तब तक जिन सांवैधानिक प्रकार्यों का मैंने अभी उल्लेख किया

है उनका निर्वाह राज्यपाल नहीं कर सकता है। उदाहरण के रूप में, मान लीजिये कि मंत्री कोई संकल्प पारित करते हैं—मैं जानता हूं कि आज भी अनेक प्रान्तों में बहुत से विषयों में ऐसा हुआ है—कि राज्यपाल के पास कोई कागज न भेजा जाये तो राज्यपाल अपने प्रकार्यों का किस प्रकार निवेदन करेगा? अच्छे और पवित्र प्रशासन हेतु राज्यपाल को अपने प्रकार्यों के निर्वहन करने में समर्थ होने के लिये हम राज्यपाल को कोई सूचना मांगने की शक्ति प्रस्थापित करते हैं। यदि मैं कह सकता हूं तो मैं समझता हूं कि सभा से मुझे यह कहना चाहिये कि केन्द्र में किस प्रकार कार्य संचालित होता है। जहां तक मुझे विदित है, मंत्रिमंडल के सब कागजात प्रधान राज्यपाल (गवर्नर जनरल) को भेजे जाते हैं। इसी प्रकार तत्कथित साप्ताहिक संक्षिप्त विवरण भेजा जाता है जिनको प्रत्येक मंत्रणालय तैयार करता है और जिनमें सार्वजनिक कार्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रत्येक मंत्रिमंडल द्वारा किये गये विनिश्चत होते हैं ये संक्षिप्त विवरण मंत्रिमंडल के पास आते हैं और प्रधान राज्यपाल के पास भी जाते हैं। यदि मान लीजिये कि विभाग द्वारा भेजे गये इस साप्ताहिक संक्षिप्त विवरण को देख कर मुख्य राज्यपाल को यह विदित होता है कि किसी मंत्री ने किसी विशिष्ट विषय पर मंत्रिमंडल के निर्देश बिना विनिश्चत किया है, जिसको वह ठीक नहीं समझता है, तो मुख्य राज्यपाल को यदि यह कहने की शक्ति दे दी जाये कि इस विशिष्ट विनिश्चय पर, जिसको किसी मंत्री ने शेष मंत्रियों से परामर्श किये बिना कर लिया है, मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाये तो क्या इसमें कोई दोष है? मैं नहीं समझ सकता हूं कि इससे क्या हानि हो सकती है, मैं नहीं समझ सकता हूं कि सरकारी कार्य के प्रशासन में वह किस रूप का हस्तक्षेप होगा। अतः मैं निवेदन करता हूं कि इस अनुच्छेद पर जो आलोचना की गई है, वह या तो इस अनुच्छेद के गलत पढ़ने पर आधारित है अथवा किसी मिथ्या धारणा के कारण है, जो लोगों के मन में है कि यह अनुच्छेद राज्यपाल को प्रशासन में हस्तक्षेप करने की शक्ति दे रहा है। ऐसी किसी बात को नहीं सोचा गया है और मुझे विश्वास है कि अनुच्छेद 147 की भाषा से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जो कुछ यह अनुच्छेद करता है, वह यह है कि राज्यपाल को ऐसी स्थिति में रखा जाये कि वह उन कर्त्तव्यों का प्रकार्य तो—उनको मैं नहीं कहता हूं क्योंकि प्रकार्य तो उसके कुछ नहीं हैं—पालन कर सके, जिसका पालन प्रत्येक अच्छे राज्यपाल को करना चाहिये। *(तालियां)*

***श्री एच.वी. कामतः** क्या मैं डाक्टर अम्बेडकर से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं?

***अध्यक्षः** अब प्रश्न पूछने से क्या लाभ? आपको अवसर मिल चुका था।

***श्री एच.वी. कामतः** डाक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि उनके भाषण के पश्चात् मैं कुछ प्रश्न कर सकूंगा।

***अध्यक्षः** चर्चा के अन्त में प्रश्न करने की प्रथा को मैं पसन्द नहीं करता हूं। समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। अब मैं इस अनुच्छेद पर मत लूंगा, क्योंकि इस पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 147 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 147 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

नया अनुच्छेद 147-क

***अध्यक्षः** प्रो. शाह ने एक और अनुच्छेद 147-क बढ़ाना प्रस्थापित किया है।

***प्रो. के.टी. शाहः** मैं उसे पेश नहीं करना चाहता हूं।

अनुच्छेद 150

***अध्यक्षः** अनुच्छेद 148 और 149 पारित किये जा चुके हैं। हम अनुच्छेद 150 पर पहुंचते हैं।

***श्री एल. कृष्णास्वामी भारती** (मद्रास : जनरल): क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि इस अनुच्छेद को स्थगित किया जाये।

***अध्यक्षः** क्या सभा की यह इच्छा है कि इस अनुच्छेद को स्थगित किया जाये?

***माननीय सदस्यगणः** जी हां।

अनुच्छेद 151

***अध्यक्षः** हम अनुच्छेद 151 पर पहुंचते हैं।

(संशोधन संख्या 2298 से 2304 तक पेश नहीं किये गये।)

(संशोधन संख्या 2305 पेश नहीं किया गया।)

श्री गुप्ते द्वारा तीसरी सूची की संख्या 181 में इस संशोधन पर संशोधन है, पर मूल संशोधन पेश नहीं किया गया है।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (बिहार : जनरल): श्रीमान्, मैं संशोधन संख्या 2305 को पेश करूंगा।

मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 151 के खंड (1) में से 'and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Assembly' शब्दों को अपमार्जित किया जाये।''

***श्री बी.एम. गुप्ते:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2304 के निर्देश से अनुच्छेद 151 के खंड (1) के पश्चात् निम्न परन्तुक प्रविष्ट कर दिया जाये:

'Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.'

(परन्तु उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छः मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी।)

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** एक औचित्य प्रश्न है यह संशोधन संख्या 2304 पेश नहीं किया गया है।

***अध्यक्ष:** यह मेरी गलती है। इसका सम्बन्ध 2304 से है, न कि 2305 से।

***माननीय श्री घनश्याम सिंह गुप्त** (मध्यप्रान्त और बरार : जनरल): मैं संशोधन संख्या 2304 पेश कर रहा हूं। श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 151 के खंड (1) में 'its first meeting' शब्दों के पश्चात् 'and no longer' शब्द प्रविष्ट किये जाये।''

***श्री बी.एम. गुप्ते:** श्रीमान्, अग्रसर होने के पूर्व में एक गलती ठीक करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये निवेदन करता हूं, जो असावधानी अथवा उपेक्षा के कारण हो गई है। मैं अपने संशोधन में 'Parliament for a period' के स्थान में 'Parliament by law for a period' शब्द रखना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** हां, आपको ऐसा करने की अनुज्ञा है।

***श्री बी.एम. गुप्तेः** यह उपबंध ठीक वैसा ही है, जैसा कि हम केन्द्रीय संसद के लिये अनुच्छेद 68 को पारित कर चुके हैं। यहां यह और भी कम आपत्तिजनक है। उस अनुच्छेद में संसद को अपना जीवनकाल बढ़ाने दिया है। इस अनुच्छेद में मैंने संसद को राज्य के विधानमंडल का जीवनकाल बढ़ाने का अधिकार दिया है। कुछ लोग यह तर्क करेंगे कि अनुच्छेद 227 को विचार में रखते हुये इस शक्ति का संसद को देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपात में संसद को राज्य के समस्त विषयों पर विधान बनाने का अधिकार दिया गया है, अतः यह आवश्यक नहीं है कि राज्य के विधानमंडल का जीवनकाल बढ़ाया जाये। पर यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपात का यह अनिवार्य अर्थ नहीं है कि उत्तरदायित्वपूर्ण प्रान्तीय सरकार के समस्त तंत्र को रद्द कर दिया जाये। इसके विपरीत युद्ध प्रयत्न अथवा आपात प्रयत्न में और भी अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि इस तंत्र को संचालित रखा जाये। यदि यह उपबंध नहीं रखा जाता है तो यदि आपातकाल में राज्य के विधानमंडल के काल का अवसान हो जाता है, तो हमारा उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। विधानमंडल स्वतः विघटित हो जायेगा और समस्त तंत्र निलम्बित हो जायेगा। अतः मैं निवेदन करता हूं कि संसद को, यदि वह चाहती है और यदि उस समय लोक-कल्याण के लिये यह आवश्यक हो, तो अवधि बढ़ाने की यह शक्ति संसद को होनी चाहिये। इसलिये मैं इस संशोधन को पेश करता हूं।

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 2306 और 2307 मसौदा सम्बन्धी है। संशोधन संख्या 2308, डा. अम्बेडकर!

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

> ''कि अनुच्छेद 151 के खंड (2) में 'third year' शब्दों के स्थान में 'second year' शब्द रखे जायें।''

(संशोधन संख्या 2309 पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्षः** संशोधन पेश किये जा चुके हैं। क्या कोई व्यक्ति इस अनुच्छेद अथवा संशोधनों पर कुछ कहना चाहता है?

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेनाः** श्रीमान्, अग्रसर होने से पूर्व मैं यह जानना चाहूंगा कि अनुच्छेद 150 के पारित करने से पूर्व क्या इस अनुच्छेद को लिया जा सकता है, क्योंकि इस अनुच्छेद में यह निर्धारित किया गया है कि एक तिहाई सदस्य तीन वर्ष के पश्चात् निवृत्त हो जायेंगे। जब तक हम परिषद् की रचना के बारे में न जानें, हम यह किस प्रकार विनिश्चय कर सकते हैं कि वे दो वर्ष पश्चात् निवृत्त हो अथवा तीन वर्ष पश्चात्।

***अध्यक्षः** परिषद् की रचना चाहे कैसी हो, आधे सदस्य दूसरे वर्ष के अन्त में निवृत्त हो जायेंगे और यदि एक तिहाई के लिये विनिश्चय किया जाता है तो एक तिहाई निवृत्त हो जायेंगे। परिषद् की रचना पर यह किसी रूप में भी निर्भर नहीं होगा।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** यदि आपका यही आदेश है तो, श्रीमान् यह मुझे शिरोधार्य हैं।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** यह अनुच्छेद पारित किया जा चुका है कि द्वितीय सदन होगा। यह अनुच्छेद केवल इस बात पर विचार करता है कि सदस्य स्वयं अपना पुनर्निर्वाचन किस प्रकार करेंगे।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** हमें अभी यह विनिश्चय करना है कि वह परिषद् नौ वर्ष तक रहेगी अथवा छः वर्ष तक और यह परिषद् की रचना पर निर्भर होगा। यह रचना उस अवधि को निश्चित करेगी जिसके पश्चात् एक तिहाई सदस्य निवृत्त होंगे।

***अध्यक्ष:** वह परिषद् की रचना पर निर्भर नहीं है। सदन का जीवनकाल चाहे कितना ही हो, उस की रचना उस विनिश्चय के अनुसार होगी, जिसको हम अनुच्छेद 150 के सम्बन्ध में स्वीकार करेंगे।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** बहुत अच्छा, श्रीमान्, मैं आपके आदेश को शिरोधार्य करता हूं।

मुझे केवल यह कहना है कि श्री गुप्ते का संशोधन, जो संसद को एक बार जबकि आपात का अन्त न हो, विधानमंडलों का जीवनकाल एक वर्ष तक और बढ़ाने की शक्ति देता है वह लगभग पूर्णतया लोकतंत्र विरोधी है, पर यह होगा कि कभी-कभी प्रान्तों में विधान सभायें दस या बारह साल तक बनी रहेंगी। मान लीजिये युद्ध हो जाता है और वह युद्ध बहुत दिनों तक रहता है तो प्रति वर्ष सभाओं का जीवनकाल बढ़ा दिया जायेगा। मैं कहता हूं कि श्री गुप्ते का संशोधन, जो संसद को एक बार एक वर्ष के लिये प्रान्तीय विधान मंडलों का जीवनकाल बढ़ाने की शक्ति देना चाहता है, एक ऐसा संशोधन है जो पूर्णतया लोकतंत्र विरोधी है। मैं जानता हूं कि संसद के सम्बन्ध में हमने ऐसा उपबंध होने दिया है और उस समय भी मैंने उसका विरोध किया था। मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री यहां नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि वे यहां होते और इस विषय पर अपनी सम्मति हमें देते। जहां तक मैं जानता हूं वे इस उपबंध के विरुद्ध हैं। यह कहा गया है कि जब युद्ध जारी रहता है, तो निर्वाचन कठिन हो जाता है। पर मैं कहता हूं कि युद्धकाल में ही जनता का मनोवेग इतना बदल जाता है कि उसके विचार जानने के लिए निर्वाचन होना चाहिये। अतः मैं समझता हूं कि प्रांतीय विधान मंडलों के जीवनकाल को वर्ष प्रति वर्ष अनिश्चित समय तक बढ़ाने की यह शक्ति कुछ ऐसी है कि जो पूर्णतया लोकतंत्र विरोधी होने के साथ-साथ बहुत हानिकारक होगी। हम जानते हैं कि अमेरिका के संयुक्त राज्य में राष्ट्रपति का निर्वाचन उस समय हुआ था, जब युद्ध उच्च शिखर पर था और राष्ट्रपति रूजवेल्ट का पुनर्निर्वाचन हुआ था और मैं समझता हूं कि इसके कारण संयुक्त राज्य का गौरव बहुत उच्च हो गया था। मैं समझता हूं कि केवल यही उपयुक्त है कि बिना इस बात का विचार किये कि युद्ध हो अथवा न हो, विधान मंडलों के निर्वाचन पांच वर्ष

की नियत अवधि के पश्चात् हो। लोगों को प्रत्येक पंचवर्षीय अवधि के पश्चात् नये निर्वाचनों की मांग करने का अधिकार है। यह एक ऐसा अधिकार है, जिसे लोगों से आपात के बहाने नहीं छीनना चाहिये। यदि संसद को यह शक्ति दी जाती है, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है और लोगों को अनिच्छित सरकार के हटाने तथा अपनी मर्जी की सरकार चुनने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अतः श्री गुप्ते के इस संशोधन के मैं विरोध में हूं।

इसके पश्चात् यह कहा गया है कि प्रत्येक तीसरी वर्ष परिषद् के एक तिहाई सदस्य निवृत्त होंगे। मुझे खुशी है कि डा. अम्बेडकर ने अब यह प्रस्थापना की है कि यह अवधि तीन वर्ष के स्थान में दो वर्ष की होगी। इसके परिषद् का जीवनकाल केवल छः वर्ष के लिये होगा, जो लगभग सभा के जीवनकाल के बराबर है। इससे परिषद् में अधिक नवीनता का भी आश्वासन मिलता है। अतः मैं डाक्टर अम्बेडकर के संशोधन का समर्थन करता हूं।

***अध्यक्षः** डा. अम्बेडकर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं श्री गुप्ते के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्षः** अब मैं श्री गुप्ते के संशोधनों पर मत लूंगा, जिसे डा. अम्बेडकर ने स्वीकार कर लिया है।

प्रस्ताव यह है:

> ''कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2304 के निर्देश से अनुच्छेद 151 के खंड (1) के पश्चात् निम्न परन्तुक प्रविष्ट कर दिया जाये:
>
> 'Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation be extended by Parliament for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.' ''
>
> (परन्तु उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्त्तन में है संसद विधि द्वारा किसी कालावधि के लिये बढ़ा सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्त्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् छः मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी।)

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का संशोधन।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** श्रीमान्, मैं संशोधन को वापस लेना चाहूंगा।

(सभा की अनुमति से संशोधन वापस किया गया।)

***अध्यक्ष:** इसके पश्चात् मैं डा. अम्बेडकर के संशोधन संख्या 2308 पर मत लेता हूं।

प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 151 के खंड (2) में 'third year' शब्दों के स्थान में 'second year' शब्द रखे जायें।

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** इसके पश्चात् मैं इन दोनों संशोधनों द्वारा संशोधित रूप में अनुच्छेद 151 पर सभा का मत लेता हूं।

प्रस्ताव यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 151 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 151 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

अनुच्छेद 152

***अध्यक्ष:** इसके पश्चात् हम अनुच्छेद 152 पर आते हैं। इस अनुच्छेद पर डा. अम्बेडकर का संशोधन संख्या 2311 है, जिस पर कई और संशोधन हैं, जिनमें से एक संशोधन प्रथम सूची में संशोधन संख्या 38 है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 152 के स्थान में निम्न अनुच्छेद रखा जाये:

'*152. Qualification for membership of the State Legislature*—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he—

(a) is a citizen of India;

(b) is, in the case of a seat in a Legislative Assembly not less than twenty five years of age and, in the case of a seat in the Legislative Council, not less than thirty five years of age; and

(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by the Legislature of the State.' ''

(152, *राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिये अर्हता*—कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल में किसी स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिये अर्ह न होगा जब तक कि—

(क) वह भारत का नागरिक हो;

(ख) विधानसभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का, तथा विधानपरिषद् के स्थान के लिये कम से कम पैंतीस वर्ष की आयु का न हो; तथा

(ग) ऐसी अन्य अर्हतायें न रखता हो जोकि इस बारे में निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन निहित की जायें।)

***अध्यक्ष:** जैसा कि मैंने कहा था, इस पर अनेक संशोधन है। उनको अब पेश किया जा सकता है।

(अनुपूरक सूची के संशोधन संख्या 126, 127, 128 और 129 पेश नहीं किये गये।)

***श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी** (संयुक्तप्रान्त : जनरल): श्रीमान्, तृतीय सप्ताह की सूची 1 के संशोधन संख्या 38 को मैं पेश करती हूं, जो इस प्रकार है:

''कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2311 में प्रस्थापित अनुच्छेद 152 के खंड (ख) 'thirty five' (पैंतीस) शब्द के स्थान में 'thirty' (तीस) शब्द रखा जाये।''

यह उस खंड के समनुरूप है जिसे हम उत्तर सदन के सदस्यों के लिये आयु अर्हता के सम्बन्ध में पारित कर चुके हैं, अत: इस विषय पर कुछ अधिक नहीं कहना है कि यह संशोधन यहां क्यों पेश किया जा रहा है। परन्तु भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं इस अनुच्छेद के खंड (ग) के संबंध में, जिसको डा. अम्बेडकर ने प्रस्थापित किया है, एक शंका का निवारण कराना चाहूंगी। उसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति की ''ऐसी अन्य अर्हतायें होनी चाहिये जो कि इस बारे में निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें।''

श्रीमान्, जो शंका मेरे मन में है वह यह है यद्यपि हमने वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है और यह आशा करते हैं कि इन दोनों सभाओं के लिये लोक-निर्वाचित व्यक्ति सदस्य होंगे, जिनको केवल इस सदन में बैठने के लिये अपने प्रतिनिधि भेजने का ही हक न होगा, वरन् उत्तर सदन के लिये भी होगा चाहे वह केन्द्र का हो अथवा प्रांत का—पर मेरी शंका यह है कि जिस रूप में यह उपखंड उसके अनुसार यह बिल्कुल संभव है कि कोई सम्पत्ति विषयक अर्हता अथवा कोई अन्य अर्हता पुर:स्थापित कर दी जाये, जिसके कारण सदस्य विधानमंडल के किसी सदन में अपने आप को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने से रोक दिये जायें।

[श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी]

श्रीमान्, प्रान्तीय विधानमंडल के अर्थात् राज्य के उत्तर सदन की रचना को पेश करते हुये कनाडा और दक्षिणी अफ्रीका के संविधानों का उल्लेख किया गया था। जहां उन लोगों के लिये, जो उत्तर सदन के सदस्य हो सकते हैं, सम्पत्ति विषयक अर्हता विहित है। यदि हमारे मन में यही विचार बना रहता है कि इस उपखंड को किसी भी समय पुरःस्थापित किया जा सकता है—और मुझे तो यह भी पता नहीं है कि इस उपखंड को कहां रखा जायेगा, परन्तु कहीं इससे उत्तर सदन और अवर सदन के सदस्यों की अर्हतायें निर्बन्धित न हो जायें और जो कुछ अपने वयस्क मताधिकार द्वारा दे दिया है, अर्थात् यह कि प्रत्येक वयस्क मत दे सकता है और 25 अथवा 30 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क अवर अथवा उत्तर सदन का सदस्य हो सकता है, वह निर्बन्धित न हो जाये और यदि कोई और अर्हतायें विहित की जाती हैं, तो उसके द्वारा उसका अधिकार छीन लिया जाये। मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने अधिकार इस सभा में निर्धारित संविधान से प्राप्त करें अथवा वे संसद से प्राप्त किये जायें, जो समय-समय पर उनमें परिवर्तन कर सकती है। यदि संसद जो कि एक संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न निकाय होगा, संविधान में परिवर्तन करना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिये एक विहित रीति है और मतों की कुछ निश्चित संख्या द्वारा ही संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। परन्तु मान लीजिये कि किसी प्रान्तीय विधानमंडल में अथवा संसद में किसी निर्दिष्ट समय किसी प्रस्ताव पर मत लिया जाता है और सदस्यों की अर्हता का प्रश्न उठाया जाता है, तो मुझे भय है कि यह रक्षाकवच अथवा उपबंध, जिसको हमने रखा है कि प्रत्येक वयस्क अथवा 25 या 30 वर्ष की आयु वाला कोई वयस्क किसी भी सदन का सदस्य हो सकेगा, रद्द हो जायेगा। अतः मैं आशा करती हूं कि डा. अम्बेडकर सभा को यह आश्वासन देंगे कि यह संभावना उनके मन में नहीं है, क्योंकि जहां तक अनर्हताओं का सम्बन्ध है, दोनों सदनों में से किसी का सदस्य होने या सदस्य के रूप में उपस्थित होने से किसी सदस्य को अनर्हित करने वाला एक पृथक् अनुच्छेद है। यहां यह विशिष्ट रूप से कहा गया है कि समय-समय पर सदस्यों की अर्हतायें विहित की जायेंगी। श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करती हूं।

(संशोधन संख्या 2312 से 2318 तक पेश नहीं किये गये।)

***प्रो. के.टी. शाहः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूंः

> ''कि अनुच्छेद 152 में 'age' शब्द के पश्चात्, जहां कि वह पहली बार आया है, 'is literate and is not otherwise disqualified from being elected' शब्द और 'age' शब्द जहां दूसरी बार आया है उसके पश्चात् 'is qualified to vote

in the constituency from which he seeks election, and is not otherwise disqualified from being elected' शब्द बढ़ा दिये जायें।''

इस संशोधन के विचारार्थ जिस महत्त्वपूर्ण बात को मैं कहना चाहूंगा, वह है उन उम्मीदवारों के लिये, जो उन्हें विधानमंडल में निर्वाचित होने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें साक्षर होने की आवश्यकता है। हमारे देश में अविद्या की भयानक भरमार है—पूर्ण निरक्षरता है और निरक्षरता के प्रबल होने का संकट अथवा कदाचित विधानमंडल में निरक्षर उम्मीदवारों के आने का संकट मुझे इतना महान प्रतीत होता है कि मैं समझता हूं कि विधान मंडल में निर्वाचन के लिये प्रयास करने वाले उम्मीदवारों के लिये कम से कम साक्षर होने की आवश्यक बात या अर्हता रखें तो अच्छा होगा।

वर्तमान वस्तुस्थिति में यह मांग करना कठिन है कि समस्त निर्वाचकगण साक्षर हों, क्योंकि हमारे यहां 85 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर है और वयस्क मताधिकार होने से यह स्वाभाविक है कि मतदाता अधिकतर निरक्षर होंगे। यह दुर्भाग्य ही है, जिसको हम शीघ्र से शीघ्र मिटाना चाहेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ कालावधि के अंतर्गत शायद दस वर्ष के अंतर्गत—निरक्षरता पूर्णतया नष्ट कर दी जायेगी और लोकतंत्रात्मक नागरिकता की इस न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति मतदाताओं में हो जायेगी।

परन्तु जब तक वह विद्यमान है और जब तक, यदि अधिक नहीं तो लगभग तीन चौथाई जनसंख्या के निरक्षर होने का संकट हमारे सम्मुख है, मैं समझता हूं कि इस संविधान में इस आवश्यक बात का रखना आवश्यक है कि उम्मीदवार कम से कम साक्षर तो हों और जो साक्षर न हों उनको अनर्ह कर दिया जायेगा।

श्रीमान्, मेरे संशोधन में उम्मीदवारों के लिये अनर्हता सम्बन्धी अन्य पद इतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं और उनके ऊपर मैं इतना जोर भी नहीं देता हूं। मसौदा-समिति के सभापति ने जो संशोधन पेश किया है, यदि वह पारित हो जाता है, तो उसमें उनमें से कुछ आ जायेंगे। परन्तु उम्मीदवारों की साक्षरता के विषय में मेरे कट्टर विचार हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभा इस बात में मुझसे सहमत होगी और साक्षरता की इस अर्हता को केवल संसद के अधिनियम द्वारा नहीं वरन् संविधान द्वारा निर्धारित करेगी।

मैं अपने संशोधन को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

***अध्यक्ष:** संशोधन पेश हो चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति इस अनुच्छेद अथवा किसी संशोधन पर बोलना चाहता है, तो वह बोल सकता है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** अध्यक्ष महोदय, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 68 को स्वीकार करने में मुझे कुछ कठिनाई है। पहली कठिनाई यह है

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

कि मैं समझता हूं कि विधान सभा के सदस्य को अधिक उत्साही, अधिक जोशपूर्ण और अधिक ओजस्वी होना चाहिये, अपेक्षाकृत विधान-परिषद् के सदस्यों के, जो वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ होंगे, पर संशोधन में यह कहा गया है कि विधान सभा के सदस्य कम से कम पैंतीस वर्ष के हों और विधान-परिषद् के सदस्य कम से कम तीस वर्ष के हों। मैं निवेदन करता हूं कि यह पूरी बात उल्टे रूप में होनी चाहिये। जैसा कि डा. अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये संशोधन में अवर आगार के लिये आयु-सीमा...

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि आपको मिथ्याभ्रम है। वह 'पैंतीस वर्ष' के स्थान में 'तीस वर्ष' शब्द चाहती है। वह परिषद् से सम्बन्ध रखता है न कि सभा से। ''विधान-परिषद् के स्थान के लिये कम से कम 35 वर्ष की आयु का न हो'' इसके स्थान में वह ''30 वर्ष'' रखना चाहती है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** परन्तु श्रीमान्, केन्दीय विधान मंडल अर्थात् संसद के तत्स्थानी उपबंध में यह उपबंध है कि लोक सभा अर्थात् अवर सदन के लिये पच्चीस वर्ष की आयु-सीमा होगी और विधान-परिषद् के लिये पैंतीस से कम न होगी। परन्तु जैसा कि छापा गया है और सूचित किया गया है...।

***अध्यक्ष:** यह कहा गया है कि राज्य की परिषद् के स्थान के लिये पैंतीस वर्ष की आयु से कम न हो और लोक सभा के स्थान के लिये तीस वर्ष के कम न हो।

***श्री नजीरुद्दीन अहमद:** अत: उत्तर सदन के लिये आयु-सीमा 30 और अवर सदन के लिये 25 है। इस दशा में तो मुझे कुछ भी नहीं कहना है। इस भूल का उत्तरदायित्व उस वेग और शीघ्रता पर है, जिसके साथ संशोधन हमारे ऊपर फेंके जा रहे हैं।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** अध्यक्ष महोदय, मूल खंड के स्थान में डा. अम्बेडकर के संशोधन को रखा गया है। श्रीमान्, इस संशोधन में मुझे दो बातों पर आपत्ति है; पहली आपत्ति खंड (ग) पर है। इस खंड में कहा गया है:

> ''ऐसी अन्य अर्हतायें न रखता हो जोकि इस बारे में निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें।''

इसमें ''संसद'' शब्द कहा ही नहीं गया है। मैं यह पसन्द करता, कि इन अर्हताओं को स्वयं संविधान में निर्धारित किया जाता। संविधान का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि

उसमें उम्मीदवारों की अर्हतायें निर्धारित की जायें, परन्तु दुर्भाग्वश इसके सम्बन्ध में विनिश्चय करना राज्य के विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया है। फल यह होगा कि प्रत्येक राज्य अपने-अपने उम्मीदवारों के लिये पृथक्-पृथक् अर्हतायें रखेगा। कोई व्यक्ति जो बम्बई की सभा का सदस्य हो सकता है वह संयुक्त प्रांत में सदस्य होने का पात्र न होगा, क्योंकि संभव है कि बम्बई में अर्हतायें संयुक्त प्रांत की अर्हताओं से भिन्न हों। मैं समझता हूं कि यह एक त्रुटि है, जिसे डा. अम्बेडकर ठीक करेंगे।

श्रीमान्, जैसा कि मैंने कहा था, मैं तो इस बात के सर्वथा विरुद्ध हूं कि संसद को अर्हता विहित करने की शक्ति दी जाये, स्वयं संविधान में यह निर्धारित करना चाहिये कि ये अर्हतायें क्या होंगी। अन्यथा उम्मीदवारों की अर्हतायें पक्षों के दांव-पेच हो जायेंगे। उदाहरणार्थ, कोई कट्टर सरकार शक्ति-सम्पन्न हो सकती है और यह निर्धारित कर सकती है कि केवल जमींदार या वे लोग जो किसी विशिष्ट राशि को आय-कर में देते हैं, निर्वाचन में खड़े होने के पात्र होंगे। नतीजा यह होगा कि साधारण लोग वंचित हो जायेंगे। अतः श्रीमान्, मैं समझता हूं कि खंड (ग) अपमार्जित कर दिया जाये।

इसके पश्चात् खंड (ख) पर आइये। इसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिये अर्ह न होगा—विधानसभा के लिये यदि वह पच्चीस वर्ष की आयु से कम हो और विधान-परिषद् के लिये यदि वह तीस वर्ष की आयु से कम हो। जैसा कि मैंने उस दिन कहा था, अन्य संविधानों में साधारणतया ये सीमायें विहित नहीं की गई हैं। इंग्लैंड में कोई भी मतदाता संसद का सदस्य हो सकता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जो इससे बहुत कम आयु में प्रान्तीय सभाओं के सदस्य हो गये हैं। अतः श्रीमान्, मैं समझता हूं कि कम से कम प्रान्तीय विधानमंडलों के लिये, जो संसदीय कार्यों के लिये प्रशिक्षण गृह हैं, सदस्य बनने की आयु इक्कीस वर्ष नियत की जाये।

***अध्यक्षः** हमारे सम्मुख ये सब तब प्रस्तुत किये गये थे जब हमने अनुच्छेद 68-क पर चर्चा की थी। क्या यह आवश्यक है कि उन्हीं तर्कों को फिर से दुहराया जाये?

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी द्वारा पेश किये संशोधन को मैं स्वीकार करता हूं। खंड (ग) के बारे में उन्होंने जो भय प्रकट किया है कि यह खंड सदस्यों के लिये संसद द्वारा सम्पत्ति विषयक अर्हतायें विहित कराने में सहायक होगा, इस सम्बन्ध में मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि उपखंड (ग) की तह में ऐसी कोई बात नहीं हैं। इस खंड के पीछे जो बात है वह दिवाला, चित्त विकृति, किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में निवास और ऐसी ही बातों का उपबंध है यह निश्चित

[माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर]

है कि ऐसा कोई विचार नहीं है कि उम्मीदवारों के लिये सम्पत्ति विषयक अर्हता एक आवश्यक शर्त के रूप में रखी जाये।

इसके पश्चात् साक्षरता के बारे में प्रो. के.टी. शाह के संशोधन के प्रति मैं समझता हूं कि यह ऐसा विषय है जिसको विधानमंडलों पर छोड़ना ही ठीक होगा। अर्हतायें विहित करते समय यदि विधानमंडल यह समझे कि साक्षरता की अर्हता आवश्यक है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे उसे लागू कर देंगे।

श्रीमान्, केवल एक बात है जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कुछ रूप में उपखंड (ग) अनुच्छेद 290 और 291 से सम्बन्धित है जो निर्वाचन सम्बन्धी विषय के हैं। हमने इन अनुच्छेदों को पारित नहीं किया है। यदि अनुच्छेद 290 और 291 पर विचार करते समय सभा इस निर्णय पर पहुंचती है कि उपखंड (ग) में दिये हुए उपबंध संसद निर्मित विधि द्वारा विहित किये जाये तो मसौदा-समिति के उपखंड (ग) के अन्तिम भाग पर पुनर्विचार करने के अधिकार को मैं सुरक्षित रखना चाहूंगा। इस बात के अधीन रहते हुए मैं समझता हूं कि संशोधित रूप में इस अनुच्छेद को पारित किया जाये।

***अध्यक्ष:** अब मैं इस अनुच्छेद पर विभिन्न संशोधनों सहित मत लूंगा। पहले संशोधन सूची 1 का संशोधन संख्या 38 श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी का है संशोधन प्रस्ताव यह है:

> ''कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2311 में प्रस्थापित अनुच्छेद 152 के खंड (ख) में 'thirty-five (पैंतीस) शब्द के स्थान में 'thirty' (तीस) शब्द रखा जाये।''

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

> ''कि अनुच्छेद 152 के स्थान में निम्न अनुच्छेद रखा जाये:

'152. *Qualification for membership of the State Legislature*—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he—

(a) is a citizen of India;

(b) is, in the case of a seat in a Legislative Assembly, not less than twenty-five years of age and in the case of a seat in the Legislative Council, not less than thirty years of age; and

(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in this behalf by or udner any law made by the Legislature of the State.' ''

[152. *राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता*—कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल में किसी स्थान की पूर्ति के लिए चुने जाने के लिए अर्ह न होगा जब तक कि—

(क) वह भारत का नागरिक न हो;

(ख) विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का, तथा विधान-परिषद् के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का न हो; तथा

(ग) ऐसी अन्य अर्हतायें न रखता हो जो कि इस बारे में निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जाये।]

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''अनुच्छेद 152 में 'age' शब्द के पश्चात्, जहां कि वह पहली बार आया है, 'is literate, and is not otherwise disqualified from being elected' शब्द और 'age' शब्द जहां दूसरी बार आया है उसके पश्चात् 'is qualified to vote in the constituency from which he seeks election and is not otherwise disqualified from being elected' शब्द बढ़ा दिये जायें।''

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 152 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 152 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

***अध्यक्ष:** इसके पश्चात् एक और अनुच्छेद 152-क की सूचना हमारे पास है, जो मैं समझता हूं कि इस अनुच्छेद से आवृत हो जाता है जिसको हमने अभी पारित किया है, अत: उसके लेने की आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद हम अनुच्छेद 153 पर पहुंचते हैं।

अनुच्छेद 153

***अध्यक्षः** सभा के विचारार्थ अनुच्छेद 153 प्रस्तुत है।

सर्वप्रथम संशोधन संख्या 2321 के सम्बन्ध में, : चूंकि हम अनुच्छेद 69 के सम्बन्ध में एक ऐसे ही संशोधन पर अभी उस दिन बहुत चर्चा कर चुके थे। क्या प्रो. शाह फिर भी इसे पेश करना चाहते हैं?

***प्रो. के.टी. शाहः** यदि मैं औचित्य के अंतर्गत हूं तो मैं उसे पेश करना चाहूंगा। परन्तु यदि आप उसे नियम विरुद्ध ठहराते हैं तो उसको पेश नहीं किया जा सकता है।

***अध्यक्षः** उसे नियम विरुद्ध ठहराने का प्रश्न नहीं है। यदि उसको पेश किया जाता है तो जो तर्क एक बार प्रस्तुत किये जा चुके हैं उनको फिर दुहराया जायेगा।

***प्रो. के.टी. शाहः** मैं इस बात से सहमत हूं कि यह उसी प्रकार का संशोधन है, परन्तु ठीक वैसा नहीं है।

***अध्यक्षः** मैंने यह नहीं कहा कि यह ठीक वैसे ही है।

***प्रो. के.टी. शाहः** ठीक है। श्रीमान्, मैं उसे पेश नहीं करता हूं।

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 2322, 2323, 2324, 2325 और 2326 पेश नहीं किये जाते हैं। क्योंकि वे शाब्दिक संशोधन हैं।

***प्रो. के.टी. शाहः** चूंकि मेरा संशोधन संख्या 2327 उन संशोधनों का अंग है जो पेश नहीं किये गये हैं, मैं उसे पेश नहीं करता हूं।

***अध्यक्षः** तो फिर संशोधन संख्या 2328, 2329 और 2330 भी निकल जाते हें। संशोधन संख्या 2331 पेश नहीं किया जाता है।

***श्री मुहम्मद ताहिर** (बिहार : मुस्लिम): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

> ''कि अनुच्छेद 153 के खंड (2) के उपखंड(ग) के अंत में 'if the Governor is satisfied that the administration is failing and the ministry has become unstable' शब्द प्रवृष्ट कर दिये जायें।''

इस खंड में विधान-सभा का आह्वान करने, सत्रावसान करने अथवा उसको विघटन करने के लिए राज्यपाल को कुछ शक्तियां दी गई हैं। मैं यह चाहता हूं कि कुछ कारण दिये जायें जिनके आधार पर सभा का विघटन आवश्यक हो। मैं देखता हूं कि अनुच्छेद

153 के खंड (3) पर डा. अम्बेडकर का एक संशोधन है जिसके द्वारा वे इस खंड को हटाना चाहते हैं जो इस प्रकार है: ''(3) इस अनुच्छेद के खंड (2) के उपखंड (क) और (ग) के अधीन राज्यपाल के प्रकार्यों का प्रयोग राज्यपाल द्वारा अपने स्वविवेक से किया जायेगा।'' इसके विपरीत मैं चाहता हूं कि विघटन करने के लिए कुछ कारण दिये जायें। संविधान में कहीं भी हम वे शर्तें तथा परिस्थितियां नहीं रख रहे हैं जिनके अंतर्गत सभा स्थगित की जा सकती है। यदि हम कोई शर्त्त नहीं रखते हैं तो कठिनाइयां होंगी। मान लीजिये किसी प्रान्त में कोई ऐसा पक्ष शक्ति सम्पन्न है जिसके विचारों से राज्यपाल सहमत नहीं है ऐसी अवस्था में यह हो सकता है कि सभा विघटन करने के लिए राज्यपाल कोई न कोई कारण खोज ले और नये निर्वाचनों के लिये प्रबंध करे। यदि ऐसी बात हो जाती है तो वह सभा के विघटन करने के लिए कोई न्यायपूर्ण बात न होगी। केवल इस आधार पर कि राज्यपाल बहुसंख्यक पक्ष के विचारों का समर्थक नहीं है। सभा का विघटन नहीं होना चाहिये। ऐसी कठिनाइयों से मुक्त होने के लिये मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि कुछ शर्तें और परिस्थितियां इस संविधान में रखी जायें जिनके अधीन ही राज्यपाल सभा का विघटन कर सके। कुप्रशासन अथवा मंत्रिमंडल की अस्थिरता तथा कार्य करने की अयोग्यता के अतिरिक्त अन्य और कोई कारण सभा के विघटन करने के लिये नहीं होना चाहिये। अत: इस विषय पर विचार किया जाये और हमें कुछ शर्तें और परिस्थितियां उपबन्धित करनी चाहिये जिनके अधीन राज्यपाल सभा का विघटन कर सके।

***अध्यक्ष:** इसके बाद का संशोधन संख्या 2333 पेश नहीं किया जाता है। डा. अम्बेडकर संशोधन संख्या 2334 पेश कर सकते हैं।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 153 के खंड (3) को निकाल दिया जाये।''

संवैधानिक राज्यपाल की योजना से यह खंड प्रकट रूप में असंगत है।

***अध्यक्ष:** संशोधन संख्या 2335 वैसा ही है जैसा कि अभी संशोधन पेश किया गया था। संशोधन संख्या 2336 पेश नहीं किया जाता है।

***श्री एच.वी. कामत:** अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी मेरे विद्वान् मित्र डा. अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया है उसके अर्थ और निर्वचन को लेने के लिए क्या मैं आपकी अनुमति प्राप्त कर सकता हूं? यदि सभा द्वारा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके कारण राज्यपाल को दी गई स्वविवेक की शक्तियों का निराकरण हो जायेगा। वैसे तो उपखंड (ख) है। क्या मैं यह समझूं कि जहां तक सभा के सत्रावसान का सम्बन्ध है, राज्यपाल मुख्यमंत्री अथव मंत्रिमंडल से परामर्श करके ऐसा करता है और इसी कारण खंड (3) में उसका कोई निर्देश आवश्यक नहीं है।

***अध्यक्ष:** वह खंड (3) को निकालना चाहते हैं।

***श्री एच.वी. कामत:** खंड (3) में उपखंड (क) और (ग) का निर्देश है। मैं (क) और (ख) को परस्पर समान समझता हूं। राज्यपाल सदनों अथवा किसी सदन को किसी ऐसे समय और स्थान में समवेत होने के लिए आहूत कर सकता है जिनको वह ठीक समझे। अत: मैं नहीं समझ पाता हूं कि सत्रावसान का कार्य क्योंकर पृथक स्तर पर हो।

***अध्यक्ष:** यह ठीक वही है जो अब नहीं किया जा रहा है। तीनों को समान बनाया जा रहा है।

***श्री एच.वी. कामत:** तो फिर इस अपमार्जन के एक दूसरे पहलू पर मै निर्देश करना चाहूंगा। यह वह प्रश्न है जिसे आपने इस सभा में उस दिन उठाया था अर्थात्, यह कि अपने प्रकार्य के प्रयोग करने में संघ के राष्ट्रपति को सहायता तथा मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा।

यहां तत्स्थानी अनुच्छेद 143 है:

> ''राज्यपाल को अपने प्रकार्यों के प्रयोग में सहायता तथा मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा।'

श्रीमान्, जैसा कि आपने राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के परस्पर सम्बन्ध के अनुच्छेद के सम्बन्ध में बताया था, क्या इस संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद है, उपबंध है जो राज्यपाल को उसके मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंत्रणा को स्वीकार करने के लिए या मानने के लिए बाध्य करता हो? इस अनुच्छेद में उसको विधान सभा के विघटन करने की शक्ति सौंपी जा रही है। सब लोकतंत्रों में यह एक गंभीर विषय है। अनेक विभिन्न लोकतंत्रों में ऐसे उदाहरण पाये जाते हैं और कभी-कभी तो हमारे प्रान्तों तक में भी, जिनमें कि मंत्रिमंडल ने अपने विरुद्ध प्रस्तुत किये गये अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में समय लेने के लिए प्रयास करते हुए सभा का सत्रावसान कर देने के लिए राज्यपाल की सहायता प्राप्त की है। यह उतना गंभीर नहीं है जितना कि सभा का विघटन। यहां इस अनुच्छेद में यह आसानी से कहा गया है ''इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन।'' इस अनुच्छेद खंड (1) के प्रति मुझे हर्ष है कि हमारी संसद और हमारे अन्य विधानमंडल अब से अधिक बार और अधिक समय के लिए समवेत होंगे। मैं आशा करता हूं कि उचित समय होने पर इस विषय पर विचार किया जायेगा और यह प्रभाववर्त्ती होगा। इस अनुच्छेद का खंड (2) महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य के राज्यपाल द्वारा सभा के विघटन पर विचार व्यक्त करता है और इस बात को विचार में रखते हुए कि यद्यपि कोई विशिष्ट उपबंध

नहीं है—हां यह समझा जा सकता है और अव्यक्त भाव को व्यक्त करते हुए, डा. अम्बेडकर यह कह सकते हैं कि उसका सार तो वहां है; परन्तु हमने अभी तक राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों के निराकरण करने तक पर निश्चय नहीं किया है और कल ही सभा में इस विषय की हमने पूर्ण चर्चा की थी—परन्तु राज्यपाल को उसके मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंत्रणा को स्वीकार करने के लिए बाध्य करने वाला कोई विशिष्ट उपबंध इस संविधान में नहीं है यह इस संविधान में एक कमी है। यह होते हुए भी हम उसे विधानसभा विघटन करने की शक्ति सौंप रहे हैं और इस बात का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं कि उसे इस सम्बन्ध में अपने मंत्रियों की मंत्रणा का अनुसरण करना चाहिए अथवा उनसे परामर्श करना चाहिए। मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि यह शक्ति जिसे हम राज्यपाल को सौंप रहे हैं वह उस नई व्यवस्था से असंगत होगी जिसको हम इस देश में लाना चाहते हैं यदि हम राज्यपाल को उसके मंत्रियों द्वारा दी गई मंत्रणा को स्वीकार करने के लिये बाध्य करें। मैं आशा करता हूं कि इस अनुच्छेद को स्थगित रखा जायेगा और मसौदा-समिति इस अनुच्छेद में उपयुक्त रीति से परिवर्तन कर अथवा इसका पुनरीक्षण कर बाद में दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

***श्री गोपाल नारायण** (संयुक्तप्रांत : जनरल): अध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद पर बोलने के पूर्व मैं एक शिकायत करना चाहता हूं और उसे दूर करने के लिए आपकी सहायता चाहता हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो इस सभा की प्रत्येक बैठक में उपस्थित हुए हैं और आरम्भ से लेकर अन्त तक बैठे रहे हैं परन्तु अब मेरा धैर्य जाता रहा। मैं देखता हूं कि इस सभा के कुछ ऐसे चन्द माननीय सदस्य हैं जिन्होंने समस्त वाद-विवादों पर अधिपत्य जमा रखा है और जो प्रत्येक अनुच्छेद, प्रत्येक संशोधन और प्रत्येक संशोधन के संशोधन पर अवश्य बोलते हैं। श्रीमान्, मैं जानता हूं कि आप अपनी परिसीमाओं में बंधे हुए हैं और नियमों के अधीन आप उन्हें नहीं रोक सकते हैं, यद्यपि आपकी आकृति से मुझे यह विदित हो जाता है कि आप भी कभी-कभी परेशान हो जाते हैं, पर आप उन्हें रोक नहीं सकते। श्रीमान्, मैं एक सुझाव रखता हूं कि कुछ सदस्यों पर कुछ समय का प्रतिबंध लगा दिया जाये। उनको दो या तीन मिनट से अधिक नहीं बोलने दिया जाये। जहां तक इस अनुच्छेद का सम्बन्ध है, यद्यपि इसमें कोई नई बात नहीं है और यह राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों की व्यवस्था करता है, पर इसमें पन्द्रह मिनट लग गये हैं। फिर भी कोई न कोई सदस्य आ जाता है और इसका विरोध करने लगता है। इससे छुटकारा पाने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, परन्तु यदि आप छुटकारा नहीं दिला सकते हैं तो आप हमें कम से कम, इस सभा में बैठने की अपेक्षा, अपने-अपने स्थानों में सोने दें अथवा कुछ और कार्य करने दें। श्रीमान्, मैं इस अनुच्छेद का समर्थन करता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं इस विषय में लाचार हूं। मैं इसे सदस्यों की सद्भावना पर छोड़ता हूं।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** (*बोलने के लिए उठे।*)

***अध्यक्ष:** इसके बाद भी क्या आप बोलना चाहते हैं? (*हंसी*)

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं नहीं समझता हूं कि मुझे उत्तर देना आवश्यक है। इस विषय पर कई बार वाद-विवाद हो चुका है।

***अध्यक्ष:** तो फिर मैं संशोधनों पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 153 के खंड (2) के उपखंड (ग) के अन्त में 'if the Governor is satisfied that the administration is failing and the minsitry has become unstable' शब्द प्रविष्ट किये जायें।''

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

'कि अनुच्छेद 153 के खंड (3) को निकाल दिया जाये।''

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 153 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 153 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

नया अनुच्छेद 153-क

***अध्यक्ष:** प्रो. शाह की एक नये अनुच्छेद के लिए सूचना है।

***प्रो. के.टी. शाह:** मुझे बताया गया है कि यह विषय पहले आ चुका है, पर मैं इसके बाबत कुछ नहीं जानता हूं। मसौदा-समिति के माननीय सभापति मुझे इस बात

की सूचना देंगे। यदि इस पर विनिश्चय कर लिया गया है तो मैं इसे पेश नहीं करूंगा, पर मैं तो नहीं समझता हूं कि यह विषय आ चुका हो।

***अध्यक्षः** *(संशोधन संख्या 1483 को देखने के पश्चात्)* सदस्यों के अधिकारों से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

***प्रो. के.टी. शाहः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 153 के पश्चात् निम्न नवीन अनुच्छेद 153-क प्रविष्ट किया जाये:

'153-A. If at any time when the Assembly is not sitting, it appears necessary to more than half of the total membership of the State Legislative Assembly that a situation has arisen in the State which calls for the Assembly to be sitting and consider the situation, they may in writing signed by them address the Speaker of the Assembly to convene a meeting of the Assembly for considering the matter specified in the application; and on receipt of such a requisition the Speaker shall convene the meeting within not more than seven clear days after receipt of the Requisition; provided that the Speaker may, if he deems proper, call upon such requisitioning members to bear the expenses of such a meeting, unless the Assembly specifically resolves to the contrary and exonerate the members concerned from the charge.' ''

[153-क. यदि किसी समय जबकि सभा समवेत नहीं हो रही हो यदि राज्य की विधानसभा के कुछ सदस्यों की आधी संख्या से अधिक को यह आवश्यक प्रतीत हो कि राज्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण सभा का बैठक करना और उस परिस्थिति पर विचार करना आवश्यक है तो वे अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा सभा के अध्यक्ष को उस आवेदन पत्र में उल्लिखित विषय पर विचार करने हेतु सभा की बैठक करने के लिये सम्बोधित कर सकते हैं और ऐसे मांग-पत्र की प्राप्ति पर अध्यक्ष प्राप्ति से पूरे सात दिन से अनधिक समय के अंतर्गत सभा की बैठक बुलायेगा, परन्तु यदि अध्यक्ष उचित समझता है तो मांग-पत्र देने वाले सदस्यों से ऐसी बैठक का खर्च बर्दाश्त करने के लिये, यदि सभा विशिष्ट रूप से इसके विरुद्ध संकल्प नहीं करती है और उन सदस्यों को इस भार से मुक्त नहीं करती है तो कहेगा।]

[प्रो. के.टी. शाह]

श्रीमान्, मेरी सम्मति में इस मांग का अधिकार एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है जो सभा के सदस्यों को दिया जाना चाहिये यदि उनकी संख्या राज्य की विधानसभा की समस्त सदस्य संख्या की आधी से अधिक है। श्रीमान्, इस संविधान के पूरे ढांचे को ऐसी रूपरेखा दी गई है कि विधानमंडल सम्बन्धी समस्त शक्तियां भी कार्यपालिका में निहित कर दी गई है', मेरा आशय सभा के बुलाने, विघटन करने, सत्तावसान करने और स्थगित करने से है। अतः मुझे यह विदित होता है कि इस संशोधन में मैंने जिस रक्षा कवच की ओर संकेत किया है उसके अंतर्गत सभा की समस्त सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों की मांग और अध्यक्ष की अनुमति के अधिकार के दुरुपयोग किये जाने की ही रोक नहीं है वरन् उससे बड़ा लाभ होगा।

जैसा कि सभा को विदित है यह हो सकता है कि राज्य के विधानमंडल के दो सत्रों में छः मास का कालान्तर हो जाये। छः माह की कालावधि में यह अविचारणीय नहीं है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाये जिसको स्वयं विधानमंडल के विचार-विमर्श और कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य प्रकार से न निपटाया जा सके। ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिनके कारण इस प्रकार की बैठक करने में कार्यपालिका या तो असमर्थ हो या अनिच्छुक। अतः शेष सदस्यों के लिये और यदि मैं कह सकता हूं तो कदाचित् विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्यों के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे यह प्रार्थना कर सकें कि सभा बुलाई जाये और इस मांग करने के अधिकार की व्यवस्था करने के लिये मेरा संशोधन है।

मैं समझता हूं कि मैंने आवश्यकता से अधिक रक्षा कवचों की व्यवस्था की है जिससे इस प्रकार के अधिकार का दुरुपयोग न हो। सर्वप्रथम यह निर्धारित किया गया है कि सभा का कोई निम्नांश नहीं वरन् उसका एक निरपेक्ष बहुमत यदि बैठक बुलाना आवश्यक समझे। दूसरे यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें उस विशिष्ट परिस्थिति का उल्लेख करते हुए, जिसके कारण इस प्रकार की बैठक करना अपेक्षित है, लिखित रूप में पीठासीन प्राधिकारी को सम्बोधन करना पड़ेगा। तीसरे यदि सभा समवेत होते समय वह स्थिति की गम्भीरता अथवा उन लोगों को बुद्धिमानी को नहीं मानती है जिन्होंने ऐसी प्रार्थना की है और उनको भार से मुक्त करने के लिये विशिष्ट रूप से संकल्प नहीं करती है तथा सभा का समवेत साधारण रीति से नहीं मानती है तो यदि अध्यक्ष उचित समझता है तो बैठक बुलाने का समस्त खर्च उनको भुगतना पड़ेगा।

इन सावधानियों अथवा रक्षा कवचों के अधीन मैं समझता हूं कि इस मांग करने के अधिकार के किसी प्रकार से दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना नहीं है, इसके विपरीत यह सम्भव है कि इसके कारण साधारण सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न हो जाये,

प्रान्त की घटनाओं अथवा कार्यवाहियों के प्रति साधारण गैर-सरकारी सदस्यों में तीव्र रुचि पैदा हो जाये और यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार से उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार का वास्तविक प्रशिक्षण विधानमंडल में हो जाया करे।

मैं जानता हूं कि यह मांग कुछ अस्वाभाविक सी है, पर मैं विश्वास करता हूं कि उसकी ''अस्वाभाविकता'' मात्र ही उसको रद्द करने के लिये कारण नहीं होगी। मैं विश्वास करता हूं कि सभा मैंने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं उनकी प्रबलता पर ध्यान देगी और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।

***अध्यक्षः** क्या इस संशोधन के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 153 के पश्चात् निम्न नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:

'153-A. If at any time when the Assembly is not sitting, it appears necessary to more than half of the total membership of the State Legislative Assembly that a situation has arisen in the State which calls for the Assembly to be sitting and consider the situation, they may in writing signed by them address the Speaker of the Assembly to convene a meeting of the Assembly for considering the matter specified in the application; and on receipt of such a requisition the Speaker shall convene the meeting within not more than seven clear days after receipt of the Requisiton; provided that the Speaker may, if he deems proper, call upon such requisitioning members to bear the expenses of such a meeting, unless the Assembly specifically resolves to the contrary and exonerate the members concerned from the charge.' ''

[153-क. यदि किसी समय जबकि सभा समवेत नहीं हो रही हो यदि राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की आधी संख्या से अधिक हो यह आवश्यक प्रतीत हो कि राज्य में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण सभा का बैठक

[अध्यक्ष]

करना और उस परिस्थिति पर विचार करना आवश्यक है तो वे अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा सभा के अध्यक्ष को उस आवेदन पत्र में उल्लिखित विषय पर विचार करने हेतु सभा की बैठक करने के लिये सम्बोधन कर सकते हैं और ऐसे मांग पत्र की प्राप्ति पर अध्यक्ष प्राप्ति से पूरे सात दिन से अनधिक समय के अंतर्गत सभा की बैठक बुलायेगा, परन्तु यदि अध्यक्ष, उचित समझता है तो मांग पत्र देने वाले सदस्यों से ऐसी बैठक का खर्च बर्दाश्त करने के लिये, यदि सभा विशिष्ट रूप से इसके विरुद्ध संकल्प नहीं करती है और उन सदस्यों को इस भार से मुक्त नहीं करती है, तो कहेगा।]

संशोधन अस्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 154

***अध्यक्ष:** मैं देखता हूं कि यह अनुच्छेद 154 अक्षरश: वैसा ही है जैसा कि अनुच्छेद 70 जिसे हम स्वीकार कर चुके हैं, अन्तर केवल इतना ही है कि एक राज्य सम्बन्धी है तो दूसरा संघ संबंधी। क्या इस पर लम्बी चर्चा करने की आवश्यकता है?

***अनेक माननीय सदस्य:** जी नहीं।

***अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

''कि अनुच्छेद 154 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 154 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

अनुच्छेद 155

***अध्यक्ष:** यह अनुच्छेद भी अक्षरश: वैसा ही है जैसा कि अनुच्छेद 71, सिवा इसके कि वर्तमान अनुच्छेद राज्य सम्बन्धी है और पूर्ववर्त्ती अनुच्छेद केन्द्र सम्बन्धी। इस पर संशोधन भी शाब्दिक प्रकार के हैं सिवा एक के जो संशोधन संख्या 2348 श्री सिधवा का है।

***श्री आर.के. सिधवा:** मैं उसे पेश नहीं करना चाहता हूं।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 155 संविधान का अंग बने।''

संशोधन स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 155 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

अनुच्छेद 156

***अध्यक्ष:** यह अनुच्छेद भी अनुच्छेद 72 जैसा है जिसको हम स्वीकार कर चुके हैं। हां इस पर कुछ संशोधन है।

(संशोधन संख्या 2349 से 2352 तक पेश नहीं किये गये।)

प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 156 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 156 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

अनुच्छेद 157

***अध्यक्ष:** जहां तक मैं मालूम कर सकता हूं इस अनुच्छेद पर कोई संशोधन नहीं है जो बहुत सारवत् प्रकार का हो। सब शाब्दिक संशोधन हैं यह अनुच्छेद संघ सम्बन्धी अनुच्छेद 76 के समान है।

प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 157 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 157 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

***अध्यक्ष:** इसके पश्चात् एक नया अनुच्छेद 157-क प्रविष्ट करने के लिये एक और संशोधन की सूचना प्रो. शाह द्वारा है।

***प्रो. के.टी. शाह:** श्रीमान्, इस विषय पर पहले चर्चा हो चुकी है और इसको अस्वीकार किया जा चुका है। अत: मैं इसे पेश नहीं करना चाहता हूं।

(संशोधन संख्या 2359 पेश नहीं किया गया।)

अनुच्छेद 158

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 158 संविधान का अंग बने।''

***श्री मुहम्मद ताहिरः** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 158 में 'A member holding office as' शब्दों के स्थान में 'The' रखा जाये और अनुच्छेद 158 के खंड (ख) में 'such member' शब्दों के स्थान में 'he' शब्द और 'to the Deputy Speaker' शब्दों के स्थान में 'the member of the Legislative Assemby' शब्द रखे जायें।''

यदि संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुच्छेद इस प्रकार का हो जायेगा:

'The Speaker or Deputy Speaker of an Assembly—

(a) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly;

(b) may at any time by writing under his hand addressed if he is the Speaker to the members of the Legislative Assembly and if he is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office, and...''

[विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष–

(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा;

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो विधान सभा के सदस्यों को सम्बोधित होगा यदि वह अध्यक्ष है तथा अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह उपाध्यक्ष है अपना पद त्याग सकेगा तथा...]

इस सम्बन्ध में मैं चन्द शब्द कहूंगा। विधानसभा के अध्यक्ष के लिये यह आवश्यक है कि वह सदन का सदस्य हो। वह सदस्य के रूप में पद त्याग या पद रिक्त नहीं कर रहा है वरन् विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में वह ऐसा कर रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि 'के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य' शब्द व्यर्थ हैं और केवल 'विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष' शब्द होने चाहिये। जहां तक त्यागपत्र के सम्बोधन करने का सम्बन्ध है मैं यह निवेदन करूंगा कि विधान सभा का अध्यक्ष सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। विधान सभा में अध्यक्ष सर्वोच्च पदाधिकारी है यदि वह पद त्याग करता है तो वह विधान सभा के सदस्य को सम्बोधन करे न कि उपाध्यक्ष को। यह और बात है कि वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे। परन्तु जहां तक त्यागपत्र के सम्बोधन करने का सम्बन्ध है वह विधान सभा के सदस्यों को ही सम्बोधन करे जिन्होंने उसे इस पद के लिये निर्वाचित किया है। अतः मैं समझता हूं कि इस उपबंध को इसी प्रकार संशोधित किया जाये। इन चन्द शब्दों के साथ मैं सभा की स्वीकृति के लिये इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

(संशोधन संख्या 2361 पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 2362।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, पहले एक ऐसा ही संशोधन गिर चुका है और मैं यह देखने के लिये उत्सुक नहीं हूं कि इस संशोधन का भी वही हाल हो।

(संशोधन संख्या 2363 और 2364 पेश नहीं किये गये।)

***श्री मुहम्मद ताहिरः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

> 'कि अनुच्छेद 158 के खंड (ग) में 'all the then members of the Assembly' शब्दों के स्थान में 'the members of the Assembly present and voting' शब्द रखे जायें।''

खंड (ग) इस प्रकार है:

> ''(c) may be removed from the office for incapacity or want of confidence by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly.''
>
> [विधान सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा असामर्थ्य अथव विश्वास के अभाव के कारण अपने पद से हटाया जा सकेगा।]

श्रीमान्, मैं इन 'विधान सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों' शब्दों का अर्थ जहां तक समझ सकता हूं उसमें विधान सभा के समस्त सदस्य का भाव आ जाता है। मान लीजिये सभा में 300 सदस्य हैं तो इसका अर्थ होगा विधान सभा के समस्त सदस्य अर्थात् 300। मान लीजिये सभा के 50 सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हैं तो जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है उस पर इन सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होगा। अतः मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा कि इस विषय पर केवल वे ही सदस्य विचार करें जो विधान सभा में उपस्थित हैं और जो इस विषय पर मत दे सकते हैं। यदि 'विधान सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों' शब्द का अर्थ विधान सभा में उपस्थित सदस्यों से है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस रूप में यह खंड है उस रूप में इसे रखना वांछनीय नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

(संशोधन संख्या 2366, 2367 और 2368 पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्षः** संशोधन संख्या 2369।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या श्री जसपतराय कपूर एक और संशोधन को, जो उसके नाम से अनुच्छेद 159-क है, पेश करेंगे जो इसी संशोधन का दूसरा रूप है, जो इस समय सदन के समक्ष है? यदि वे उस संशोधन को पेश कर रहे हैं तो मैं समझता हूं इस संशोधन को पेश करने में कोई लाभ नहीं। मैं समझता हूं कि बाद का संशोधन उस आशय की पूर्त्ति अधिक पर्याप्त रूप में करेगा जो उनके मन में है।

***श्री जसपतराय कपूर** (संयुक्त प्रांत : जनरल): मैं अपने माननीय मित्र श्री टी. टी. कृष्णमाचारी को यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं अपने समस्त सुसंगत संशोधनों को पेश करूंगा। अन्तिम संशोधन को पेश करने के लिये मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि संशोधन संख्या 2369 को पेश किया जाये। अन्यथा अन्य किसी संशोधन को पेश करने की अनुमति मुझे नहीं होगी जो कि इस संशोधन पर संशोधन हैं।

***अध्यक्षः** औपचारिक रूप से आप उसे पेश कर सकते हैं और उसके पश्चात् इस संशोधन पर संशोधनों को ले सकते हैं।

***श्री जसपतराय कपूरः** श्रीमान् क्या आपका यह सुझाव है कि मैं इसे न पढ़ूं।

***अध्यक्षः** जी हां।

***श्री जसपतराय कपूरः** अध्यक्ष महोदय, संशोधनों की छपी सूची, अंक 1 के संशोधन संख्या 2369 को मैं पेश करता हूं:

> ''कि अनुच्छेद 156 के अन्त में निम्न नवीन खंड प्रविष्ट किया जाये:
>
> (2) When a resolution for the removal of the Speaker is under discussion the Deputy Speaker shall preside and when the resolution for removal of the Deputy Speaker is under consideration and the Speaker is absent such other person shall preside as under the rules of procedure of the Assembly is authorised to preside during the absence of the Deputy Speaker.' ''
>
> [(2) जब अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पर चर्चा हो तब उपाध्यक्ष पीठासीन होगा और जब उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प पर चर्चा हो और अध्यक्ष अनुपस्थित

हो तब ऐसा कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो विधान-सभा की प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन होने के लिये प्राधिकृत है।]

इस संशोधन में सुधार करने के लिये मैंने इस संशोधन पर संशोधनों की सूचना दी है। सबसे पहले मैं संशोधन संख्या 138 पेश करूंगा जो इस प्रकार है:

''कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2369 के स्थान में निम्न संशोधन रखा जाये:

'कि अनुच्छेद 158 के स्थान में निम्न नवीन अनुच्छेद रखा जाये:

158-A. At any sitting of the Legislative Assembly of a State, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker from his office is under cosideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present, preside and the provisions of clause (2) of the next succeeding article shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker or, as the case may be, the Deputy Speaker, is absent.' ''

[158-क. विधान सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा आगामी अनुवर्त्ती अनुच्छेद के खंड (2) के उपबंध उसी रूप में प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिससे कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है।]

इस संशोधन पर एक संशोधन संख्या 195 और भी है।

''कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2369 और सूची 2 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 138 के निर्देश से अनुच्छेद 159 के पश्चात् निम्न नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:

The Speaker and the Deputy Speaker not to preside at sitting of

'159-A. At any sitting of the Legislative Assembly of a State,

[श्री जसपतराय कपूर]

the Assembly while a resolution for his removal from office is under consideration.

while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, and the provisions of clause (2) of the last preceding article shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker or, as the case may be, the Deputy Speaker, is absent.

[जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा।

159-क विधान सभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प हो जब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा, तथा अन्तिम पूर्ववत्ती अनुच्छेद के खंड (2) के उपबंध उसी रूप में प्रत्येक बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है।]

संशोधन संख्या 195 को पढ़ना कदाचित् अनावश्यक है उसके द्वारा संशोधन संख्या 138 में जिस परिवर्तन का प्रयास किया गया है वह केवल यह है कि इस अनुच्छेद का स्थान अनुच्छेद 159 के बाद में हो न कि 158 के बाद।

श्रीमान्, इस संशोधन में सुझाई गई प्रक्रिया के सिद्धांत और औचित्य को संसद के दोनों सदनों से सम्बन्धित प्रक्रिया पर विचार करते हुए एक बार पहले इस सदन द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। यह अनुच्छेद उन्हीं आधारों पर है जिन पर अनुच्छेद 75-क और 78-क हैं जिनको सभा स्वीकार कर चुकी है। यह संशोधन उसी प्रक्रिया के निर्धारण करने का केवल प्रयास करता है जिसको हमने संसद के दोनों सदनों के लिये निर्धारित किया है।

यह स्पष्ट है कि विधान-सभा के लिये यह अनुचित होगा और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिये यह कष्टदायक होगा कि जब उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है तो ऐसे विचार-विमर्श पर सभा में वह पीठासीन हो और मैं समझता हूं कि सभा के प्रति ठीक व्यवहार करने के लिये और अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को उस कष्टदायक स्थिति से मुक्त करने के लिये जिसमें वह अपने आपको पड़ा हुआ पायेगा जब कि ऐसे अविश्वास के प्रस्ताव पर उसके विरुद्ध सदन में चर्चा हो रही है, यह आवश्यक है कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पीठासीन न हो और जैसी कि इस संशोधन में व्यवस्था की गई है कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन हो इस विषय पर मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक बार पहले इस पर चर्चा हो चुकी है और सभा की स्वीकृति के लिये मैं इसे प्रस्तुत करता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि इस विषय को अनुच्छेद 159 के पश्चात् रखना चाहिये। यह पेश किया जा चुका है और अनुच्छेद 159 पर विचार समाप्त करने के पश्चात् हम इस पर मत लेंगे।

मैं अनुच्छेद 158 पर मत लूंगा। सर्वप्रथम मैं श्री ताहिर के संशोधनों पर मत लूंगा।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 158 में 'A member holding office as' शब्दों के स्थान में 'The' शब्द रखा जाये और अनुच्छेद 158 के खंड (ख) में 'such member' शब्दों के स्थान में 'he' शब्द और 'to the Deputy Speaker' शब्दों के स्थान में 'the member of the Legislative Assembly' शब्द रखे जायें।''

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 158 के खंड (ग) में 'all the then members of the Assembly' शब्दों के स्थान में 'the members of the Assembly present and voting' शब्द रखे जायें।''

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 158 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 158 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

अनुच्छेद 159

***अध्यक्ष:** हम अनुच्छेद 159 को लेते हैं।

(संशोधन संख्या 2370 और 2371 पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 159 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 159 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

नया अनुच्छेद 159–(*जारी*)

***अध्यक्ष:** मैं श्री कपूर द्वारा पेश किये गये संशोधन पर अब मत लेता हूं।

''कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2369 और सूची 2 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 138 के निर्देश से अनुच्छेद 159 के पश्चात् निम्न नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:–

The Speaker and the Deputy Speaker not to preside at sittings of the Assembly while a resolution for his removal from office is under consideration.

'159-A. At any sitting of the Legislative Assembly of a State, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker from his office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of the last preceding article shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker, as the case may be, the Deputy Speaker, is absent.' ''

[जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सभा की बैठकों में पीठासीन न होगा।

158-क. विधान सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा, तथा अन्तिम पूर्ववर्त्ती अनुच्छेद के खंड (2) के उपबंध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिससे कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है।]

संशोधन स्वीकार किया गया।

नया अनुच्छेद 159-क संविधान में प्रविष्ट किया गया।

अनुच्छेद 160

***अध्यक्षः** हम अनुच्छेद 160 को लेते हैं।

इस अनुच्छेद पर कोई संशोधन नहीं है।

***श्री नजीरुद्दीन अहमदः** संख्या 2373 है। श्रीमान्, मैं पेश करता हूंः

''कि अनुच्छेद 160 में 'another' शब्द के स्थान में 'a' शब्द रखा जाये।''

मैं केवल दूसरे भाग को पेश करता हूं। यह संशोधन अन्य प्रसंग में दो बार गिर चुका है, परन्तु फिर भी सदन के पुनर्विचारार्थ मैं इस पेश करने का साहस करता हूं जिससे कि मसौदा-समिति द्वारा उन अन्य प्रसंगों पर पुनर्विचार किया जा सके। यह अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि परिषद् का उप-सभापति अथवा सभापति स्थानच्युत हो अथवा जब-जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो तब-तब परिषद् किसी 'अन्य' सदस्य को चुनेगी। प्रश्न अन्य सदस्य के बारे का है। मैं निवदेन करता हूं कि जब सभापति या उपसभापति अपने स्थान से हट जाते हैं तो वह सभापति अथवा उपसभापति निर्वाचन के पात्र नहीं होंगे क्योंकि वे सदस्य नहीं हैं, परन्तु एक उपबंध है कि जितनी बार सभापति अथवा उपसभापति का पद रिक्त हो अन्य सदस्य चुना जाये। मान लीजिये कि कोई उपसभापति अपने स्थान से हटता है तो यह प्रथम रिक्ति है। इसके निर्वाचन का पात्र भूतपूर्व उपसभापति न होगा क्योंकि वह सदस्य न रहेगा, परन्तु इसके पश्चात् द्वितीय रिक्ति होती है और इस

[श्री नजीरुद्दीन अहमद]

अरसे में मान लीजिये कि उपसभापति परिषद् का सदस्य पुनः चुन लिया जाता है तो प्रश्न यह है कि आप उसे चुनाव लड़ने देंगे या नहीं? द्वितीय अथवा बाद में रिक्ति होने के समय उसका पुनर्निवाचन हो सकता है और जो कुछ मैं जानता हूं उसके अनुसार तो वह पात्र होगा; परन्तु यदि आप 'अन्य सदस्य' कहें तो इन शब्दों का क्या प्रभाव होगा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस सदस्य को जो इस अरसे में अन्यथा अर्ह हो चुका है वंचित रखा जायेगा? यदि यही इच्छा है कि उसको वंचित रखा जाये तब तो बात और है; पर मैं नहीं समझता हूं कि उसको वंचित रखने की इच्छा है इसके विपरीत एक यह विश्वास है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपने स्थान से हट जाता है तो वह उम्मीदवार नहीं हो सकता है क्योंकि वह सदस्य नहीं रहा, परन्तु वह विचार जो इस संशोधन का आधार है यह है कि इस अरसे में उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। और प्रश्न यह है कि आप उसे चुनाव लड़ने देंगे या नहीं मैं निवेदन करता हूं कि पुनः विचार करने पर शायद यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये। यह शाब्दिक संशोधन नहीं है वरन् सारवत् संशोधन है। यह उस सदस्य को अधिकार देता है जो यद्यपि पहले अपने स्थान से हट चुका है पर इस अरसे में उसका पुनर्निर्वाचन हो चुका है।

***अध्यक्षः** डा. अम्बेडकर।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** मुझे कुछ नहीं कहना है।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है:

''कि 'another' शब्द के स्थान में 'a' शब्द रखा जाये।''

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 160 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 160 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

***अध्यक्षः** प्रो. शाह ने एक नये अनुच्छेद की सूचना दी है।

***प्रो. के.टी. शाहः** वह आवृत हो चुका है।

अनुच्छेद 161

***अध्यक्ष:** अनुच्छेद 161, श्री जसपतराय कपूर का संशोधन संख्या 196 एक पृथक् अनुच्छेद के रूप में आयेगा।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** शायद बाद में कोई प्रक्रिया सम्बन्धी आपत्ति उठा दे, अत: यह अच्छा है कि उसे अभी पेश कर दिया जाये।

***अध्यक्ष:** श्री कपूर संशोधन संख्या 2381 को पेश कर सकते हैं।

***श्री जसपतराय कपूर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 161 के पश्चात् निम्न खंड प्रविष्ट किया जाये:

''(2) When a resolution for the removal of the Speaker is under discussion the Deputy Speaker shall preside and when the resolution for removal of the Deputy Speaker is under consideration and the Speaker is absent such other person shall preside as under the rules of procedure of the Assembly is authorised to preside during the absence of the Deputy Speaker.' ''

[(2) जब अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पर चर्चा हो तब उपाध्यक्ष पीठासीन होगा और जब उपाध्यक्ष को हटाने के संकल्प पर चर्चा हो और अध्यक्ष अनुपस्थित हो तब ऐसा कोई अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो सभा की प्रक्रिया के नियमों के अंतर्गत उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में पीठासीन होने के लिये प्राधिकृत है।]

इस पर मैं संशोधनों पर संशोधनों की सूची (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 139 को पेश करता हूं।

श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि संशोधनों की सूची में संशोधन संख्या 2381 के स्थान में निम्न संशोधन रखा जाये:

'कि अनुच्छेद 161 के अन्त में निम्न नवीन अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:

161-A. At any sitting of the Legislative Council of a State, while any resolution for the removal of the Chairman from his office is

[श्री जसपतराय कपूर]

under consideration, the Chairman, or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of the next succeeding article shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Chairman or, as the case may be, the Deputy Chairman, is absent.' ''

[161-क. विधानपरिषद् की किसी बैठक में, जब सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति, अथवा जब उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपसभापति, उपस्थित रहते पर भी, पीठासीन न होगा तथा आगामी अनुवर्त्ती अनुच्छेद के खंड (2) के उपबंध उसी रूप में प्रत्येक ऐसी बैठक के लिए लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है।]

इस पर फिर मैं एक और संशोधन संख्या 196 पेश करता हूं जो उन्हीं संशोधनों पर संशोधनों की सूची में है। मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2381 और सूची 2 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 139 के निर्देश से अनुच्छेद 162 के पश्चात् निम्न अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:

The Chairman or the Deputy Chairman not to preside at sittings of the Legislative Council while a resolution for his removal from office is under consideration.

'162-A. At any sitting of the Legislative Council of a State, while any resolution for the removal of the Chairman from his office is under consideration, the Chairman or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman, shall not, though he is present, preside, and the provisions of

clause (2) of the last preceding article shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Chairman or, as the case may be, the Deputy Chairman, is absent.' ''

[जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा।

162-क. विधान-परिषद् की किसी बैठक में, जब सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति, अथवा जब उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अन्तिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद के खंड (2) के उपबंध उसी रूप में प्रत्येक ऐसी बैठक के लिए लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिससे कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है।]

इसके समर्थन के लिए मुझे कुछ भी नहीं कहना है। यह ठीक उन्हीं आधारों पर है जिन पर अनुच्छेद 159-क है जिसको हमने अभी स्वीकार किया है और हम इस संशोधन को भी शीघ्र ही स्वीकार करेंगे।

(संशोधन संख्या 2376 से 2380 तक पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्ष:** मैं अनुच्छेद 161 पर मत लेता हूं और इस अन्तिम संशोधन 196 पर पृथक् मत लूंगा।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 161 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 161 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

अनुच्छेद 162

***अध्यक्ष:** अब मैं अनुच्छेद 162 को लेता हूं। नया अनुच्छेद 162-क बाद में आयेगा।

(संशोधन संख्या 2383, 2384 और 2385 पेश नहीं किये गये।)

[अध्यक्ष]

प्रस्ताव यह है :

''कि अनुच्छेद 162 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 162 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

नया अनुच्छेद 162-क

***अध्यक्ष:** अब मैं अनुच्छेद 162-क पर मत लेता हूं जो श्री कपूर द्वारा सूची 6 के संशोधन संख्या 196 के रूप में पेश किया गया है।

प्रस्ताव यह है:

''कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 2381 और सूची 2 (तृतीय सप्ताह) के संशोधन संख्या 139 के निर्देश से अनुच्छेद 162 के पश्चात् निम्न अनुच्छेद प्रविष्ट किया जाये:

The Chairman or the Deputy Chairman not to preside at sitting of the Legislative Council while resolution for his removal from office is under consideration.

'162-A. At any sitting of the Legislative Council of a State, while any resolution for the removal of the Chairman from his office is under consideration, the Chairman or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of the last preceding article shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Chairman or, the Deputy Chairman, as the case may be, is absent.' ''

[जब उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति या उपसभापति पीठासीन न होगा।

162-क. विधान-परिषद् की किसी बैठक में, जब सभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब सभापति अथवा जब

उपसभापति को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा तथा अन्तिम पूर्ववर्त्ती अनुच्छेद के खंड (2) के उपबंध उसी रूप में प्रत्येक ऐसी बैठक के लिए लागू होंगे जिसमें कि वे उस बैठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिससे कि यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है।]

संशोधन स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 162-क संविधान में प्रविष्ट किया गया।

अनुच्छेद 163

***अध्यक्ष:** हम अनुच्छेद 163 पर पहुंचते हैं।

(संशोधन संख्या 2386, 2387 और 2388 पेश नहीं किये गये।)

तो फिर अनुच्छेद 163 पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 163 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुच्छेद 163 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

नया अनुच्छेद 163-क

***अध्यक्ष:** अनुच्छेद 163-क नया अनुच्छेद है जिसको पेश करना है। वह सूची 1 में से संशोधन संख्या 39 है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान्, ठीक एक ऐसा ही अनुच्छेद—अनुच्छेद 79-क प्रस्तुत किया जा चुका है और उसको स्थगित रखा गया है और इस नये अनुच्छेद से सम्बन्धित शर्तें न्यूनाधिक रूप में वही हैं जो अनुच्छेद 79-क के सम्बन्ध में हैं।

***अध्यक्ष:** तो फिर इसे छोड़ दिया जाता है। अनुच्छेद 164।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मैं सुझाव रखता हूं कि यह विशिष्ट अनुच्छेद इस कारण स्थगित रखा जाये कि संयुक्त बैठकों के बारे में, जो अनुवर्ती अनुच्छेदों में आती है, निश्चय करने के सम्बन्ध में हमें कठिनाइयां हैं। सदन द्वारा कुछ संशोधनों के स्वीकार कर लेने

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

से जो कुछ नये विचार उत्पन्न हो गये हैं उनका किस प्रकार अनुकूलन किया जाये। इस सम्बन्ध में वास्तव में हमने अभी तक कोई निश्चय नहीं किया है। अंत: में मैं सुझाव रखता हूं कि यह अनुच्छेद स्थगित किया जाये।

***अध्यक्ष:** क्या सदन की यह इच्छा है कि इसे स्थगित किया जाये।

***माननीय सदस्यगण:** जी हां।

अनुच्छेद 165

***अध्यक्ष:** अनुच्छेद 165। इस पर श्री ताहिर का संशोधन संख्या 2397 है।

(संशोधन संख्या 2397, 2398 और 2399 पेश नहीं किये गये।)

इसके पश्चात् संशोधन संख्या 2400 है पर यह शाब्दिक संशोधन है।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** पूर्व अवसरों पर अध्यक्ष ने डा. अम्बेडकर को ऐसे संशोधन पेश करने की अनुज्ञा दी है और मैं समझता हूं कि उसी प्रथा को जारी रखा जायेगा और इसको औपचारिक रूप में पेश किया जाये।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** श्रीमान् मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

> ''कि अनुच्छेद 165 में 'a declaration' शब्दों के स्थान में 'an affirmation or oath' शब्द रखे जायें।''

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

> ''कि अनुच्छेद 165 में 'a declaration' शब्दों के स्थान में 'an affirmation or oath' शब्द रखे जायें।

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** अब संशोधित रूप में अनुच्छेद 165 सदन के समक्ष है।

प्रस्ताव यह है:

> ''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 165 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 165 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, यह अनुच्छेद किस प्रकार इस अध्याय के अंतर्गत आ सकता है जिसका शीर्षक ''सदस्यों की अनर्हता है''? अनुच्छेद 165 अनर्हता से सम्बन्ध नहीं रखता है बल्कि घोषणा से सम्बंध रखता है।

***अध्यक्षः** यह वह विषय है जिस पर डा. अम्बेडकर ध्यान देंगे।

अनुच्छेद 166

(संशोधन संख्या 2401 पेश नहीं किया गया।)

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 166 के खंड (1) के पश्चात् निम्न नया खंड प्रविष्ट किया जाये:

'(1a) No person shall be a member of the Legislature of two or more States and if a person is chosen a member of the Legislatures of two or more States, then, at the expiration of such period as may be specified in rules made by the President, that person's seat in the Legislatures of all the States shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislatures of all but one of the State.' ''

[(1क) कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, सब राज्यों के विधानमंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उसने एक राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के विधानमंडलों के अपने स्थान को त्याग न दिया हो।]

यह एक ऐसा खंड है जो उस स्थिति की व्यवस्था करता है जिसमें एक व्यक्ति दो राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य हो जाता है। पूर्ववर्त्ती अनुच्छेद उस व्यक्ति के सम्बन्ध का था जो राज्य के विधान-मंडल और संसद का सदस्य हो।

***अध्यक्षः** श्री नजीरुद्दीन अहमद का एक संशोधन संख्या 2403 है, पर वह संशोधन संख्या 2404 से, जो अभी पेश किया गया है, आवृत हो जाता है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 166 का खंड (2) अपमार्जित कर दिया जाये।''

***अध्यक्षः** मैं समझता हूं कि संशोधन संख्या 2405 पहले संशोधन द्वारा आवृत है।

(संशोधन संख्या 2405 और 2406 पेश नहीं किये गये।)

***श्री मुहम्मद ताहिरः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 166 के खंड (3) के उपखंड (क) को अपमार्जित किया जाये।''

उपखंड (क) में कहा गया है कि यदि कोई सदस्य आगे के अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 167 के खंड (1) में उल्लिखित किसी अनर्हता के अधीन आ जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 167 के खंड (1) में उल्लिखित अनर्हताओं के अधीन आ जाता है तो वह विधानमंडल का सदस्य कैसे हो सकता है? इस खंड को रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि कोई सदस्य सदस्य नहीं हो सकता है यदि वह अनुच्छेद 167 के खंड (1) के अंतर्गत अनर्ह हो जाता है।

(संशोधन संख्या 2408 पेश नहीं किया गया।)

***श्री एच.वी. कामतः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 166 के खंड (3) में निम्न नवीन उपखंड प्रविष्ट किये जायें:

(c) or is recalled by the electors in his constituency for failure to properly discharge his duties;

(d) or dies.' ''

[(ग) अथवा अपने कर्त्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन करने में अमसर्थ होने के कारण उसके निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचकों को द्वारा वापस बुला दिया जाता है;

(घ) अथवा मर जाता है।]

संशोधन के दूसरे भाग के बारे में जो सदस्य की मृत्यु से सम्बन्ध रखता है क्या मैं एक दो बातों का उल्लेख कर सकता हूं? जब मैंने इससे पूर्व अवसर पर एक ऐसा ही संशोधन पेश किया था तो मेरी जिज्ञासा का उत्तर नहीं मिला था। उस समय मैंने जो प्रश्न किया था वह यह था कि सदस्य की मृत्यु हो जाने पर रिक्ति होती है या नहीं। यदि हम राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के पद में होने वाले रिक्तियों सम्बन्धी अनुच्छेद 51 और 55 को देखें तो उनमें यह स्पष्ट निर्धारित किया गया है कि मृत्यु, पदत्याग, अथवा अन्य प्रकार से रिक्ति होगी। यहां खंड (क) ''अन्य प्रकार'' का निर्देश करता है और खंड (ख) 'पदत्याग' का निर्देश करता है। परन्तु मृत्यु के कारण जो स्थान रिक्त हो जाता है उसके उपबंध के बारे में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में इस बात का क्यों जिक्र किया गया है और संसद के सदस्यों के लिए ऐसे किसी जिक्र को हम क्यों छोड़ देते हैं। हमने सभा की प्रक्रिया के नियमों में ऐसा उपबंध रखा है जिनको हमने दो वर्ष पूर्व स्वीकार किया था। इन नियमों के नियम 5 का सुसंगत भाग इस प्रकार पढ़ा जाता है:

''जब मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य प्रकार से रिक्ति होती है।''

मैं नहीं जानता हूं कि मेरे इस संशोधन के स्वीकार करने में मसौदा-समिति अथवा डा. अम्बेडकर के मार्ग में क्या केवल गौरव का विचार ही आड़े आ जाता है। मेरे इससे पहले संशोधन पर बोलते हुए श्री सिधवा ने कहा था कि यदि सदस्य मर जाता है तो ''कार्यालय'' को इस सम्बन्ध में पता लग जाता है। मैं नहीं समझता कि उनका आशय किस कार्यालय से है अथवा किस कार्यालय को पता लग जायेगा। अतः इस अनुच्छेद में यह कहना अधिक अच्छा है कि सदन के सदस्य की मृत्यु हो जाने पर भी रिक्ति हो जायेगी।

***श्री आर.के. सिधवाः** मैंने कहा था जो उसकी मृत्यु के पश्चात् कार्यालय को सूचना देगा।

***श्री एच.वी. कामतः** यही माननीय सदस्य ने कहा था। पर कौन सा कार्यालय इस बात को जानेगा? जब कि आपने निश्चित रूप से इस बात को कहा है कि राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर रिक्ति हो जायेगी और हमारी सभा के नियमों में भी यही है तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस अनुच्छेद में इस बात को क्यों न रखा जाये।

(संशोधन संख्या 2410 से 2414 तक पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्षः** मैं डाक्टर अम्बेडकर द्वारा पेश किये गये संशोधनों पर एक-एक करके मत लूंगा।

***श्री एच.वी. कामतः** मेरे द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है क्या डा. अम्बेडकर उसका उत्तर नहीं देंगे?

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं उसका उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता हूं।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 166 के खंड (1) के पश्चात् निम्न नवीन खंड प्रविष्ट किया जाये:

'(1a) No person shall be a member of the Legislature of two or more States and if a person is chosen a member of the Legislatures of two or more States, then, at the expiration of such period as may be specified in rules made by the President, that person's seat in the Legislatures of all the States shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislatures of all but one of the States.' ''

[(1क) कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया

[अध्यक्ष]

जाये तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, सब राज्यों के विधानमंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायेगा यदि उसने एक राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के विधानमंडलों के अपने स्थान को त्याग न दिया हो।]

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 166 का खंड (2) अपमार्जित किया जाये।''

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है:

''कि खंड (3) का उपखंड (क) अपमार्जित किया जाये।''

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 166 के खंड (3) में निम्न नवीन उपखंड प्रविष्ट किये जायें:

'(c) or is recalled by the electors in his constituency for failure to properly discharge his duties;

(d) or dies.' ''

[(ग) अथवा अपने कर्त्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन करने में असमर्थ होने के कारण उसके निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा वापस बुला लिया जाता है।

(घ) अथवा मर जाता है।]

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***अध्यक्षः** प्रस्ताव यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 166 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 166 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

अनुच्छेद 167

***प्रो. के.टी. शाहः** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 167 के खंड (1) के उपखंड (क) में 'profit' (लाभ) शब्द के पश्चात् निम्न शब्द प्रविष्ट किये जायें:

'or contract of building or of supply of any article, or is a shareholder in any joint stock company which has such a contract of building or of supply of any article.' ''

[अथवा निर्माण का संविदा अथवा किसी वस्तु का प्रदेय धारण किये है अथवा किसी ऐसी अविभक्त-श्रेष्ठि-समवाय का हिस्सेदार है जिसके पास ऐसे निर्माण के संविदा अथवा किसी वस्तु के प्रदेय हों।]

संशोधित रूप में यह भाग इस प्रकार पढ़ा जायेगा:

''A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State–

(a) if he holds any office of profit or contract of building or of supply of any article, or is a shareholder in any joint stock company which has such a contract of building or of supply of any article under the Government, etc...''

[कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा या विधान-परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये तथा सदस्य होने के लिये अनर्ह होगा–

(क) यदि वह... कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है अथवा निर्माण का संविदा अथवा किसी वस्तु का प्रदेय धारण किये हुये है अथवा किसी ऐसी अविभक्त श्रेष्ठि-समवाय का हिस्सेदार है, जिसके पास ऐसे निर्माण के संविदा अथवा किसी वस्तु के प्रदेय हों।]

अपने निजी हित और लोक सेवा के हित में परस्पर संघर्ष की सम्भावना से उद्भूत प्राचीन कालीन अनर्हता के किसी लाभ के पद को धारण करने को अनर्हता के रूप में प्रविष्ट करा दिया है। वर्तमान परिस्थितियों में केवल लाभ का पद धारण करना अर्थात् कोई पद, जिसके साथ कुछ वेतन अथवा भत्ता संलग्न है, कम से कम बहुत से उम्मीदवारों के लिये प्रलोभन नहीं है जिन्होंने व्यापार अथवा वृत्ति में ख्याति प्राप्त कर ली है और जिनके आय के अन्य साधन सरकारी वेतनों से कहीं अधिक हैं।

इस बात से सरकार में किसी लाभ के पद धारण करने की अनर्हता किसी प्रकार से कम नहीं हो जाती है। मैं कुछ और बातें जोड़ना चाहता हूं जो हम देखते हैं कि

[प्रो. के.टी. शाह]

निजी लाभ के समक्ष लोकहित का बलिदान करने में किसी लाभ के पद धारण करने से अधिक प्रलोभन के साधन हो सकते हैं। बालपोल के काल में चाहे कुछ भी परिस्थिति रही हों परन्तु आज एक उस विधि निर्माण करने वाले के लिये अथवा एक उस विधान-मंडल के उम्मीदवार के लिये सरकारी पद कोई प्रलोभन नहीं हैं जिसकी निजी वृत्ति, व्यापार अथवा कारबार सफलता से चल रहे हों जिसमें सरकार से सम्पर्क रखने अथवा सदन के सदस्य होने से अधिक लाभ की आशा की जा सकती है।

आज कल के महान् निर्माण के समय में प्रलोभन अथवा भ्रष्टाचार का सबसे महान् साधन निर्माण संविदा है। महान् निर्माण तथा विकास योजनाओं द्वारा, जिनमें राज्य की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रुचि है, बहुत अधिक लाभ की सम्भावना है। दिन प्रतिदिन इन योजनाओं में राज्यों की रुचि बढ़ती चली जा रही है और ये योजनायें इस सीमा तक लाभ के साधन हैं कि जिनको मंजूर करने की शक्ति है और जिनके पास ऐसे संविदा हैं वे चाहे जितना खर्च कर सकते हैं यदि लोग उनके लिये केवल पर्याप्त रूप में प्रचार कर दें अथवा सरकार से सरल शर्तों पर ऐसे संविदा दिलाने में सहायता कर दें। यही हाल अन्य उन वस्तुओं के अधिक परिमाण में प्रदेय के सम्बन्ध में है जिनकी आधुनिक सरकार को आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि विधानमंडल का सदस्य ऐसे किसी प्रलोभन से मुक्त होना चाहिये; अत: कोई भी व्यक्ति को ऐसे संविदा धारण किये हुए है अथवा जो, किसी निर्माण संबंधी अविभक्त श्रेष्ठि-समवाय में हिस्सेदार के रूप में हित रखता है, जो समवाय की निर्माण सम्बन्धी वस्तुयें अपना अन्य वस्तुयें, जिनकी सरकार को आवश्यकता है, प्रदान करती है, तो उसे, विधानमंडल की सदस्यता से अनर्ह कर दिया जाये। ऐसे हितों को संख्या अधिक अथवा विभिन्न रूप में है और मेरी सम्मति में कोई भी व्यक्ति जिसका इनमें हित हो उसे अनर्ह कर देना चाहिये।

इसी कारण मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि यदि आप अपने विधि निर्माताओं को प्रलोभन से स्वतंत्र रखना चाहते हैं, यदि आप यह चाहते हैं कि वे निर्लेप होकर लोक-सेवा करें और लोक-सेवा की ओर ही उनका ध्यान रहे तो मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि आप, मैंने जिन प्रकारों का उल्लेख किया है उनमें हित रखने वाले व्यक्ति को अनर्ह करने के इस सुझाव को स्वीकार करें। केन्द्र तथा राज्य दोनों के विधानमंडलों की उम्मीदवारी के लिये यह एक अनर्हता होनी चाहिये। श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

(संशोधन संख्या 2416 पेश नहीं किया गया।)

***श्री मुहम्मद ताहिर:** अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन के केवल उत्तर भाग को पेश करना चाहूंगा। श्रीमान् मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

> ''कि 'Legislature of the State' (राज्य के विधानमंडल) शब्दों के पश्चात् 'or any Local Authority of such State' (अथवा उस राज्य के किसी स्थानीय प्राधिकारी) शब्द प्रविष्ट किये जायें।''

श्रीमान्, मेरे संशोधन का अभिप्राय स्पष्ट तथा व्यक्त है। मैं कोई भाषण देना नहीं चाहता हूं। यदि मेरे माननीय मित्र इसे स्वीकार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।

(संशोधन संख्या 2418 पेश नहीं किया गया।)

***माननीय डा. बी.आर अम्बेडकर:** श्रीमान्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 167 के खंड (1) के उपखंड (घ) के स्थान में निम्न उपखंड रखा जाये:

'(d) If he has ceased to be a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgement of allegiance or adherance to a foreign State.' ''

[(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर चुका है। अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किये हुए हो।]

***श्री महावीर त्यागी:** अब चूंकि हम संयुक्त राष्ट्र मंडल में है इंग्लैंड के संबंध में हमारी स्थिति क्या होगी? बादशाह के प्रति हमारी निष्ठा भी क्या अनर्हता होगी?

***अध्यक्ष:** वह संविधान के निर्वाचन का विषय है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** राष्ट्रीयता अधिनियम द्वारा इस पर विचार किया जायेगा।

***श्री महावीर त्यागी:** पर हमें यह विदित होना चाहिये कि यह क्या है...।

(संशोधन संख्या 2420 से 2423 तक पेश नहीं किये गये।)

***श्री एच.वी. कामत:** मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन 2424 पूर्णतया शब्दिक है और मैं उसे मसौदा-समिति पर छोड़ता हूं।

***अध्यक्ष:** मैं समझता हूं कि वह सार सम्बन्धी है।

***श्री एच.वी. कामत:** यदि ऐसा है तो मैं उसे पेश करूंगा।

मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 167 के खंड (1) के उपखंड (घ) के अन्त में अर्धविराम के पश्चात् 'or' (अथवा) शब्द बढ़ा दिया जाये।''

श्रीमान्, सदस्यों की अनर्हता के सम्बन्ध के (अनुच्छेद 83) एक ऐसे ही अनुच्छेद में 'और' शब्द के स्थान में 'अथवा' शब्द रखा गया है। मैं समझता हूं कि मसौदा-समिति

[श्री एच.वी. कामत]

अपने ही उदाहरण का अनुसरण करेगी और यहां भी वैसा ही परिवर्तन करेगी। इसी कारण मैंने कहा था कि यह मसौदा सम्बन्धी संशोधन है। चाहे 'और' शब्द अपमार्जित किया जाये अथवा उसके स्थान में 'अथवा' शब्द रखा जाये, मेरी अप्रशिक्षित बुद्धि के अनुसार तो न्यूनाधिक रूप में एक ही बात है। इसी कारण मैंने कहा था कि मैं इस बात को मसौदा-समिति के बुद्धिमान सदस्यों पर छोड़ता हूं क्योंकि इन विषयों में मैं केवल नौसिखिया हूं। मैंने सोचा 'अथवा' शब्द अधिक समुचित है—क्योंकि इन अनर्हताओं में से यदि एक भी अनर्हता है—यदि कोई व्यक्ति इन कारणों में से एक कारण द्वारा भी अनर्ह हो जाता है तो यह अनुच्छेद प्रयुक्त होगा।

***अध्यक्षः** डा. अम्बेडकर इस पर विचार कर सकते हैं।

***श्री एच.वी. कामतः** जैसा मैंने कहा था मसौदा-समिति के बुद्धिमान सदस्यों के विनिश्चय पर मैं इसे छोड़ता हूं।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** श्रीमान्, मैं समझता हूं कि अनुच्छेद बिल्कुल ठीक है।

***अध्यक्षः** क्या वे सब एक साथ नहीं पढ़े जायेंगे?

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** जी नहीं, वे सब एक साथ नहीं पढ़े जायेंगे।

***अध्यक्षः** यदि 'अथवा' शब्द बढ़ा दिया जाये तो सब सन्हेद दूर हो जायेंगे।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकरः** मैं उसे आवश्यक नहीं समझता हूं।

(संशोधन संख्या 2425, 2426 और 2427 पेश नहीं किये गये।)

***श्री मुहम्मद ताहिरः** मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

''कि अनुच्छेद 167 के खंड (1) के उपखंड (ङ) के पश्चात् निम्न नवीन उपखंड बढ़ा दिया जाये:

'(f) if he is not registered as voter.' ''

[(च) यदि यह मतदाता के रूप में पंजीबद्ध नहीं किया गया है।]

श्रीमान्, इस अनुच्छेद के (क) से (ङ) तक खंड सदस्य होने के लिये अनर्हताओं की संगणना कराते हैं। मैं चाहता हूं कि इसे भी इस अनुच्छेद में शामिल कर लिया जाये

जिससे कि यदि कोई व्यक्ति पंजीबद्ध मतदाता नहीं है तो वह सभा का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि सदस्यता उन लोगों तक ही निर्बन्धित नहीं की जाती है जिनके नाम मतदाताओं की सूची में हैं तो प्रत्येक व्यक्ति आ सकता है और निर्वाचन के लिये अपना नाम निर्देश पत्र दाखिल कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार का खंड बढ़ाया जाये।

***अध्यक्षः** माननीय सदस्य अपने अन्य संशोधन संख्या 2430 और 2432 भी इस समय पेश कर सकते हैं।

***श्री मुहम्मद ताहिरः** श्रीमान्, इस संशोधन का मैं केवल उत्तर भाग पेश करता हूं।

मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

> ''कि अनुच्छेद 167 के खंड (2) में 'Government of any State' (किसी राज्य की सरकार) शब्दों के पश्चात् 'or any local or other Authority subject to the control of such State' (अथवा उस राज्य के नियंत्रण के अधीन कोई स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी) शब्द प्रविष्ट किये जायें।' ''

इस पर मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं।

श्रीमान्, जैसा कि आपने सुझाया है मैं इस संशोधन संख्या 2432 को भी इस समय पेश करूंगा। उसके प्रथम भाग को मैं पेश नहीं कर रहा हूं। द्वितीय भाग जिसको मैं पेश करता हूं वह इस प्रकार है:

> ''कि अनुच्छेद 167 के खंड (2) के उपखंड (क) में 'for any State' शब्दों के पश्चात् 'or a Chairman, a Vice Chairman, a President or a Vice President of any Local or other Authority of such State' शब्द प्रविष्ट किये जायें।''

मैं संशोधन संख्या 2433 को पेश नहीं कर रहा हूं।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारीः** संशोधन की सूची के संशोधन संख्या 2429 और 2430 के निर्देश से, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं:

> ''कि अनुच्छेद 167 के खंड (2) के उपखंड (क) और (ख) के स्थान में निम्न उपखंड रखा जाये:

''He is a minister either for India or for any such State.''

[वह भारत का अथवा किसी ऐसे राज्य का मंत्री है।]

[श्री टी.टी. कृष्णमाचारी]

श्रीमान्, यह शब्दावली वास्तव में अनुच्छेद 83 के एक ऐसे ही उपखंड की शब्दावली के अनुरूप है जिसको इस सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यह इसलिये आवश्यक है कि उपखंड (2) (क) में प्रथम अनुसूची के भाग 3 का एक ऐसा निर्देश है जिसको हटाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि जहां तक इस अनुसूची के भाग 3 में राज्यों का सम्बन्ध है हम इस प्रकार के एक पृथक् उपबंध बनाने की आकस्मिकता को दृष्टिगोचर नहीं करते हैं। इस प्रभाव का कोई आवश्यक उपबंध एक पृथक् अध्याय में रखा जायेगा।

वर्तमान रूप में उपखंड (ख) की शब्दावली में कुछ आभार आरोपित किये गये हैं जिनसे हम बचना चाहेंगे और हम समझते हैं कि ''वह भारत का अथवा किसी ऐसे राज्य का मंत्री है'' यह शब्दावली सब प्रयोजनों के लिये पर्याप्त है।

मैं आशा करता हूं कि सभा इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

***श्री महावीर त्यागी:** श्रीमान्, मैं आशा करता हूं कि इस अनुच्छेद में जो कुछ चन्द शब्द कहूंगा उन पर आप ध्यान नहीं देंगे—वैसे भी आज हम बहुत से अनुच्छेद पारित कर चुके हैं। मैं डा. अम्बेडकर से यह पूछना चाहूंगा कि वे इस बात को अवश्य स्पष्ट करें कि उनके संशोधन में आई हुई पदावली 'विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति' का क्या अर्थ है। श्रीमान्, 'अनुषक्ति' बहुत व्यापक शब्द है। उसका अर्थ बहुत कुछ निश्चित सा नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि कहीं संयुक्त राष्ट्र मंडल के प्रति हमारी अनुषक्ति हममें से बहुतों को अनर्ह न कर दे विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री को जो इंग्लैंड जैसे एक विदेशी राज्य के प्रति हम से कुछ थोड़ी अनुषक्ति स्वीकार कराने में सहायक थे। संयुक्त राष्ट्रमंडल के सदस्य बन जाने से हमने एक विदेशी राजा को किसी सीमा तक अभिज्ञात कर लिया हैं। क्या यह अनुषक्ति हममें से बहुतों को अनर्ह न कर देगी? यदि वह ऐसा करती है तो केवल डा. अम्बेडकर ही इस सदन में रह जायेंगे। हम सब अनर्ह हो जायेंगे। हमारी अनुषक्ति संयुक्त राष्ट्रमंडल तथा इंग्लैंड के बादशाह से है जो विदेशी है। चूंकि 'अनुषक्ति' शब्द बहुत ही संदेहात्मक है मैं समझता हूं कि इस संशोधन की शब्दावली में कुछ परिवर्तन किया जाये अथवा मसौदा समिति द्वारा यह वचन दिया जाये कि इस शब्द को इतना संदेहात्मक नहीं रहने दिया जायेगा। संयुक्त राष्ट्रमंडल से तथा अन्य अधिराज्यों से हमारे सम्बन्ध एक विदेशी राज्य के रूप में निर्वचन किये जा सकते हैं। यह संधि का विषय नहीं है यह स्थायी सम्बन्ध का विषय है जिसे हम स्थापित कर चुके हैं। संधि संविदा है। यह कोई संधि नहीं है। यह तो विदेशी अधिराज्यों के प्रति वास्तविक अनुषक्ति है। मैं यह चाहूंगा कि डा. अम्बेडकर इस वाद पद पर प्रकाश डालें। या तो इसकी शब्दावली बदल दी जाये जिससे कि हम संयुक्त राष्ट्रमंडल में रह सकें या यह आश्वासन दिया जाये कि संयुक्त राष्ट्रमंडल के देश इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ विदेशी राज्य नहीं समझे जायेंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री मोहनलाल गौतम ने अपना संशोधन पेश नहीं किया वरना हममें से बहुत से जिन्होंने प्रवेशिका परीक्षा पारित नहीं की है वे सब अनर्ह हो जाते। मैं अनर्ह समझा जाता यदि प्रवेशिका की अर्हता होती। मेरी शिक्षा कठिनाई से प्राथमिक शिक्षा के बराबर है। मैं केवल यही चाहता हूं कि मेरे देश के वे व्यक्ति जो मेरे समान निरक्षर हैं इन उपबंधों से अनर्ह न किये जायें।

***प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना:** श्रीमान्, मैं दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपखंड (ङ) में कहा गया है कि ''यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया जाता है।''

एक और अनुच्छेद में हमने यह निर्धारित किया है कि राज्य के विधानमंडल को अर्हता निर्धारित करने की शक्ति दे दी गई है और यहां हम उसे अनर्हता निर्धारित करने की शक्ति देते हैं। परन्तु इसके बाद डा. अम्बेडकर ने हमें यह आश्वासन दिया है कि संसद अर्हतायें निर्धारित करेगा न कि राज्य का विधानमंडल। अत: मैं डाक्टर अम्बेडकर से प्रार्थना करता हूं कि वे हमें यह बतायें कि क्या संसद द्वारा इस शक्ति का भी प्रयोग किया जायेगा या नही। यहां हम यह कहते हैं कि राज्य का विधानमंडल उन लोक पदों की घोषणा कर सकता है जिनका धारण करना किसी व्यक्ति को राज्य के विधानमंडल का सदस्य होने से अनर्ह न करेगा। मैं समझता हूं कि इस बात को भी संसद पर छोड़ देना चाहिये। संसद संसदीय सचिवों, उपमंत्रियों इत्याादि जैसे लोक पदों को निर्धारित करे जिनके धारण करने से राज्य में इन पदों के धारण करने वाले विधानमंडल में सदस्य बने रहने से अनर्ह न होंगे। विधानमंडल में सदस्य बनने से व्यक्तियों को अनर्ह करने वाली विधि भी समस्त राज्यों में एक समान होनी चाहिये। वरना फल यह होगा कि प्रत्येक राज्य पृथक्-पृथक् विधियां पारित करेगा और एक व्यक्ति जो कि बम्बई विधानमंडल की सदस्यता का उम्मीदवार न हो सकता है वह संयुक्त प्रान्त के विधानमंडल की सदस्यता का उम्मीदवार न हो सकेगा। इस कमी को दूर कर देना चाहिये और राज्य के 'विधानमंडल' के स्थान में हमें संसद को समस्त प्रान्तों के लिये समान विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर देनी चाहिये।

***श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** श्रीमान्, मुझे खेद है कि श्री मोहनलाल गौतम ने अपना संशोधन पेश नहीं किया। मैं अनुभव करता हूं कि विधानमंडल के सदस्य के लिये कुछ शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिये। यह विचार प्रचलित हो गया है कि विधानमंडल के सदस्य के लिये शिक्षा, प्रशासन अथवा न्याय सम्बन्धी किसी भी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। एक डाक्टर, एक इंजीनियर अथवा एक वकील को एक निश्चित अवधि तक विशेष प्रकार की प्रशिक्षा ग्रहण करनी होती है। मैं यह समझता हूं कि विधि निर्माताओं का कार्य किसी

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

डाक्टर, वकील अथवा इंजीनियर से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। परन्तु विधि निर्माता होने के लिये केवल यही पर्याप्त समझा जाता है कि वह सड़क सभाई हो, चीखने वाला वक्ता हो, एक पेशेवर राजनैतिक नर्त्तक हो, बहुरूपया हो तथा पक्का बदमाश हो। श्रीमान्, मैं अनुभव करता हूं कि यदि हम शासन की किसी विभिन्न प्रणाली का निर्माण करना चाहते हैं तो विधि निर्माताओं के लिये कुछ शैक्षणिक अर्हतायें आवश्यक समझी जानी चाहियें। श्रीमान् मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है।

***श्री एम. थीरूमल राव** (मद्रास : जनरल): श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या माननीय सदस्य ने 'बदमाश' शब्द का प्रयोग किया था? मैं उनका भाषण ठीक नहीं सुन सका। यदि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है तो क्या यह शब्द संसदीय है?

***अध्यक्ष:** यदि इस शब्द का प्रयोग किया गया है तो ऐसा नहीं होना चाहिये।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** वह केवल इस कहावत का अनुसरण करता है कि बदमाश के लिये राजनीति अन्तिम सहारा है।

***माननीय डा. बी.आर. अम्बेडकर:** मैं अपने मित्र श्री त्यागी के लिये खड़ा होता हूं क्योंकि उन्होंने मुझसे एक या दो तीखे प्रश्न किये हैं। क्योंकि वे स्वयं यह कहते हैं कि वे बेपढ़े हैं मैं 'अनुषक्ति' शब्द को समझने की उनकी कठिनाई को भली प्रकार समझ सकता हूं। इसलिये मैं उन्हें यह बताऊंगा कि 'अनुषक्ति' शब्द का क्या अर्थ है। जब एक देश पर दूसरा देश आक्रमण करता है तो यह होता है कि वहां के निवासी भय के कारण अथवा सेना-विधि के कारण उस सैनिक राज्यपाल द्वारा निर्मित विधियों का कभी-कभी पालन करने लग जाते हैं जो आक्रमणकारी देश के नाम से शासन करता है। जब तक आक्रमण होता रहता है और सैनिक आधिपत्य बना रहता है ऐसे व्यवहार को बहुधा क्षमा कर दिया जाता है। बहुधा यह होता है कि नियंत्रण में ढील होने के कारण या विरोध के मिट जाने के कारण आक्रमणकारी अथवा सैनिक राज्यपाल की आज्ञापालन करने की जब वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं रहती है तब भी कुछ लोग सैनिक राज्यपाल अथवा आक्रमणकारी की आज्ञापालन करते चले जाते हैं। विधि के अंतर्गत उनके इस व्यवहार को 'अनुषक्ति' के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। अभिस्वीकरण से यह भिन्न है। इस प्रकार की अवस्था से त्राण पाने के लिये 'अनुषक्ति' शब्द का प्रयोग किया गया है।

मेरे मित्र श्री त्यागी इस विषय पर भी बहुत उत्तेजित हुए थे कि किन देशों को विदेशों के रूप में समझा जाये। इस बात में मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र श्री त्यागी का यह उद्देश्य नहीं है कि वे मुझे संयुक्त राष्ट्रमंडल के सम्बन्ध की किसी चर्चा में अंतर्ग्रस्त करें

जो एक ऐसा विषय है जिस पर इस सदन में वाद-विवाद तथा विचार हो चुका है, पर मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि अनुच्छेद 303 उपखंड (1) पर यह परिभाषा करने के लिये कि किन देशों को विदेश समझा जाये मैं एक संशोधन रखना चाहता हूं और यदि मेरे मित्र श्री त्यागी के पास संशोधनों की छपी सूची का अंक 2 है तो वे यह देख सकते हैं कि वह प्रस्थापित संशोधन क्या है। प्रस्थापित संशोधन यह घोषणा करने की शक्ति, कि कौन से देश विदेश नहीं हैं राष्ट्रपति को देता है और उस घोषणा से यह निर्णय होगा कि कोई विशिष्ट देश विदेश है अथवा नहीं। अपने मित्र श्री त्यागी के लाभार्थ मैं व्याख्या सम्बन्धी एक शब्द और बढ़ाना चाहूंगा। बहुत से लोग शायद इस बात से चिन्तित हैं कि प्रस्थापित संशोधन अथवा संयुक्त राष्ट्रमंडल के करार के अंतर्गत जब किसी देश को विदेश के रूप में घोषित नहीं किया जाता है तो वे सब लोग जो उन देशों के निवासी हैं अपने आप नागरिकता के उन समस्त अधिकारों को प्राप्त कर लेते हैं जो इस संविधान द्वारा इस देश के लोगों को दिये जा रहे हैं। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं होगी। संयुक्त राष्ट्र मंडल के सम्बन्ध के अंतर्गत यह स्थिति होगी: समस्त अधिराज्य देशों में निवासियों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जायेगा— नागरिक, अन्यदेशीय और एक तीसरी श्रेणी जो एक विशिष्ट देश में रहते हुए अधिराज्य निवासियों की कही जा सकती है। इसका यह अर्थ होगा कि भारत में निवास करने वाले अधिराज्यों के नागरिकों को अन्यदेशीय नहीं माना जायेगा, उनको कुछ अधिकार होंगे जो अन्यदेशीय को नहीं होंगे, पर मेरे विचार से वे नागरिकता के उन पूर्ण अधिकारों के हकदार कदापि नहीं होंगे जो हम अपने देश के लोगों को देंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र श्री त्यागी को कोई ऐसी बात मिल गई होगी जिससे उनके मन में जो संदेह थे वे दूर हो जायेंगे।

***श्री महावीर त्यागी:** इस रोचक भाषण के लिये जो आपने दिया है मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

> ''कि अनुच्छेद 167 के खंड (1) के उपखंड (क) में 'profit' (लाभ) शब्द के पश्चात् निम्न शब्द प्रविष्ट किये जाये:
>
> 'or contract of building or of supply of any article, or is a shareholder in any Joint Stock Company which has such a contract of building or of supply of any article.' ''
>
> [अथवा निर्माण का संविदा अथवा किसी वस्तु का प्रदेय धारण किये है अथवा किसी ऐसी अविभक्त श्रेष्ठि-समवाय का हिस्सेदार है जिसके पास ऐसे निर्माण के संविदा अथवा किसी वस्तु के प्रदेय हों।]

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि 'Legislature of the State' (राज्य के विधानमंडल) शब्दों के पश्चात् 'or any Local Authority of such State' (अथवा उस राज्य के किसी स्थानीय प्राधिकारी] शब्द, प्रविष्ट किये जायें।''

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 167 के खंड (1) के उपखंड (घ) के स्थान में निम्न उपखंड रखा जाये:

'(d) if he has ceased to be a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign State.' ''

[(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर चुका है। अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किये हुए हो।]

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 167 के खंड (1) के उपखंड (घ) के अन्त में अर्धविराम के पश्चात् 'or' (अथवा) शब्द बढ़ा दिया जाये।' ''

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 167 के खंड (1) के उपखंड (ङ) के पश्चात् निम्न नवीन उपखंड बढ़ा दिया जाये:

'(f) if he is not registered as a voter.' ''

[(च) यदि वह मतदाता के रूप में पंजीबद्ध नहीं किया गया है।]

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 167 के खंड (2) के उपखंड (क) में 'Government of any State' (किसी राज्य की सरकार) शब्दों के पश्चात् 'or any local or other Authority subject to the control of such State' (अथवा उस राज्य के नियंत्रण के अधीन कोई स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी)' शब्द प्रविष्ट किये जायें।''

संशोधन अस्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** प्रस्ताव यह है:

''कि अनुच्छेद 167 के खंड (2) के उपखंड (क) और (ख) के स्थान में निम्न उपखंड रखा जाये:

'He is a minister either for india or for any such State.'

[वह भारत का अथवा ऐसे किसी राज्य का मंत्री है।]

संशोधन स्वीकार किया गया।

***श्री टी.टी. कृष्णमाचारी:** मि. मुहम्मद ताहिर के अन्य दो संशोधन गिर जाते हैं क्योंकि मेरे पेश किये गये संशोधन की स्वीकृति से वे खंड निकल जाते हैं।

***अध्यक्ष:** जी हां, संशोधन संख्या 2432 और 2433 गिर जाते हैं।

***अध्यक्ष:** डा. अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया संशोधन और दूसरा श्री कृष्णमाचारी द्वारा पेश किया गया संशोधन स्वीकार कर लिये गये हैं और मैं संशोधित रूप में अनुच्छेद पर मत लूंगा।

प्रस्ताव यह है:

''कि संशोधित रूप में अनुच्छेद 167 संविधान का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

संशोधित रूप में अनुच्छेद 167 संविधान में प्रविष्ट किया गया।

***अध्यक्ष:** हम कल प्रात:काल के 8 बजे तक के लिये स्थगित करते हैं।

इसके पश्चात् सभा शुक्रवार 3 जून सन् 1949 के आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।